अप्रैल, 2020
I.S.S.N. : 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Cover ii

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

ISSN 2457-0478

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2020 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 2020 अंक - 4

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
अविनाश शुक्ला

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2020) 1 सि. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ⟹ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका में प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्च न्यायालयों द्वारा पारित सिविल के प्रतिवेद्य निर्णयों, जो अधिवक्ताओं, विधि छात्रों, न्यायाधीशों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है । आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने और अपने कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है । कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें ।

इस अंक के माध्यम से मैं आपका ध्यान **राजाराम** बनाम **लक्ष्मण** [(2020) 1 सि. नि. प. 412 = ए. आई. आर. 2020 एम. पी. 9] वाले मामले की ओर आकर्षित कर रहा हूं, जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(ग), सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 और धारा 106 के अधीन इच्छा (वसीयत) के अंतर्गत संपत्ति के कब्जे के संबंध में विवाद का निस्तारण किया गया । इस वाद में मुख्य विवाद्यक यह था कि इच्छा के निष्पादन को साबित करने का भार किस पक्ष पर होता है । इच्छाकर्ता की मृत्यु इच्छा के निष्पादन के एक माह के भीतर हो गई थी और उसके अंगूठे की छाप को वादी द्वारा विवादित किया गया था । माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां इच्छाकर्ता के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे की छाप को साबित नहीं किया जाता, तो उसको कड़ाईपूर्वक धारा 63(ग) के उपबंधों के अधीन साबित किया जाना चाहिए । साथ ही माननीय न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि जो पक्ष इच्छा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उसी को साबित भी करना होगा और यदि प्रस्तुत करने वाला पक्ष इच्छा को साबित कर पाने में विफल रहता है, तो वह साबित करने का भार अन्य पक्ष पर अंतरित नहीं कर सकता । साथ ही माननीय न्यायायल ने इच्छा के अधिप्रमाणन साक्षियों की भूमिका की भी व्याख्या की । इस संबंध में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इच्छा में नामित हिताधिकारियों के लिए यह आवश्यक होगा

कि वे इच्छा के अधिप्रमाणन साक्षियों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराएं । यदि इच्छा के लेखक द्वारा यह अपने परीक्षण में अभिकथित किया जाता है कि इच्छा को इच्छाकर्ता द्वारा दिए गए श्रुतलेख के आधार पर लिखा गया और इच्छाकर्ता द्वारा उस पर अंगूठे की छाप अंकित किए जाने के पूर्व उसको पढ़कर सुनवाया गया, तो भी इच्छा के लेखक के साक्ष्य की तुलना इच्छा के अधिप्रमाणन साक्षियों के साक्ष्य से नहीं की जा सकती ।

पत्रिका में समाविष्ट सामग्री और गुणवत्ता के संबंध में सभी पाठकों के विचार अपेक्षित हैं । अगली पत्रिका के संपादन के समय उनके विचारों पर ध्यान दिया जाएगा ।

अविनाश शुक्ला
संपादक

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 2020

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
एस. एस. फकीर चंद हजारी लाल **बनाम** कमिश्नर ट्रेड टैक्स उत्तर प्रदेश, लखनऊ	476
कर्नाटक राज्य फाइनेंशियल कारपोरेशन, रायापुर, धारवार **बनाम** अरविंद रामचंद्र अनेगुंडी और अन्य	541
कुमारी पोन्नागंटी सुमेधा रेड्डी **बनाम** भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंगलूरु	552
कुलदीप अग्रवाल **बनाम** उत्तराखंड राज्य और अन्य	487
कोल्लैरी वेलायुधान **बनाम** वी. दीनू	562
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **बनाम** श्रीमती बंकु देवी और अन्य	580
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **बनाम** श्रीमती मूर्ति देवी और एक अन्य	461
मेहसीन (मृतक) और एक अन्य **बनाम** बाबू लाल	447
शशीबेन **बनाम** गुजरात राज्य	569
सजल कुमार मंडल **बनाम** इंडियन आयल कारपोरेशन	519

संसद् के अधिनियम

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	37 – 71

पृष्ठ संख्या

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25)

– धारा 49 [भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम का भाग 6, अध्याय 2 नियम 11 और 15] – अभियुक्त का न्याय व विधिक सहायता पाने का अधिकार – बार संघ द्वारा अपने सदस्य अधिवक्ताओं को बार संघ के एक अधिवक्ता सदस्य की हत्या के लिए आरोपित अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने से रोके जाने के प्रयोजनार्थ प्रस्ताव पारित किया जाना – कोई भी अधिवक्ता या अधिवक्ताओं का संघ, जो इस प्रकार के कार्य करता है, न केवल दांडिक अपराध और न्यायालय का अवमान कारित करता है बल्कि न्याय प्रशासन में भी हस्तक्षेप करता है ।

कुलदीप अग्रवाल बनाम **उत्तराखंड राज्य और अन्य** 487

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (1948 का 15)

– धारा 8क [सपठित केंद्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 7] – फर्म द्वारा शाखा कार्यालय खोले जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में आयात किए जाने की अपेक्षा के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को संयोजित किए जाने के प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत किया जाना – निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आयात की अपेक्षा के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कोई संशोधन न किया जाना – फर्म द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर उन वस्तुओं का आयात चालू रखा जाना, जिनको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संयोजित किए जाने से इनकार कर दिया गया था – फर्म रजिस्ट्रीकरण

पृष्ठ संख्या

प्रमाणपत्र, जिसमें माल की सूची का उल्लेख है, के बारे में अनभिज्ञ होने का अभिवाक् नहीं कर सकती ।

एस. एस. फकीर चंद हजारी लाल बनाम **कमिश्नर ट्रेड टैक्स उत्तर प्रदेश, लखनऊ** 476

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39)

– धारा 372 – मृतक पालिसीधारक की पुत्री द्वारा पालिसी की परिपक्वता पर संदेय रकम का दावा करते हुए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना – न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पूर्व आक्षेप आमंत्रित करते हुए सूचना का जारी किया जाना और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कोई आक्षेप फाइल न किया जाना और इस बाबत भी कोई अभिवाक् न किया जाना कि याची मृतक पालिसीधारक की विधिक प्रतिनिधि नहीं है – अत: भारतीय जीवन बीमा निगम पालिसी के अंतर्गत संदेय रकम को प्रतिधारित नहीं कर सकता और वे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर पालिसी के अंतर्गत संदेय रकम का संदाय करने के लिए बाध्य हैं ।

कुमारी पोन्नागंटी सुमेधा रेड्डी बनाम **भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंगलूरु** 552

मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4)

– धारा 95 [सपठित मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 92क] – मृतक के आश्रितों के द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन – अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील – यदि दायित्व की सीमा पालिसी के आधार पर तर्कपूर्ण साक्ष्य द्वारा सीमित नहीं है और यह

पृष्ठ संख्या

साबित हो जाता है कि तृतीय पक्ष के बीमा के लिए अलग से प्रीमियम वसूला गया था तो यह नहीं माना जा सकता कि पालिसी सीमित प्रयोजनों के लिए थी ।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम **श्रीमती मूर्ति देवी और एक अन्य** 461

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)

– धारा 173 – अपील – मृतक दैनिक मजदूर के रूप में राजमिस्त्री का कार्य करता था, वह कुशल श्रमिक था, अत: सरला वर्मा वाले मामले में अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, माह के 26 दिनों के वेतन के आधार पर मासिक और वार्षिक मजदूरी की संगणना की जाएगी जिसकी आधी राशि पर मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए गुणांक लागू किया जाएगा और प्रतिकर की राशि अभिनिर्धारित की जाएगी ।

मेहसीन (मृतक) और एक अन्य बनाम **बाबू लाल** 447

– धारा 173 – अपील – अंतिम संस्कार और प्रेम और स्नेह की हानि के शीर्षक के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का निर्धारण – प्रणय सेठी वाले मामले में अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार की बाबत 25,000/- रुपए की रकम और प्रेम और स्नेह की हानि की बाबत 25,000/- रुपए की रकम भी प्रतिकर के रूप में संदेय होगी ।

मेहसीन (मृतक) और एक अन्य बनाम **बाबू लाल** 447

– धारा 173 – अपील – मृतक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत था, अत: उसके वेतन में 50 प्रतिशत

पृष्ठ संख्या

की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है और विद्वान् निचले न्यायालय ने ऐसा करके कोई अवैधता कारित नहीं की ।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम **श्रीमती बंकु देवी और अन्य** 580

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47)

– धारा 20 – संविदा का निर्वहन न किया जाना – विनिर्दिष्ट अनुपालन के अनुतोष के बाबत न्यायालय का विवेकाधिकार – प्रतिवादी धनाभाव के कारण अत्यधिक कम कीमत पर संपत्ति बेचने के लिए करार में प्रविष्ट होने के लिए विवश था और वादी ने वित्तदाता होने के नाते प्रतिवादी की विपरीत परिस्थितियों का अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया – करार में विनिर्दिष्ट पालन और नुकसान वसूली के लिए समर्थकारी खंडों का अभाव – वादी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के बजाय अग्रिम में दिए गए विक्रय प्रतिफल को ब्याज सहित वापस प्राप्त करने का हकदार है ।

कोल्लैरी वेलायुधान बनाम **वी. दीनू** 562

संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8)

– धारा 29 [सपठित हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8] – अवयस्क की सम्पत्ति – न्यायालय की अनुज्ञा के बिना अवयस्क की संपत्ति की नैसर्गिक संरक्षक/संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता द्वारा विक्रय – क्योंकि अवयस्क की सम्पत्ति संयुक्त

पृष्ठ संख्या

हिंदू परिवार की सम्पत्ति है, अत: संपत्ति में अवयस्क के हित के विक्रय/निस्तारण के प्रयोजनार्थ न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी ।

शशीबेन बनाम **गुजरात राज्य** 569

संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9)

– धारा 10 [सपठित संविधान, 1950 का अनुच्छेद 299] – कानूनी संविदा – कानूनी संविदा तभी गठित होती है जब वह किसी कानूनी या लोक निकाय द्वारा निष्पादित की जाती है और जिसमें कानूनी नियम और शर्तें समाविष्ट होती हैं – मात्र इस तथ्य के आधार पर कि संविदा कानून द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए निष्पादित की गई, उस संविदा को कानूनी संविदा नहीं कहा जा सकता ।

सजल कुमार मंडल बनाम **इंडियन आयल कारपोरेशन** 519

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 22(1) – अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार – किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाएगा और अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा ।

कुलदीप अग्रवाल बनाम **उत्तराखंड राज्य और अन्य** 487

– अनुच्छेद 299 – संविदाएं – संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई समस्त

पृष्ठ संख्या

संविदाएं, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई कही जाएंगी और वे सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण पत्र राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और रीति से निष्पादित किए जाएंगे जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्दिष्ट या प्राधिकृत करे ।

सजल कुमार मंडल बनाम **इंडियन आयल कारपोरेशन** 519

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)

– धारा 34(1) [सपठित राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29] – भविष्यवर्ती ब्याज किस दर से प्रदान किया जाए – न्यायालय का विवेकाधिकार – प्रत्यर्थियों/निर्णीत ऋणियों ने निष्पादन मामले में सारभूत रकम का संदाय कर दिया, किंतु फिर भी याची/डिक्रीदार ने कोई संगणना ज्ञापन फाइल नहीं किया और प्रत्यर्थियों/निर्णीत ऋणियों की व्यक्तिगत प्रतिभूति भी निरस्त कर दी और उनके विरुद्ध राज्य वित्त निगम अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही भी आरंभ कर दी – अत: प्रत्यर्थियों/निर्णीत ऋणियों के पक्ष में भविष्यवर्ती ब्याज के संबंध में विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है और भविष्यवर्ती ब्याज के रूप में 10 प्रतिशत ब्याज का संदाय उचित है ।

कर्नाटक राज्य फाइनेंशियल कारपोरेशन, रायापुर, धारवार बनाम **अरविंद रामचंद्र अनेगुंडी और अन्य** 541

(2020) 1 सि. नि. प. 447 इलाहाबाद

मेहसीन (मृतक) और एक अन्य

बनाम

बाबू लाल

(2017 की प्रथम अपील संख्या 692)

तारीख 15 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 173 – अपील – मृतक दैनिक मजदूर के रूप में राजमिस्त्री का कार्य करता था, वह कुशल श्रमिक था, अत: सरला वर्मा वाले मामले में अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, माह के 26 दिनों के वेतन के आधार पर मासिक और वार्षिक मजदूरी की संगणना की जाएगी जिसकी आधी राशि पर मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए गुणांक लागू किया जाएगा और प्रतिकर की राशि अभिनिर्धारित की जाएगी ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 – धारा 173 – अपील – अंतिम संस्कार और प्रेम और स्नेह की हानि के शीर्षक के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का निर्धारण – प्रणय सेठी वाले मामले में अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार की बाबत 25,000/- रुपए की रकम और प्रेम और स्नेह की हानि की बाबत 25,000/- रुपए की रकम भी प्रतिकर के रूप में संदेय होगी ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि वर्तमान अपील मोटर दुर्घटना दावा के दावेदारों द्वारा 1988 के मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अधीन 2010 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 191 में गौतमबुद्ध नगर के विशेष न्यायाधीश (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) द्वारा तारीख 19 मई, 2012 को पारित निर्णय और तारीख 13 मई, 2012 को पारित अधिनिर्णय के उपांतरण की ईप्सा करते हुए फाइल की

गई है, जिसके द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दावा याचिका फाइल किए जाने की तारीख से प्रतिकर के रकम के संदाय की तारीख तक 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित 2,08,000/- रुपए की राशि के प्रतिकर का संदाय किए जाने का अधिनिर्णय पारित किया है । दावेदारों ने वर्तमान अपील में प्रतिकर की राशि 2,08,000/- रुपए के प्रतिकर की राशि को 68,20,000/- रुपए की राशि तक बढ़ाए जाने की ईप्सा की है । अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – जहां तक आय का संबंध है हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नियोजक स्वयं साक्षी कठघरे में उपस्थित हुआ और अभिकथन किया कि मृतक को देय दैनिक मजदूरी 380/- रुपए थी । हम इस बाबत कोई कारण नहीं पाते कि अधिकरण ने दैनिक मजदूरी 100/- रुपए कैसे मान ली, चूंकि प्रत्यर्थियों द्वारा यह दर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ यह कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि मृतक की आय 380/- रुपए नहीं थी या वह राजमिस्त्री नहीं था । अधिकरण ने आय की संगणना अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी के आधार पर की है, यद्यपि कुशल व्यक्ति था और वह राजमिस्त्री के रूप में कार्य कर रहा था और राजमिस्त्री की मजदूरी एक अकुशल मजदूर की मजदूरी की अपेक्षा अधिक होती है । इसलिए मृतक की आय 380/- रुपए प्रतिदिन मान ली जानी चाहिए थी किंतु जब हम मासिक आय पर विचार करते हैं, तब हम तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकते हैं कि प्रत्येक नियोजन में सामान्यतः एक साप्ताहिक अवकाश होता है, और इसलिए मृतक द्वारा मजदूरी की प्राप्ति की वास्तविक रसीद 26 दिनों की होनी चाहिए । इस आधार पर मासिक आय 9,880/- रुपए अर्थात् 10,000/- रुपए प्रतिमास बनती है । क्योंकि मृतक अविवाहित था, अतः सरला वर्मा वाले मामले में अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, अविवाहित के मामले में व्यक्तिगत खर्चों की बाबत 50 प्रतिशत की कटौती लागू की जाती है और इस आधार पर मासिक आय 5,000/- रुपए अर्थात् 60,000/- रुपए प्रतिवर्ष के रूप में ली जाती है । 18 के गुणांक से गुणा करने पर प्रतिकर राशि 10,80,000/- रुपए हो जाती है । इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार और प्रेम व स्नेह की हानि के शीर्षक के अधीन संविधान खंडपीठ ने प्रणय सेठी वाले मामले में अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्येक शीर्षक

के अधीन 25,000/- रुपए का संदाय किया जाना चाहिए । इसलिए 10,80,000/- रुपए की राशि में 50,000/- रुपए (प्रत्येक शीर्षक में 25,000/- हजार रुपए) जोड़े जाते हैं और प्रतिकर की कुल रकम 11,30,000/- रुपए हो जाएगी । तद्नुसार हम इस अपील को आंशिक रूप से मंजूर करते हैं । गुणांक और आय के आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय में अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष लागू विधि और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के लिए विपरीत है । तद्नुसार, उक्त निष्कर्षों को एतद्द्वारा पलटा जाता है और इस निर्णय में अभिलिखित निष्कर्षों को प्रतिस्थापित किया जाता है । 2010 की मोटर दावा दुर्घटना याचिका संख्या 191 में अधिकरण द्वारा तारीख 19 अप्रैल, 2012 को पारित निर्णय और तारीख 3 मई, 2012 के अधिनिर्णय को एतदद्वारा इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि अपीलार्थी को संदेय प्रतिकर की रकम 11,30,000/- रुपए होगी और इस रकम पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देय होगा, जैसा कि अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है । संदेय की गई प्रतिकर की रकम जैसा कि ऊपरवर्णित है, को प्रत्यर्थी संगठन 3 द्वारा को अधिकरण के समक्ष दो मास के भीतर जमा की जाएगी यदि कोई राशि पहले जमा की गई हो तो इसमें समायोजित की जाएगी । जमा किए जाने पर यह राशि का संदाय बिना किसी विलंब के दावेदार-अपीलार्थी को किया जाएगा । अपीलार्थी वाद की लागत के लिए भी हकदार होगा, जिसे हम 5,000/- रुपए निर्धारित करते हैं और जो प्रतिकर की पूर्वोक्त रकम के साथ प्रत्यर्थी 3 द्वारा संदेय होगी । (पैरा 20, 21 और 22)

अनुसृत निर्णय

पैरा

[2017] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5157 :
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम **प्रणय सेठी और अन्य** ; 17

[2009] (2009) 6 एस. सी. सी. 121 :
सरला वर्मा (श्रीमती) बनाम **दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य** । 14

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2017 की प्रथम अपील संख्या 692.

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री मकसूद अहमद और परवेज आलम

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री प्रांजल मेहरोत्रा और टी. के. मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने दिया ।

न्या. अग्रवाल और न्या. मिश्रा – यह अपील दावेदारों द्वारा 1988 के मोटर यान अधिनियम की धारा 173 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1988 का अधिनियम" कहा गया है) के अधीन 2010 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 191 (महसीन और अन्य बनाम बाबू और अन्य) में गौतमबुद्ध नगर के विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिकरण' कहा गया है) द्वारा पारित तारीख 19 अप्रैल, 2012 के निर्णय और तारीख 3 मई, 2012 के अधिनिर्णय के उपांतरण की ईप्सा करते हुए फाइल की गई है, जिसके द्वारा अधिकरण ने दावा याचिका के फाइल होने की तारीख से संदाय की तारीख तक 7 प्रतिशत ब्याज के साथ 2,08,000/- रुपए की राशि अधिनिर्णीत की है । दावेदारों ने 2,08,000/- रुपए के प्रतिकर की रकम में 68,20,000/- रुपए की रकम तक की बढ़ोतरी किए जाने का अनुरोध किया है ।

2. दावेदारों-अपीलार्थी ने संख्या 191 बस के चालक बाबू, बस के स्वामी सुधीर अवाना और बीमा कंपनी अर्थात् आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बोर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पक्ष बनाते हुए 2010 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 191 (मेहसीन और एक अन्य बनाम बाबू और अन्य) फाइल की ।

3. दावेदार-अपीलार्थियों के अनुसार, तारीख 10 जून, 2010 को अपराह्न लगभग 6.35 बजे मेहसीन (मृतक) तिपहिया यान, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या डी एल 1 आर एस 0140 पर सवार होकर नोएडा

के सेक्टर 24 से आनंद विहार रेलवे स्टेशन जा रहा था । जैसे ही तिपहिया यान नोएडा के सेक्टर 10 में स्थित सहारा कंपनी के कार्यालय के सामने पहुंचा, बस संख्या डी एल 1 पी बी 0005, जिसे चालक बाबू द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाया जा रहा था, तिपहिया यान में टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप अमीन और उसके साले शब्बीर को गंभीर क्षतियां पहुंचीं । अमीन को नोएडा के सेक्टर 39 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अंततः उसकी मृत्यु हो गई ।

4. दावेदारों के अनुसार, मृतक अमीन की आयु लगभग 25 वर्ष थी और वह मैसर्स श्याम सिंह सिसौदिया एंड संस नामक फर्म की सूरजपुर के कार्यस्थल पर राजमिस्त्री का कार्य करता था और उसकी मासिक आय 10,000/- रुपए थी । इस प्रकार दावेदारों ने 18% ब्याज के साथ प्रतिकर के रूप में 68,20,000/- रुपए के लिए अनुरोध किया ।

5. दावेदारों द्वारा फाइल की गई दावा याचिका की प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने प्रतिरक्षा की । उन्होंने यह अभिकथित करते हुए संयुक्त रूप से लिखित कथन फाइल किया कि प्रतिवादी संख्या 2 सुधीर अवाना बस अर्थात् बस संख्या डी एल 1 पी बी 0005 का रजिस्ट्रीकृत स्वामी था । दुर्घटना की तारीख को यान सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत था और बीमा कंपनी द्वारा बीमाकृत था । प्रतिवादी संख्या 1 बाबू, जो बस का चालक था, के पास उक्त बस के चालान की विधिमान्य अनुज्ञप्ति थी । यदि अधिकरण द्वारा प्रतिकर की कोई राशि निर्धारित कर दी जाती है, तो उसके संदाय का दायित्व बीमा कंपनी पर होगा । क्योंकि दावेदार प्रतिवादी संख्या 1 और 2 से कोई प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, उनके विरुद्ध फाइल की गई दावा याचिका खारिज किए जाने योग्य है ।

6. बीमा कंपनी, जो प्रतिवादी संख्या 3 है ने भी अपना लिखित अभिकथन यह अभिकथित करते हुए फाइल किया कि यान अर्थात् बस संख्या डी एल 1 पी बी 0005 तारीख 8 मार्च, 2010 से 7 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए सम्यक् रूप से बीमाकृत थी । यदि कोई

दुर्घटना कारित हुई है तो वह तिपहिया वाहन के चालक द्वारा बरती गई उपेक्षा के कारण है, जिसमें मृतक अमीन यात्रा कर रहा था । प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह अभिवाक् भी किया गया कि दुर्घटना की तारीख को अभागी बस के चालक के पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी, इसलिए दावेदारों को प्रतिकर का संदाय किए जाने का दायित्व बीमा कंपनी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता ।

7. पक्षकारों के अभिवाकों के आधारपर, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने निम्नलिखित चार विवाद्यक विरचित किए :-

1. क्या तारीख 10 जून, 2010 को अपराह्न लगभग 6.35 बजे नोएडा के सेक्टर 10 स्थित सहारा कंपनी के कार्यालय के निकट रजिस्ट्रेशन संख्या डी एल 1 पी बी 0005 धारण करने वाली बस उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण चालन के कारण रजिट्रेशन संख्या डी एल 1 आर एच 0140 धारण करने वाले तिपहिया यान से टकरा गई थी जिसके परिणामस्वरूप अमीन, जो उस तिपहिया यान का चालन कर रहा था को क्षतियां कारित हुईं अमीन को पहुंची क्षतियों के कारण, अंततः उसकी मृत्यु हो गई ?

2. क्या रजिस्ट्रेशन संख्या डी एल 1 आर एच 0140 धारण करने वाले तिपहिया यान द्वारा भी योगदायी उपेक्षा कारित की गई है ?

3. क्या बस संख्या डी एल 1 पी बी 0005 का चालक दुर्घटना की तारीख को विधिमान्य और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति का धारक था ? यदि नहीं तो इसके प्रभाव है ।

4. क्या दावेदार किसी प्रतिकर के संदाय के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

8. विवाद्यक विरचित किए जाने के पश्चात्, पक्षकारों ने विचारण का सामना किया । पक्षकारों ने अपने पक्षकथन के समर्थन में याची साक्षी-1 मेहसीन याची साक्षी-2 शब्बीर, याची साक्षी-3 नोमीन और याची साक्षी-4 प्रवेश सिसोदिया को साक्षी के रूप में पेश किया । दावेदारों

द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य भी फाइल किए गए जैसा कि आक्षेपित निर्णय के पैरा 6 में विस्तृत किया गया है । प्रतिवादी ने अपनी प्रतिरक्षा में प्रतिवादी साक्षी-1 के रूप में आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बोर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विधिक प्रबंधक विवेक यादव और प्रतिवादी साक्षी 2 के रूप में मुरादाबाद के सड़क परिवहन अधिकारी के कार्यालय के लिपिक, शरद राजन दीक्षित को पेश किया । प्रतिवादियों ने भी अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी फाइल किए हैं । इन दस्तावेजों को आक्षेपित निर्णय के पैरा 7 में विस्तारपूर्वक उल्लिखित किया गया है ।

9. अधिकरण ने तारीख 19 अप्रैल, 2012 के निर्णय और तारीख 13 मई, 2012 के अधिनिर्णय द्वारा 2010 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 191 (मेहसीन और एक अन्य बनाम बाबू और अन्य) को निर्णीत कर दिया । विवाद्यक संख्या 1 और 2 को एक साथ निर्णीत किया गया । अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना तारीख 10 जून, 2010 को पूर्वाह्न 6:35 बजे बस संख्या डी एल 1 पी बी 0005 द्वारा के चालक बाबू द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण चालन के कारण घटित हुई थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी तिपहिया यान संख्या डी एल 1 आर एच 0140 से टक्कर हो गई थी जिसके कारण अमीन को गंभीर क्षतियां पहुंचीं, जिसकी अंततः मृत्यु हो गई । दावा अधिकरण ने आगे अभिनिर्धारित किया कि न तो तिपहिया यान के स्वामी और न ही उसके चालक को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त यहां तक की अभागी बस का चालक अर्थात् बाबू को भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि तिपहिया यान के चालक द्वारा योगदायी उपेक्षा की गई ।

10. विवाद्यक संख्या 3 को बस संख्या डी एल 1 पी बी 0005 के चालक के पक्ष में निर्णीत किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि दुर्घटना की तारीख को उसके पास विधिमान्य और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी ।

11. विवाद्यक संख्या 4 दावेदारों के पक्ष में निर्णीत किया गया ।

अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना की तारीख पर मृतक अमीन की आयु 25 वर्ष थी और वह राजमिस्त्री के रूप में कार्य करता था जिस तथ्य को याची-साक्षी 4 के प्रवेश सिसोदिया मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया गया । तथापि, अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की आय 100/- रुपए प्रतिदिन अर्थात् 3,000/- रुपए प्रतिमाह थी । यदि मृतक के 50% व्यक्तिगत खर्चों के बाबत कटौती की जाए तो 18,000/- रुपए प्रतिवर्ष शेष रह जाएगी । इस आय पर अधिकरण ने 11 का गुणांक लागू किया और तद्नुसार 1,98,000/- रुपए के रूप में प्रतिकर की रकम संगणना के रूप में 1,98,000/- रुपए की । अधिकरण ने अंतिम संस्कार के खर्चों के बाबत 5,000/- रुपए की राशि भी अधिनिर्णीत की । इस प्रकार अधिकरण द्वारा 2,08,000/- रुपए की कुल रकम अधिनिर्णीत की गई जिस पर दावा याचिका फाइल किए जाने की तारीख से संदाय की तारीख तक 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा ।

12. दावेदारों ने अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम से असंतुष्ट होकर 1988 के मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है ।

13. हमने दावेदारों-अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल श्री परवेज आलम, प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् काउंसेल श्री प्रांजल मेहरोत्रा की ओर से उपस्थित श्री अंजनी कुमार मिश्रा को सुना । यद्यपि वाद सूची को पुनरीक्षित किया फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि अधिवक्ता श्री टी. के. मिश्रा का नाम वाद सूची में सम्यक् रूप से दर्शित है ।

14. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री परवेज आलम ने निवेदन किया कि अधिकरण ने 11 के गुणांक को लागू करने में त्रुटि की है । उन्होंने **सरला वर्मा (श्रीमती)** बनाम **दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 40, 41, 42 और 49 को निर्दिष्ट किया है । उन्होंने आगे दलील दी कि दावेदारों द्वारा प्रस्तुत

[1] (2009) 6 एस. सी. सी. 121.

किए गए साक्ष्य से मृतक अमीन की प्रतिदिन 380/- रुपए प्रतिदिन की आय सम्यक् रूप से साबित हुई हैं चूंकि वह राजमिस्त्री के रूप में कार्य करता था जबकि अधिकरण ने यह उपधारणा करते हुए कि वह मजदूर के रूप में कार्य करता था, मृतक की आय त्रुटिपूर्वक 100/- रुपए प्रतिदिन परिकल्पित की है । याची साक्षी-4 प्रवेश सिसोदिया, जो मैसर्स श्याम सिंह सिसोदिया एंड संस का कर्ताधर्ता है, के मौखिक परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने के प्रयोजनार्थ कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसने यह स्पष्ट कथन किया है कि मृतक 380/- रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर कार्य करता था । अतः मृतक की आय 380/- रुपए प्रतिदिन मानी जानी चाहिए । अंततः, यह दलील दी गई कि अधिकरण ने **सरला वर्मा** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेकर व्यक्तिगत खर्चों के बाबत मृतक की आय को आधी सीमा तक घटा कर गलती की है ।

15. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से विद्वान् कांउसेल प्रती प्रांजल मिश्रा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार मिश्रा ने आक्षेपित निर्णय और अधिनियम का समर्थन उसमें अभिलिखित किए गए निष्कर्षों के आधार पर किया । उन्होंने आगे दलील दी है कि न तो अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को और न ही उन निष्कर्षों के समर्थन में अभिलिखित तर्कों को अवैध, विकृत या त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है ।

16. अभिलेख के परिशीलन से, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिकरण ने 11 के गुणांक को लागू किए जाने के प्रयोजनार्थ 1988 के अधिनियम की अनुसूची 2 का अवलंब लिया है । उच्चतम न्यायालय ने **सरला वर्मा** (उपरोक्त) वाले मामले में यह मताभिव्यक्ति की कि 1988 के अधिनियम की धारा 166 के अधीन आच्छादित मामले में और जहां मृतक की आयु 15-20 वर्ष और 21-25 वर्ष की आयु समूह में आती है, तो वहां पर 18 का गुणांक लागू होना चाहिए । निर्णय के पैरा 40, 41, 42 और 49 में यह मताभिव्यक्ति की गई है :–

> "40. सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्र और चार्ली (मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन दावे के लिए) वाले मामलों में

उपदर्शित गुणांकों को मोटर यान अधिनियम की धारा 163क के अधीन फाइल किए गए दावों के प्रयोजनार्थ द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित गुणांकों सहित नीचे तालिका में प्रदर्शित किया गया है :-

मृतक की आयु	सुसम्मा थॉमस वाले मामले में उल्लिखित के गुणांक स्केल	त्रिलोक चन्द्र वाले मामले में प्रयुक्त गुणांक स्केल	त्रिलोक चन्द्र वाले में दर्शित गुणांक स्केल जिन्हें चार्ली वाले मामले में स्पष्ट किया गया	मोटर यान अधिनियम की द्वितीय अनूसूची में सारणी में द्वितीय स्तंभ में विनिर्दिष्ट गुणांक	मोटर यान अधिनियम की (जैसा कि प्रतिकर की मात्रा से दिखाया) की द्वितीय अनुसूची में प्रयुक्त वास्तविक गुणांक
1	2	3	4	5	6
15 वर्ष तक	-	-	-	15	20
15 से 20 तक	16	18	18	16	19
21 से 25 वर्ष तक	15	17	18	17	18
26 से 30 वर्ष तक	14	16	17	18	17
31 से 35 वर्ष तक	13	15	16	17	16
36 से 40 वर्ष तक	12	14	15	16	15
41 से 45 वर्ष तक	11	13	14	15	14
46 से 50 वर्ष तक	10	12	13	13	12
51 से 55 वर्ष तक	9	11	11	11	10

56 से 60 वर्ष तक	8	10	9	8	8
61 से 65 वर्ष तक	6	8	7	5	6
65 वर्ष से अधिक	5	5	5	5	5

41. अधिकरण/न्यायालय विभिन्न क्रियात्मक गुणांकों का सहारा लेते हैं और उनको लागू करते हैं । कुछ **सुसम्मा थॉमस** वाले मामले के संदर्भ में प्रयुक्त गुणांक का अनुसरण करते हैं; (उल्लेख) जिसको उपरोक्त सारणी के स्तम्भ-2 में किया गया है; कुछ **त्रिलोक चन्द्र** वाले मामले के संदर्भ में प्रयुक्त गुणांक का अनुसरण करते हैं (जिसका उल्लेख उपरोक्त सारणी के स्तम्भ-3 में किया गया है); कुछ चार्ली वाले मामले (उपरोक्त सारणी के स्तम्भ-4 में स्थापित) के संदर्भ में प्रयुक्त गुणांक का अनुसरण करते हैं जिसका उल्लेख उपरोक्त सारणी के स्तम्भ-4 में किया गया है); किंतु अधिकांश मोटर यान अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित सारणी के द्वितीय स्तंभ में दिए गए गुणांक का अनुसरण करते हैं, (जिसको उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 में उद्धृत किया गया है); और कुछ प्रतिकर की मात्रा के संगणन के प्रयोजनार्थ द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित वास्तविक गुणांक का अनुसरण करते हैं, जिसका उल्लेख उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 में किया जाएगा । उदाहरण के लिए यदि मृतक की आयु 38 वर्ष है तो सुसम्मा थॉमस वाले मामले के अनुसार 12, के गुणांक का अनुसरण किया जाएगा **त्रिलोक चंद्र** वाले मामले के अनुसार 14, के गुणांक का अनुसरण किया जाएगा **चार्ली** या मोटर यान अधिनियम की द्वितीय सूची का स्तम्भ (2) में दिए गए गुणांक के अनुसार 16 या मोटर यान अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में वास्तविक उल्लिखित गुणांक के अनुसार गुणांक 15 का अनुसरण किया जाएगा । कुछ अधिकरण जैसे कि इस मामले में, सेवानिवृत्ति की आयु के संदर्भ में सेवा के शेष वर्षों को लेते हुए 22 के गुणांक को

लागू करते है । यह आवश्यक है कि इस प्रकार की असंगतता से बचा जाए । इस मामले में हम मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन आने वाले मामलों से सम्बद्ध हैं, न कि धारा 163क के अधीन आने वाले मामलों से । मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन आने वाले मामले में डेविस पद्धति लागू होती है ।

42. अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि वह गुणांक जिसका प्रयोग उपरोक्त सारणी में किया जाना है, उपरोक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित होनी चाहिए (जिसे सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्र और चार्ली वाले मामलों में प्रयुक्त गुणांकों को लागू करते हुए तैयार किया गया है), जिसे 18 के क्रियात्मक गुणज के साथ (15-20 और 21-25 वर्षों के आयु समूहों के लिए) आरंभ किया गया है अर्थात् 26-30 वर्ष के आयु समूह के लिए एम-17,31-35 वर्ष के आयु समूह के लिए एम-16, 36-40 वर्ष, के आयु समूह के लिए एम-15, 41-45 वर्ष के आयु समूह के लिए एम-14 और 46-50 वर्ष के आयु समूह के लिए एम-13, तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्षों के लिए दो गुणांकों द्वारा घटाते हुए अर्थात् 51-55 वर्ष के लिए एम-11, 56-60 वर्ष के लिए एम-9, 61-65 वर्ष के लिए एम-7 और 66 से 70 वर्ष के लिए एम-5 ।

43. * * * * *

44. * * * * *

45. * * * * *

49. मृतक कुटुंब का कमाने वाला सदस्य होने के नाते कुटुम्ब के अन्य सदस्यों की अपेक्षा स्वयं अपने ऊपर अधिक खर्च करता, इस तथ्य के बावजूद कि वह यात्रा/यातायात और अन्य जरूरतों पर खर्च करता । अतः हमारा यह विचार है कि न्याय हित दृष्टि की पूर्ति तभी होगी यदि मृतक के व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के रूप में पांचवें भाग की कटौती की जाती । ऐसी कटौती के पश्चात्, कुटुंब (आश्रितों) का अंशदान 57,658/- रुपए प्रतिवर्ष

विनिर्धारित हो जाता है । मृत्यु के समय मृतक की आयु (38 वर्ष) को ध्यान में रखते हुए 15 का गुणांक लागू होगा । इसलिए, मृतक के आश्रितों की कुल हानि 57658 × 15 = 864870/- रुपए होगी ।

17. गुणांक संबंध में **सरला वर्मा** (उपरोक्त) वाले ममाले में दिए गए निर्णय की पुष्टि में विधान न्यायपीठ द्वारा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **प्रणय सेठी और अन्य**[1] वाले माले में यह अभिनिर्धारित करते हुए की गई है :–

"(vi) गुणांक का चयन **सरला वर्मा** (उपरोक्त) वाले मामले में उपदर्शित गुणांक के अनुसार होगा ।"

18. जब बीमा कंपनी के विद्वान् काउंसेल द्वारा विवाद को मृतक की आयु के संबंध में चुनौती दी गई, तो वे इस बात को विवादित नहीं कर सके कि मृतक की आयु 25 वर्ष प्रतीत की गई है, इसलिए अधिकरण द्वारा लागू किया गया गुणांक स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और इसे 18 होना चाहिए न कि 11 का गुणांक ।

19. इसलिए, अधिकरण के निर्णय और अधिनिर्णय को उस सीमा तक जहां तक 11 के गुणांक को लागू किया गया है 18 के गुणांक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के द्वारा उपांतरित किया जाता है ।

20. जहां तक आय का संबंध है हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नियोजक स्वयं साक्षी कठघरे में उपस्थित हुआ और अभिकथन किया कि मृतक को देय दैनिक मजदूरी 380/- रुपए थी । हम इस बाबत कोई कारण नहीं पाते कि अधिकरण ने दैनिक मजदूरी 100/- रुपए कैसे मान ली, चूंकि प्रत्यर्थियों द्वारा यह दर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ यह कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि मृतक की आय 380/- रुपए नहीं थी या वह राजमिस्त्री नहीं था । अधिकरण ने आय की संगणना अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी के आधार पर की है, यद्यपि कुशल व्यक्ति था और वह राजमिस्त्री के रूप में कार्य कर रहा था और राजमिस्त्री की

---

[1] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5157.

मजदूरी एक अकुशल मजदूर की मजदूरी की अपेक्षा अधिक होती है । इसलिए मृतक की आय 380/- रुपए प्रतिदिन मान ली जानी चाहिए थी किंतु जब हम मासिक आय पर विचार करते हैं, तब हम तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकते हैं कि प्रत्येक नियोजन में सामान्यतः एक साप्ताहिक अवकाश होता है, और इसलिए मृतक द्वारा मजदूरी की प्राप्ति की वास्तविक रसीद 26 दिनों की होनी चाहिए । इस आधार पर मासिक आय 9,880/- रुपए अर्थात् 10,000/- रुपए प्रतिमास बनती है । क्योंकि मृतक अविवाहित था, अतः **सरला वर्मा** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, अविवाहित के मामले में व्यक्तिगत खर्चों के बाबत 50 प्रतिशत की कटौती लागू की जाती है और इस आधार पर मासिक आय 5,000/- रुपए अर्थात् 60,000/- रुपए प्रतिवर्ष के रूप में ली जाती है । 18 के गुणांक से गुणा करने पर प्रतिकर राशि 10,80,000/- रुपए हो जाती है । इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार और प्रेम व स्नेह की हानि के शीर्षक के अधीन संविधान खंडपीठ ने **प्रणय सेठी** (उपरोक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्येक शीर्षक के अधीन 25,000/- रुपए का संदाय किया जाना चाहिए । इसलिए 10,80,000/- रुपए की राशि में 50,000/- रुपए (प्रत्येक शीर्षक में 25,000/- हजार रुपए) जोड़े जाते हैं और प्रतिकर की कुल रकम 11,30,000/- रुपए हो जाएगी ।

21. तद्नुसार हम इस अपील को आंशिक रूप से मंजूर करते हैं । गुणांक और आय के आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय में अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष लागू विधि और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के लिए विपरीत है । तद्नुसार, उक्त निष्कर्षों को एतद्द्वारा पलटा जाता है और इस निर्णय में अभिलिखित निष्कर्षों को प्रतिस्थापित किया जाता है । 2010 की मोटर दावा दुर्घटना याचिका संख्या 191 में अधिकरण द्वारा तारीख 19 अप्रैल, 2012 को पारित निर्णय और तारीख 3 मई, 2012 के अधिनिर्णय को एतद्द्वारा इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि अपीलार्थी को संदेय प्रतिकर की रकम 11,30,000/- रुपए होगी और इस रकम पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देय होगा, जैसा कि अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है ।

22. संदेय की गई प्रतिकर की रकम जैसा कि ऊपरवर्णित है, को प्रत्यर्थी संगठन 3 द्वारा को अधिकरण के समक्ष दो मास के भीतर जमा की जाएगी यदि कोई राशि पहले जमा की गई हो तो इसमें समायोजित की जाएगी । जमा किए जाने पर यह राशि का संदाय बिना किसी विलंब के दावेदार-अपीलार्थी को किया जाएगा । अपीलार्थी वाद की लागत के लिए भी हकदार होगा, जिसे हम 5,000/- रुपए निर्धारित करते हैं और जो प्रतिकर की पूर्वोक्त रकम के साथ प्रत्यर्थी 3 द्वारा संदेय होगी ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

मही./शुक्ला

(2020) 1 सि. नि. प. 461 **इलाहाबाद**

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

श्रीमती मूर्ति देवी और एक अन्य

(1989 की प्रथम अपील संख्या 851)

तारीख 13 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति डा. कौशल जयेन्द्र ठाकेर

मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) – धारा 95 [सपठित मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 92क] – मृतक के आश्रितों के द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन – अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील – यदि दायित्व की सीमा पालिसी के आधार पर तर्कपूर्ण साक्ष्य द्वारा सीमित नहीं है और यह साबित हो जाता है कि तृतीय पक्ष के बीमा के लिए अलग से प्रीमियम वसूला गया था तो यह नहीं माना जा सकता कि पालिसी सीमित प्रयोजनों के लिए थी ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि दुर्घटना तारीख 2 जुलाई, 1984 को घटित हुई, जब मृतक अपनी साईकल से जा रहा था उसी समय एक

ट्रक चालन उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक किया जा रहा था, ने मृतक को टक्कर मार दी, जिस कारणवश उसकी मृत्यु हो गई । दुर्घटना विवादित नहीं है और इसलिए मृतक के आश्रितों द्वारा दावा याचिका उल्लंघनकारी यान के चालक और स्वामी और साथ ही बीमा कंपनी के विरुद्ध फाइल की गई । अधिकरण ने पक्षकारों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् दावा याचिका मंजूर कर और दावेदार के पक्ष में 33,000/- रुपए का अधिनिर्णय पारित कर दिया । बीमा कंपनी ने अधिकरण के इस अधिनिर्णय से व्यथित होकर यह अपील फाइल की है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् अधिकरण ने इस मामले में न्यूनतम दायित्व वाली संविदा और कानूनी दायित्व वाली की संविदा के मध्य अंतर घिसपिटी चर्चा की हैं और यह साबित हो जाता है कि दायित्व पालिसी के ही आधार पर तर्कपूर्ण साक्ष्य इस बाबत सीमित नहीं है कि 29 यात्रियों के लिए 348/- रुपए का अतिरिक्त प्रीमियम वसूला गया था । तृतीय पक्षकार बीमा के रूप में 75/- रुपए लिए थे और इसलिए उस कालखंड में दिए गए विनिश्चयों के प्रकाश में उस पालिसी का प्रस्तुतीकरण सीमित प्रयोजन के लिए था और कि दायित्व केवल 15,000/- रुपए तक सीमित था । इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता । मैं अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत हूं और इसलिए यह अपील विफल होती है और खारिज की जाती है । इस अपील में कोई अन्य राशि जमा करने का कोई प्रश्न उद्भूत नहीं होता, चूंकि अपीलार्थी को इस अपील पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ पूर्वशर्त के रूप में संपूर्ण धनराशि जमा करने का निर्देश दिया गया था । अंतरिम अनुतोष का आदेश समाप्त किया जाता है । (पैरा 5 और 9)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 1989 की प्रथम अपील संख्या 851.

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री बृजेश चन्द्र नाईक

प्रत्यर्थियों की ओर से कोई नहीं

न्यायमूर्ति डा. कौशल जयेन्द्र ठाकेर – अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री बी. सी. नाईक को सुना ।

2. बीमा कंपनी इस अपील के माध्यम से इलाहाबाद के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित 1984 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 92 में तारीख 10 मई, 1989 के निर्णय और डिक्री से व्यथित है, जिसके द्वारा 33,000/- रुपए प्रदान किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है ।

3. अभिलेख पर उपलब्ध संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दुर्घटना तारीख 2 जुलाई, 1984 को घटित हुई, जब मृतक अपनी साइकिल से जा रहा था, उसी समय एक ट्रक, जिसका चालन उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक किया जा रहा था, आया और मृतक को टक्कर मार दी तथा जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई । दुर्घटना विवादित नहीं है, और इसलिए दावेदार द्वारा दावा याचिका उल्लंघनकारी यान के चालक और स्वामी और साथ ही बीमा कंपनी के विरुद्ध फाइल की गई । अधिकरण ने पक्षकारों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् दावा याचिका मंजूर कर ली और दावेदार के पक्ष में 33,000/- रुपए का अधिनिर्णय पारित कर दिया ।

4. अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा मुख्य दलील यह दी गई है कि 1939 के मोटर यान अधिनियम की धारा 95(2) के अधीन बीमा कंपनी का दायित्व केवल 15,000/- रुपए तक सीमित था और अधिकरण ने पालिसी के आवरण नोट को गलत पढ़ा और इसलिए यह निवेदन किया गया कि अधिकरण ने अभिनिर्धारित करने में यह त्रुटि कारित की कि बीमा कंपनी द्वारा 348/- रुपए का अतिरिक्त प्रीमियम वसूला गया था, और चूंकि यात्रियों के लिए पृथक् रूप से अधिभार प्राप्त किया गया था, इसलिए यह निवेदन किया गया कि अधिकरण द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अशुद्ध है क्योंकि यात्रियों के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रीमियम नहीं वसूला गया था और उनका दायित्व केवल 15,000/- रुपए तक सीमित था ।

5. विद्वान् अधिकरण ने इस मामले में न्यूनतम दायित्व वाली संविदा और कानूनी दायित्व वाली की संविदा के मध्य अंतर घिसपिटी चर्चा की हैं और यह साबित हो जाता है कि दायित्व पालिसी के ही

आधार पर तर्कपूर्ण साक्ष्य इस बाबत सीमित नहीं है कि 29 यात्रियों के लिए 348/- रुपए का अतिरिक्त प्रीमियम वसूला गया था । तृतीय पक्षकार बीमा के रूप में 75/- रुपए लिए थे और इसलिए उस कालखंड में दिए गए विनिश्चयों के प्रकाश में उस पालिसी का प्रस्तुतीकरण सीमित प्रयोजन के लिए था और कि दायित्व केवल 15,000/- रुपए तक सीमित था । इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

6. 1939 के मोटर यान अधिनियम की धारा 95 सपठित धारा 95(क) इस प्रकार है :-

"धारा 95 : पालिसियों की अपेक्षाएं तथा दायित्व की सीमाएं - (1) इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए बीमा पालिसी ऐसी होनी चाहिए, जो -

[(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकृत बीमाकर्ता है दी गई है ; और

(ख) पालिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों का उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निम्नलिखित के लिए बीमा करती है,] अर्थात् –

(i) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत यान में ले जाए जाने वाले माल का स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि है, मृत्यु या शारीरिक क्षति होने अथवा किसी पर व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बाबत उसके द्वारा उपगत दायित्व ;

(ii) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति :

परंतु कोई पालिसी –

(i) उस पालिसी द्वारा बीमाकृत किसी व्यक्ति के कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई मृत्यु के

संबंध में अथवा ऐसे कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई शारीरिक क्षति के संबंध में ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी, जो किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु या उसकी शारीरिक क्षति की बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन होने वाले दायित्व से भिन्न है जो, –

(क) यान चलाने में नियोजित है, या

(ख) सार्वजनिक सेवा यान की दशा में, उस यान के कंडक्टर के रूप में, अथवा उस यान पर टिकटों की जांच करने में नियोजित है, या

(ग) माल वहन की दशा में, उस यान में वहन किया जा रहा है, या

(ii) .....

(iii) किसी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अथवा पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति के नुकसान को इस बात के होते हुए भी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है या जिसे क्षति पहुंची है या जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचा है वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान में नहीं था या थी, उस दशा में सार्वजनिक स्थान में यान के उपयोग से ही समझा जाएगा जबकि वह कार्य या लोप, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई, सार्वजनिक स्थान में हुआ था ।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा पालिसी के अन्तर्गत किसी दुर्घटना की बाबत उपगत कोई दायित्व निम्नलिखित सीमाओं तक होगा, अर्थात् –

(क) उस पालिसी द्वारा बीमाकृत किसी व्यक्ति के कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई मृत्यु के

संबंध में अथवा ऐसे कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई शारीरिक क्षति के संबंध में ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी, जो किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु या उसकी शारीरिक क्षति की बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन होने वाले दायित्व से भिन्न है जो, –

(ख) पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को हुए नुकसान की बाबत, छह हजार रुपए की सीमा :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले सीमित दायित्व वाली बीमा पालिसी जो प्रवृत्त है, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् चार मास की अवधि के लिए अथवा ऐसी पालिसी की समाप्ति की तारीख एक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी बनी रहेगी ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पालिसी तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसने पालिसी कराई है बीमा-प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में और किन्हीं शर्तों की, जिन पर वह पालिसी दी गई है, तथा किन्हीं, अन्य विहित बातों को, विहित विशिष्टियों सहित नहीं दे दिया जाता; और भिन्न-भिन्न मामलों के लिए भिन्न-भिन्न प्ररूप, विशिष्टियां और बातें विहित की जा सकेंगी ।

(4) जहां इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन बीमाकर्ता द्वारा दिए गए कवर नोट की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के सात दिन के अंदर यह बात उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को, जिसके अभिलेख में कवर नोट से संबंधित यान रजिस्ट्रीकृत है अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो राज्य सरकार विहित करे ; अधिसूचित करेगा ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता जो इस धारा के अधीन बीमा पालिसी देता है, उस व्यक्ति की या उन वर्गों के व्यक्तियों की जो पालिसी में

विनिर्दिष्ट है, किसी ऐसे दायित्व की बाबत क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसकी उस व्यक्ति या उन वर्गों के व्यक्तियों की जो पालिसी में विनिर्दिष्ट है, किसी ऐसे दायित्व की बाबत क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसकी उस व्यक्ति या उन वर्गों के व्यक्तियों के मामले में पूर्ति के लिए वह पालिसी तात्पर्यित है ।

धारा 92क : त्रुटि न होने के सिद्धांत पर कतिपय मामलों में प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व – (1) जहां मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग में हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता हुई है वहां, यथास्थिति, यान का स्वामी या ऐसी मृत्यु या निःशक्तता के बारे में प्रतिकर का संदाय इस धारा के उपबंधों के अनुसार संयुक्ततः और पृथक्तः करने के लिए दायी होंगे ।

(2) ऐसे प्रतिकर की रकम, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में उपधारा (1) के अधीन संदेय होगी, पचास हजार रुपए की नियत राशि होगी और किसी व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता के बारे में उस उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम, (पच्चीस हजार रुपए) की नियत राशि होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में दावेदार से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवाक् दे और यह सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसके बारे में प्रतिकर का दावा किया गया है संबंधित यान या यानों के स्वामी या स्वामियों के या किसी अन्य व्यक्ति के किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए दावा, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति के जिसकी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में दावा किया गया है, किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण विफल नहीं होगा और ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में वसूलीय प्रतिकर की मात्रा ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के उत्तरदायित्व में ऐसे व्यक्ति के अंश के आधार पर कम नहीं की जाएगी ।"

7. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 147 जिसमें धारा 95 के लिए पठित समविषयक इस प्रकार है :-

"147" **पालिसियों की अपेक्षाएं तथा दायित्व की सीमाएं** - (1) इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए बीमा पालिसी ऐसी होनी चाहिए, जो -

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकृत बीमाकर्ता है दी गई है; और

[(ख) पालिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निम्नलिखित के लिए बीमा करती है,] अर्थात् –

(i) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति होने अथवा किसी पर व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बाबत उसके द्वारा उपगत दायित्व;

(ii) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति :

परंतु कोई पालिसी –

(i) उस पालिसी द्वारा बीमाकृत किसी व्यक्ति के कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई मृत्यु के संबंध में अथवा ऐसे कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई शारीरिक क्षति के संबंध में ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी, जो किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु या उसकी शारीरिक क्षति की बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन होने वाले दायित्व से भिन्न है जो,–

(क) यान चलाने में नियोजित है, या

(ख) सार्वजनिक सेवा यान की दशा में, उस यान के

कंडक्टर के रूप में, अथवा उस यान पर टिकटों की जांच करने में नियोजित है, या

(ग) माल वहन की दशा में, उस यान में वहन किया जा रहा है, या

(ii) किसी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अथवा पर व्यक्ति की किसी संपत्ति के नुकसान को इस बात के होते हुए भी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है या जिसे क्षति पहुंची है या जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचा है वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान में नहीं था या थी, उस दशा में सार्वजनिक स्थान में यान के उपयोग से ही समझा जाएगा जबकि वह कार्य या लोप, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई, सार्वजनिक स्थान में हुआ था ।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा पालिसी के अन्तर्गत किसी दुर्घटना की बाबत उपगत कोई दायित्व निम्नलिखित सीमाओं तक होगा, अर्थात् –

(क) खंड (ख) में यथाउपबंधित के सिवाय, उपगत दायित्व की रकम ;

(ख) पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को हुए नुकसान की बाबत, छह हजार रुपए की सीमा :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले सीमित दायित्व वाली बीमा पालिसी जो प्रवृत्त है, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् चार मास की अवधि के लिए अथवा ऐसी पालिसी की समाप्ति की तारीख एक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी बनी रहेगी ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पालिसी तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसने पालिसी कराई है बीमा-प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में और किन्हीं

शर्तों की, जिन पर वह पालिसी दी गई है, तथा किन्हीं, अन्य विहित बातों को, विहित विशिष्टियों सहित नहीं दे दिया जाता; और भिन्न-भिन्न मामलों के लिए भिन्न-भिन्न प्ररूप, विशिष्टियां और बातें विहित की जा सकेंगी ।

(4) जहां इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन बीमाकर्ता द्वारा दिए गए कवर नोट की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के सात दिन के अंदर यह बात उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को, जिसके अभिलेख में कवर नोट से संबंधित यान रजिस्ट्रीकृत है अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो राज्य सरकार विहित करे ; अधिसूचित करेगा ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता जो इस धारा के अधीन बीमा पालिसी देता है, उस व्यक्ति की या उन वर्गों के व्यक्तियों की जो पालिसी में विनिर्दिष्ट है, किसी ऐसे दायित्व की बाबत क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसकी उस व्यक्ति या उन वर्गों के व्यक्तियों की जो पालिसी में विनिर्दिष्ट है, किसी ऐसे दायित्व की बाबत क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसकी उस व्यक्ति या उन वर्गों के व्यक्तियों के मामले में पूर्ति के लिए वह पालिसी तात्पर्यित है ।

149. **पर-व्यक्ति जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध हुए निर्णयों और अधिनिर्णयों की तुष्टि करने का बीमाकर्ताओं का कर्तव्य** – (1) यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में, जिसने पालिसी कराई है, धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा-प्रमाणपत्र दे दिए जाने के पश्चात्, धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन पालिसी द्वारा पूरा करने के लिए अपेक्षित दायित्व के संबंध में (जो दायित्व पालिसी के निबंधनों के अंतर्गत है) ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय या अधिनिर्णय अभिप्राप्त कर लिया जाता है जिसका पालिसी द्वारा बीमा किया हुआ है तो इस बात के होते हुए भी कि बीमाकर्ता पालिसी को शून्य करने या रद्द करने का हकदार है अथवा उसने पालिसी शून्य या रद्द कर दी है, बीमाकर्ता

इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए डिक्री की फायदा उठाने के हकदार व्यक्ति को, उस दायित्व के सबंध में उसके अधीन देय राशि, जो बीमाकृत-राशि से अधिक न होगी, खर्चों की बाबत देय किसी रकम तथा निर्णयों पर ब्याज संबंधी किसी अधिनियमिति के आधार पर उस राशि पर ब्याज की बाबत देय किसी धनराशि सहित हर प्रकार देगा मानो वह निर्णीतऋणी हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि, किसी निर्णय या अधिनिर्णय के संबंध मे तभी देय होगी जब उन कार्यवाहियों के प्रारंभ के पूर्व जिनमें निर्णय या अधिनिर्णय के संबंध में जब तक उसका निष्पादन अपील के लंबित रहने पर रोक दिया गया है सूचना, यथास्थिति न्यायालय या दावा अधिकरण के माध्यम से मिल चुकी थी अन्यथा नहीं, और कोई बीमाकर्ता को उन कार्यवाहियों के लाए जाने की अथवा किसी निर्णय या अधिनिर्णय के संबंध में जब तक उसका निष्पादन अपील के लंबित रहने पर रोक दिया गया है सूचना, यथास्थिति न्यायालय या दावा अधिकरण के माध्यम से मिल चुकी थी अन्यथा नहीं, और कोई बीमाकर्ता जिसे ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों के लाए जाने की सूचना इस प्रकार दी गई है, उसका पक्षकार बनाए जाने और निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर प्रतिवाद करने का हकदार होगा, अर्थात् –

(क) पालिसी की किसी विनिर्दिष्ट शर्तों को भंग किया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक है, अर्थात् –

(i) ऐसी शर्तें, जो यान का निम्नलिखित दशाओं में उपयोग किया जाना अपवर्जित करती है, अर्थात् –

(क) भाड़े या पारिश्रमिक के लिए, जब वह यान बीमा संविदा की तारीख को ऐसा यान है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर परमिट के अंतर्गत नहीं है, या

(ख) आयोजित दौड़ और गति परीक्षा के लिए, या

(ग) जिस परमिट के अधीन यान का उपयोग किया जाता है उसके द्वारा अनुज्ञात न किए गए, प्रयोजन के लिए, जब वह यान परिवहन यान है, या

(घ) साइड कार संलग्न किए बिना, जब यान मोटर साइकिल है, या

(ii) ऐसी शर्तें जो नामित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त नहीं है या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे चालन अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने से निरर्हित कर दिया गया है, निरर्हित की अवधि के दौरान, यान का चलाया जाना अपवर्जित करती है ; या

(iii) ऐसी शर्तें जो युद्ध, गृहयुद्ध, बल्वे या सिविल अंशाति की स्थिति के कारण या उसके योगदान से हुई क्षति के लिए दायित्व अपवर्जित करती है ; या

(ख) वह पालिसी इस आधार पर शून्य है कि वह किसी तात्विक तथ्य के प्रकट न किए जाने से, अथवा ऐसे तथ्य के व्यपदेशन से, जिसकी कोई तात्विक विशिष्ट मिथ्या है, अभिप्राप्त की गई थी ।

(3) जहां कोई ऐसा निर्णय, जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, किसी व्यतिकारी देश के न्यायालय से अभिप्राप्त किया गया है तथा विदेशी निर्णय की दशा में वह उस विषय की बाबत, जिसका न्यायनिर्णयन उसके द्वारा किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 13 उपबन्धों के आधार पर निश्चायक है वहां बीमाकर्ता [जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता है, भले ही वह व्यतिकारी देश की तत्समान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो] डिक्री का फायदा उठाने के हकदार व्यक्ति के प्रति उस रीति से और उस विस्तार तक जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, ऐसे दायी होगा मानो वह निर्णय भारत के किसी न्यायालय द्वारा दिया गया हो :

परंतु बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि किसी ऐसे निर्णय के संबंध में तभी संदेय होगी जब उन कार्यवाहियों के, जिनमें निर्णय दिया गया है, प्रारंभ के पूर्व बीमाकर्ता को उन कार्यवाहियों के लाए जाने की सूचना संबंधित न्यायालय के माध्यम से मिल चुकी थी, अन्यथा नहीं तथा कोई बीमाकर्ता, जिसे सूचना ऐसे दी गई है व्यतिकारी देश की तत्समान विधि के अधीन उन कार्यवाहियों में पक्षकार बनाए जाने और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आधारों पर प्रतिवाद करने का हकदार है ।

(4) जहां उस व्यक्ति को, जिसने पालिसी कराई है, धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा-प्रमाणपत्र दे दिया गया है वहां पालिसी का उतना भाग, जितना उस पालिसी द्वारा बीमाकृत व्यक्तियों का बीमा उपधारा (2) के खंड (ख) में दी गई शर्तों से भिन्न किन्हीं शर्तों के निर्देश से निर्बन्धित करने के लिए तात्पर्यित है, धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन पालिसी के द्वारा पूरा करने के लिए, अपेक्षित दायित्वों के संबंध में प्रभावहीन होगा :

परंतु बीमाकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति के किसी दायित्व के निर्वहन में या मद्दे दी गई कोई धनराशि, जो केवल इस उपधारा के आधार पर पालिसी के अन्तर्गत है, बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति से वसूलीय होगी ।

(5) यदि वह रकम, जिसे बीमाकर्ता पालिसी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत दायित्व की बाबत देने के लिए, इस धारा के अधीन जिम्मेदार हो जाता है, उस रकम से अधिक है जिसके लिए बीमाकर्ता, इस धारा के उपबंधों के अलावा, उस दायित्व की बाबत पालिसी के अधीन दायी होगा, तो बीमाकर्ता उस अधिक रकम को उस व्यक्ति से वसूल करने का हकदार होगा ।

(6) इस धारा में तात्विक तथ्य और तात्विक विशिष्टि पदों से क्रमशः इस प्रकार का तथ्य या इस प्रकार की विशिष्टि अभिप्रेत है जिससे किसी भी व्यवहारकुशल बीमाकर्ता के विवेक

पर यह अवधारित करने में प्रभाव पड़े कि क्या वह जोखिम उठाए और यदि वह ऐसा करे तो कितने प्रीमियम पर तथा किन शर्तों पर करे और जो दायित्व पालिसी के निबंधनों के अंतर्गत है पद से ऐसा दायित्व अभिप्रेत है जो पालिसी के अंतर्गत है या जो इस तथ्य के न होने पर पालिसी के अंतर्गत होता कि बीमाकर्ता, पालिसी को शून्य या रद्द करने का हकदार है या उसे शून्य या रद्द कर चुका है ।

(7) कोई भी बीमाकर्ता, जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना दे दी गई है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ऐसे निर्णय या अधिनिर्णय का या उपधारा (3) में निर्दिष्ट निर्णय में फायदा उठाने के हकदार किसी व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व को उस रीति से भिन्न रीति से शून्य करने का हकदार होगा, जो, यथास्थिति, उपधारा (2) में या व्यतिकारी देश की तत्समान विधि में उपबंधित है, अन्यथा नहीं ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए दावा अधिकरण से धारा 165 के अधीन गठित दावा अधिकरण और अधिनिर्णय से धारा 168 के अधीन उस अधिकरण द्वारा किया गया अधिनिर्णय अभिप्रेत है ।

8. मोटरयान अधिनियम की धारा 166 इस प्रकार है :–

"166. प्रतिकर के लिए आवेदन – (1) धारा 165 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात् –

(क) उस व्यक्ति द्वारा, जिसे क्षति हुई है ; या

(ख) संपत्ति के स्वामी द्वारा ; या

(ग) जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा ; या

(घ) जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा मृतक के सभी या किसी विधि प्रतिनिधि द्वारा :

परंतु जहां प्रतिकर के लिए किसी आवेदन में मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए हैं वहां वह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके फायदे के लिए किया जाएगा और जो विधिक प्रतिनिधि ऐसे सम्मिलित नहीं हुए हैं उन्हें आवेदन के प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, दावाकर्ता के विकल्प पर, उस दावा अधिकरण को जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता थी जिसमें दुर्घटना हुई है, अथवा उस दावा अधिकरण को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर दावाकर्ता निवास करता है या कारबार करता है अथवा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी निवास करता है, किया जाएगा और वह ऐसे प्रारूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं :

परंतु जहां धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा ऐसे आवेदन में नहीं किया जाता है वहां उस आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर के ठीक पूर्व उस आशय का एक पृथक् कथन होगा ।

(4) दावा अधिकरण, धारा 158 की उपधारा (6) के अधीन उसको भेजी गई दुर्घटनाओं की किसी रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन के रूप में मानेगा ।"

9. मैं अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत हूं और इसलिए यह अपील विफल होती है और खारिज की जाती है । इस अपील में कोई अन्य राशि जमा करने का कोई प्रश्न उद्भूत नहीं होता, चूंकि अपीलार्थी को इस अपील पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ पूर्वशर्त के रूप में संपूर्ण धनराशि जमा करने का निर्देश दिया गया था । अंतरिम अनुतोष का आदेश समाप्त किया जाता है ।

अपील खारिज करते हुए ।

मही./शु.

(2020) 1 सि. नि. प. 476 इलाहाबाद

एस. एस. फकीर चंद हजारी लाल

बनाम

कमिश्नर ट्रेड टैक्स उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(2006 की विक्रय/व्यापार कर पुनरीक्षण/याचिका सं. 1031 और 1032)

तारीख 18 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति आलोक माथुर

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (1948 का 15) – धारा 8क [सपठित केंद्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 7] – फर्म द्वारा शाखा कार्यालय खोले जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में आयात किए जाने की अपेक्षा के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को संयोजित किए जाने के प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत किया जाना – निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आयात की अपेक्षा के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कोई संशोधन न किया जाना – फर्म द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर उन वस्तुओं का आयात चालू रखा जाना, जिनको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संयोजित किए जाने से इनकार कर दिया गया था – फर्म रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जिसमें माल की सूची का उल्लेख है, के बारे में अनभिज्ञ होने का अभिवाक् नहीं कर सकती ।

संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि निर्धारीति/पुनरीक्षणकर्ता फर्म, जिसका मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में स्थित है, ने अपनी एक नई शाखा बदायूं में खोली और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में फर्म के शाखा कार्यालय और आयात के लिए अपेक्षित वस्तुओं को संयोजित किए जाने की प्रार्थना की । सक्षम प्राधिकारी ने फर्म की शाखा कार्यालय को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संयोजित कर दिया किंतु आयात के लिए अपेक्षित वस्तुओं को संयोजित नहीं किया । किंतु फर्म ने उन वस्तुओं का आयात जारी रखा जिनका उल्लेख फर्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में नहीं था । फर्म द्वारा यह अभिवाक् किया गया कि वे इस

सद्भावनापूर्ण विश्वास के अधीन थे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयात के लिए अपेक्षित वस्तुओं को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में सम्मिलित किए जाने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है । किंतु निर्धारण प्राधिकारी, संयुक्त आयुक्त (अपील) और अधिकरण ने फर्म के इस अभिवाक् को अमान्य करते हुए शास्ति अधिरोपित कर दी, जिससे व्यथित होकर फर्म ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की । पुनरीक्षण खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रस्तुत मामले में निर्धारिती ने यह ज्ञात होने के बावजूद कि माल/वस्तुएं सूची में सम्मिलित नहीं की गईं थी, उसने लंबित आवेदन के निस्तारण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में माल को सम्मिलित किए जाने के प्रयोजनार्थ नया आवेदन प्रस्तुत नहीं किया । प्रस्तुत मामले में पुनरीक्षणकर्ता की सद्भाविकता दिखाई नहीं देती, क्योंकि सम्यक् संशोधन के पश्चात् संबंद्ध प्राधिकारी के पृष्ठांकन के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसको लौटा दिया गया था । पुनरीक्षणकर्ता ने पूर्वोक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर माल के आयात का अपना कारबार चालू रखा, इसलिए पुनरीक्षणकर्ता रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जिसमें माल की सूची का भी उल्लेख है, के बारे में अनभिज्ञ होने का अभिवाक् नहीं कर सकता । वर्तमान मामले में पुनरीक्षणकर्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और उस प्रमाणपत्र के साथ संलग्न वस्तुओं की सूची में आमेलित संशोधनों के बारे में पूर्णत: जानकारी थी, इसलिए उसको इस तथ्य के बाबत जागरूक होना चाहिए था कि माल के संयोजन के लिए उसके आवेदन को मंजूर नहीं किया गया था और इसलिए माल की सूची में उन वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जा सकता था जिनका आयात वह प्रपत्र-ग के आधार पर करने का आशय रखता था । उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में, मैसर्स संजीव फैब्रिक्स वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय तथ्यों के आधार पर प्रभेदनीय है । प्रस्तुत मामले में पुनरीक्षणकर्ता को शाखा और साथ ही वस्तुओं के संयोजन के बाबत उसके आवेदन पर हुए निर्णय के बारे में पूर्ण जानकारी थी । उसने अपना कारबार नई शाखा में

आरंभ किया था जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के द्वारा संयोजित किया गया था । इस तथ्य के बावजूद कि वस्तुओं के संयोजन के लिए उसका आवेदन मंजूर नहीं किया गया, फिर भी उसने प्रपत्र-ग के अधीन उसी माल का आयात चालू रखा और इसलिए उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पुनरीक्षणकर्ता ने उक्त माल के आयात के संबंध में सद्भाविक तरीके से काम किया । (पैरा 17, 18, 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2010] 2010 एन.टी.एल. (खंड 44) 69 :
कमिशनर और सेल्स टैक्स, उत्तर प्रदेश बनाम
मैसर्स संजीव फेब्रिक्स । 15

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2006 की विक्रय/व्यापार कर पुनरीक्षण/याचिका सं. 1031 और 1032.

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अधीन पुनरीक्षण ।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से सर्वश्री कुंवर सक्सेना, मुरारी मोहन राय और नितिन केसरवानी

विपक्षियों की ओर से स्थायी काउंसेल

आदेश

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल श्री मुरारी मोहन राय और साथ ही प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री बिपिन कुमार पाण्डे को सुना ।

2. पूर्वोक्त पुनरीक्षणों द्वारा 2006 की द्वितीय अपील संख्या 43 और 44 में विद्वान् व्यापार कर अधिकरण द्वारा तारीख 24 जुलाई, 2006 को पारित सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है,

जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा पृथक्-पृथक् रूप से फाइल की गई अपीलें अस्वीकृत कर दी गईं हैं । इन पुनरीक्षणों का संबंध निर्धारण वर्ष 2001-02 और 2002-03 से है ।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि निर्धारिती/पुनरीक्षणकर्ता एक फर्म है जो "वनस्पति, अन्य खाद्य तेलों और चीनी इत्यादि" के क्रय और विक्रय के कारबार में संलग्न है । पुनरीक्षणकर्ता की फर्म उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 8क और साथ ही केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है । पुनरीक्षणकर्ता ने बदायूं के वजीरगंज में श्रीनाथजी कोल्ड स्टोरेज के नाम से स्थापित किया, जो इलाहाबाद स्थित प्रधान कार्यालय की एक शाखा है, के नाम के अंतर्गत एक शीतग्रह स्थापित किया और तद्नुसार उसने उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम और साथ ही केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों के संशोधन के लिए आवेदन फाइल किया ।

4. निर्धारण प्राधिकारी ने तारीख 9 जनवरी, 2002 के आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-15 में जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और साथ ही केन्द्रीय विक्रय कर के अधीन प्रपत्र-ख में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को बदायूं में पुनरीक्षणकर्ता के कारबार को शाखा कार्यालय दर्शित करते हुए संशोधित कर दिया, किन्तु पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आयात किए जाने की अपेक्षा के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कोई संयोजन या संशोधन नहीं किया गया और पुनरीक्षणकर्ता ने इस प्रयोजनार्थ निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष वस्तुओं को संयोजित किए जाने के लिए प्रपत्र-ग में आवेदन प्रस्तुत किया ।

5. इसी दौरान पुनरीक्षणकर्ता ने मशीनरी और उसके कलपुर्जों का आयात आरंभ कर दिया । वर्ष 2001-02 के दौरान निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी के संज्ञान में आया कि निर्धारिती-पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आयातित वस्तुओं का उल्लेख रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में नहीं किया गया है और इसलिए उन्होंने पुनरीक्षणकर्ता को कारण बताओ सूचना यह अभिकथित करते हुए जारी की कि उसने 9,26,236/- रुपए की मशीनरी और उसके कलपुर्जों का आयात किया है, जिसके संबंध में अनुज्ञा

प्रदान नहीं की गई थी और अभिनिर्धारित किया कि पुनरीक्षणकर्ता ने वस्तुओं का आयात अनधिकृत और अवैध रूप से किया ।

6. इस कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में पुनरीक्षणकर्ता ने विस्तारपूर्वक उत्तर यह अभिकथित करते हुए फाइल किया कि मशीनों और कलपुर्जों के संयोजन के लिए उसका आवेदन लंबित है और उस आवेदन को अभी तक निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया है और पुनरीक्षणकर्ता को इस संबंध में कोई सूचना भी नहीं दी गई है, अत: आवेदक इस सद्भावपूर्ण विश्वास के अधीन था कि वह प्रश्नगत माल का आयात प्रपत्र-ग के अनुसार करने के लिए प्राधिकृत था और इसलिए उसके द्वारा किसी भी उपबंध का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, जिसके लिए उसको केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 10क के अधीन दंडित किया जा सके ।

7. तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और उसने पुनरीक्षणकर्ता पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 10क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अभिनिर्धारित करते हुए शास्ति अधिरोपित कर दी कि पुनरीक्षणकर्ता ने मशीनों और कलपुर्जों का आयात प्रपत्र-ग के आधार पर इस संबंध बाबत सम्यक् रूप से प्राधिकृत हुए बिना किया है और पुनरीक्षणकर्ता पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 10क के अधीन तारीख 22 फरवरी, 2005 के आदेश द्वारा 1,30,000/- रुपए की राशि की शास्ति अधिरोपित कर दी ।

8. पुनरीक्षणकर्ता ने शास्ति के पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर इलाहाबाद में संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसको तारीख 28 जनवरी, 2006 के निर्णय और आदेश द्वारा मुख्यत: इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में केवल शाखा को संयोजित किया गया है न कि वस्तुओं को । पुनरीक्षणकर्ता ने प्रथम अपीली प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्वान् व्यापार कर अधिकरण के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसे भी तारीख 28 जुलाई, 2006 के आक्षेपित निर्णय और

आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । अत: वर्तमान पुनरीक्षण फाइल किए गए ।

9. इन पुनरीक्षणों में विधि के निम्नलिखित सारभूत प्रश्न विचारार्थ विरचित किए गए :-

(i) क्या आवेदक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 10क सपठित धारा 10(ख) के अधीन शास्ति के लिए दायी है ?

(ii) क्या आवेदक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निचले प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शास्ति की मात्रा अत्यधिक और मनमानापूर्ण है ?

10. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि उसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वस्तुओं को संयोजित किए जाने प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु सक्षम प्राधिकारी ने केवल शाखा कार्यालय का नाम संयोजित किया, जबकि वस्तुओं को संयोजित किए जाने से संबंधित आवेदन लंबित रह गया । उन्होंने आगे निवेदन किया कि पुनरीक्षणकर्ता ने प्रपत्र-ग जारी किया था और केवल उसी के आधार पर माल का आयात किया था और पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह अवधारणा सुरक्षित रूप से की जा सकती है कि पुनरीक्षणकर्ता सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा था और उसका आशय कर चोरी का नहीं था और इसलिए निर्धारण प्राधिकरण, प्रथम अपीली प्राधिकारी और साथ ही अधिकरण द्वारा पारित आदेश मनमानेपूर्ण हैं और उन्होंने पुनरीक्षणकर्ता के मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया और इसलिए उसके ऊपर अधिरोपित शास्ति अपास्त किए जाने योग्य है ।

11. इसके विपरीत राजस्व विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान् स्थायी काउंसेल ने निवेदन किया कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की योजना के अधीन यह आज्ञापक है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उन वस्तुओं की सूची समनुदेशित की जाए जिनके बारे में निर्धारिती द्वारा संव्यवहार किया जाना आशयित है । उन्होंने आगे निवेदन किया है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु

उसके पक्ष में इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया और इसलिए पुनरीक्षणकर्ता रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वस्तुओं को संयोजित किए जाने के अभाव में प्रपत्र-ग के आधार पर उस माल का आयात नहीं कर सकता था जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में सम्मिलित नहीं किया गया था । उन्होंने आगे निवेदन किया कि पुनरीक्षणकर्ता पर अधिरोपित शास्ति उचित और समुचित नहीं थी और अधिनियम की योजना के अंतर्गत कानूनी उपबंधों का स्पष्टत: अतिक्रमण हुआ ।

12. पक्षों विद्वान् काउंसेलों का सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

13. इस मामले के स्वीकृत तथ्य ये हैं कि पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी फर्म की शाखा और वस्तुओं को संयोजित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक आवेदन प्रस्तुत किया था । सक्षम प्राधिकारी ने केवल शाखा को संयोजित कर दिया किन्तु वस्तुओं के संयोजन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया । यह सत्य है कि प्रपत्र-ग उन वस्तुओं के संबंध में जारी किया गया था, जिनका आयात किया जाना था किन्तु जिनका उल्लेख रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में नहीं किया गया और पुनरीक्षणकर्ता का यह दावा है कि उक्त माल का आयात इस सद्भावपूर्ण विश्वास के अंर्तगत किया गया था कि माल को भी संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में सम्मलित कर लिया गया है ।

14. यह तथ्य भी आंखडित है कि वस्तुओं के संयोजन के संबंध में प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर नहीं किया गया था और न ही वस्तुओं को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्ट किया गया था । पुनरीक्षणकर्ता के लिए यह अनुज्ञेय नहीं कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वस्तुओं के संयोजन के बिना माल का आयात करे और यदि ऐसा कोई भी माल, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में सम्मलित नहीं किया गया है, पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति अधिरोपित होगी ।

15. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने अपने निवेदनों पर बल देने के लिए **कमिशनर और सेल्स टैक्स, उत्तर प्रदेश** बनाम **मैसर्स**

संजीव फेब्रिक्स[1] वाले मामले का अवलंब लिया है । न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 22 में यह अभिनिर्धारित किया है :-

> "22. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि अभिव्यक्ति "असत्य रूप से प्रतिनिधित्व करता है" का प्रयोग इस तथ्य का उपदर्शक है कि अधिनियम की धारा 10 (ख) के अधीन किया गया अपराध अस्तित्व में केवल तब आता है जब व्यापारी जानबूझकर विधि की अवहेलना करता है या वह दूराग्रह या बेइमानीपूर्ण आचरण का दोषी है । इसलिए, अधिनियम की धारा 10ख के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने के प्रयोजनार्थ चल रही कार्यवाहियों में उक्त अपराध को गठित करने वाली परिस्थितियों की विद्यमानता को बात को साबित करने का भार राजस्व पर होगा । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 10क के शीर्षक से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 10 के अधीन किसी अपराध को गठित किए जाने के प्रयोजनार्थ किसी उपबंध के भंग के लिए साधारण उपचार अभियोजन है, जो कारागार के दंडादेश और अभियोजन के बदले अधिनियम की धारा 10क के अधीन शास्ति के लिए उपबंधित करता है । इस धारा में योजित भाषा और अनुध्यात शास्ति की प्रकृति के प्रकाश में हम यह अभिनिर्धारित करने में कठिनाई पाते हैं कि प्रपत्र-ग के प्रयोग में सभी प्रकार के चूक या गलत उपयोग अभिव्यक्ति "गलत प्रतिनिधित्व" के अंतर्गत सम्मिलित होंगे । इसलिए, हमारी राय में सदोषता का निष्कर्ष अधिनियम की भाषा धारा 10(ख) सपठित धारा 10क के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक पुरोभाव्य शर्त है ।
>
> 23. अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं अर्थात्, क्या हमारे समक्ष प्रस्तुत दोनों मामलों के तथ्यों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि व्यापारियों ने प्रश्नगत माल का क्रय किया और इस बात को जानते हुए कि उक्त माल उनके द्वारा धारित

---

[1] 2010 एन.टी.एल. (खंड 44) 69.

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों द्वारा आच्छादित नहीं है, उस माल के संबंध में प्रपत्र "ग" प्रस्तुत किया और इसलिए, सदोषता की अपेक्षा पूरी हो जाती है ।

24. जहां तक अपीलों के प्रथम समुच्चय का संबंध है, जैसा कि ऊपर अभिकथित है, उच्च न्यायालय तथ्य के इस आधार पर शास्ति को समाप्त कर दिया कि इस तथ्य के अलावा पूर्ववर्ती अवसरों पर विभाग ने व्यापारी को प्रपत्र-ग जारी करते समय कोई आपत्ति नहीं की थी, इसलिए, जब व्यापारी को अपनी चूक के बाबत पता चला, तो उसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संशोधन के लिए एक आवेदन फाइल कर दिया । आक्षेपित निर्णय से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने तथ्य को अनदेखा किया कि व्यापारी ने रद्दी सूत के अतिरिक्त वस्तुओं जैसे सुतली, टाट इत्यादि के आयात के लिए प्रपत्र "ग" का उपयोग किया था । यह उपधारणा करते हुए कि व्यापारी को सद्भावनापूर्ण विश्वास था कि सूत में रद्दी सूत सम्मिलित होता है, इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि जहां तक अन्य वस्तुओं का संबंध है, व्यापारी के मस्तिष्क में कुछ गलतफहमीं थी ।

इसी प्रकार से अपीलों के द्वितीय समुच्चय में, आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस स्पष्टीकरण का परीक्षण नहीं किया है कि वे इस बाबत सद्भावी विश्वास के अधीन थे कि वे विभाग द्वारा बिना किसी आपत्ति के नियमित रूप से जारी किए जा रहे प्रपत्र "ग" के अंतर्गत तेल के बीजों का क्रय करने के लिए प्राधिकृत थे । यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय इस वचन के आधार पर व्यापारी के मामले की जांच के लिए अग्रसर हुआ कि अधिनियम की धारा 10(ख) के अधीन अपराध एक संपूर्ण अपराध था ।"

16. पूर्वोक्त निर्णय के परिशीलन से यह स्पष्टत: उपदर्शित होता है कि उस मामले का निर्धारिती न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को प्रदर्शित करने में सक्षम था कि उसने सद्भाविक रूप से माल का आयात किया था

और कोई भी असत्य विवरणी फाइल नहीं की थी, उसके आशय इस तथ्य के आधार पर पुन: प्रदर्शित हो गए थे कि उसने यह जानकारी प्राप्त होने पर कि वस्तुओं को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है फिर भी, उसने तुरन्त उन वस्तुओं को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में सम्मिलित किए जाने के प्रयोजनार्थ संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था ।

17. प्रस्तुत मामले में निर्धारिती ने यह ज्ञात होने के बावजूद कि माल/वस्तुएं सूची में सम्मिलित नहीं की गईं थी, उसने लंबित आवेदन के निस्तारण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में माल को सम्मिलित किए जाने के प्रयोजनार्थ नया आवेदन प्रस्तुत नहीं किया ।

18. प्रस्तुत मामले में पुनरीक्षणकर्ता की सद्भाविकता दिखाई नहीं देती, क्योंकि सम्यक् संशोधन के पश्चात् संबद्ध प्राधिकारी के पृष्ठांकन के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसको लौटा दिया गया था । पुनरीक्षणकर्ता ने पूर्वोक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर माल के आयात का अपना कारबार चालू रखा, इसलिए पुनरीक्षणकर्ता रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जिसमें माल की सूची का भी उल्लेख है, के बारे में अनभिज्ञ होने का अभिवाक् नहीं कर सकता ।

19. वर्तमान मामले में पुनरीक्षणकर्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और उस प्रमाणपत्र के साथ संलग्न वस्तुओं की सूची में आमेलित संशोधनों के बारे में पूर्णत: जानकारी थी, इसलिए उसको इस तथ्य के बाबत जागरूक होना चाहिए था कि माल के संयोजन के लिए उसके आवेदन को मंजूर नहीं किया गया था और इसलिए माल की सूची में उन वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जा सकता था जिनका आयात वह प्रपत्र-ग के आधार पर करने का आशय रखता था ।

20. उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में, **मैसर्स संजीव फैब्रिक्स** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय तथ्यों के आधार पर प्रभेदनीय है । प्रस्तुत मामले में पुनरीक्षणकर्ता को

शाखा और साथ ही वस्तुओं के संयोजन के बाबत उसके आवेदन पर हुए निर्णय के बारे में पूर्ण जानकारी थी । उसने अपना कारबार नई शाखा में आरंभ किया था जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के द्वारा संयोजित किया गया था । इस तथ्य के बावजूद कि वस्तुओं के संयोजन के लिए उसका आवेदन मंजूर नहीं किया गया, फिर भी उसने प्रपत्र-ग के अधीन उसी माल का आयात चालू रखा और इसलिए उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पुनरीक्षणकर्ता ने उक्त माल के आयात के संबंध में सद्भाविक तरीके से काम किया ।

21. इस न्यायालय का ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह सुविचारित विचार है कि अधिकरण के आदेश में कोई अवैधता या शैथिल्य नहीं है और इसलिए इस आदेश में कोई मध्यक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

22. पुनरीक्षण खारिज किए जाते हैं ।

23. इन पुनरीक्षणों में उठाए गए विधि के सारभूत प्रश्नों का उत्तर राजस्व के पक्ष में और पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध दिया जाता है ।

पुनरीक्षण खारिज किए गए ।

महीं./शु.

कुलदीप अग्रवाल

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

(2019 की जनहित याचिका संख्या 71)

तारीख 3 सितंबर, 2019

मुख्य न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) – धारा 49 [भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम का भाग 6, अध्याय 2 नियम 11 और 15] – अभियुक्त का न्याय व विधिक सहायता पाने का अधिकार – बार संघ द्वारा अपने सदस्य अधिवक्ताओं को बार संघ के एक अधिवक्ता सदस्य की हत्या के लिए आरोपित अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने से रोके जाने के प्रयोजनार्थ प्रस्ताव पारित किया जाना – कोई भी अधिवक्ता या अधिवक्ताओं का संघ, जो इस प्रकार के कार्य करता है, न केवल दांडिक अपराध और न्यायालय का अवमान कारित करता है बल्कि न्याय प्रशासन में भी हस्तक्षेप करता है ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 22(1) – अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार – किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाएगा और अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा ।

संक्षेप में मामले के तथ्य यह है कि याची, जो कोटद्वार में व्यवसायरत अधिवक्ता है, ने कोटद्वार बार संघ द्वारा उसको सम्मिलित करते हुए अधिवक्ताओं की तारीख 16 मई, 2019 को संपन्न हुई बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा विधि के किसी न्यायालय में उसके मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने से रोके जाने और साथ ही उत्तराखंड राज्य द्वारा न्यायालय में विधि और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के विरुद्ध

अधिरोपित प्रतिषेधों से व्यथित होकर इस न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिया । रिट याचिका के समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र में यह अभिकथित किया गया है कि मई, 2019 में विनोद कुमार नामक व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और 120-ख के अधीन 2017 के अपराध संख्या 281 में अंतर्वलित होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, याची ने उक्त मामले में उक्त अभियुक्त की तरफ से वकालतनामा फाइल किया और जमानत की ईप्सा की ; बार संघ ने याची समेत समस्त वकीलों को इस मुवक्किल की तरफ से उपस्थित न होने की चेतावनी दी ; विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाने पर याची के मुवक्किल ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत की ईप्सा की ; तारीख 16 मई, 2019 को द्वितीय प्रत्यर्थी ने एक अवैध बैठक बुलाई और इस प्रकार की बैठक आयोजित किए जाने के लिए बिना आवश्यक गणपूरक के कोटद्वार बार संघ के समस्त अधिवक्ताओं को अभियुक्त की तरफ से उपस्थित न होने/उसका प्रतिनिधित्व न करने के लिए निर्देशित करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया, कोटद्वार बार संघ द्वारा उक्त प्रस्ताव द्वारा अधिवक्ताओं को यह चेतावनी दी गई कि यदि कोई अधिवक्ता सूचना के बावजूद अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करता है, तो बार संघ प्रतिकूल कार्रवाई करेगी और उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा ; याची उक्त दांडिक मामले में अभियुक्त का अधिवक्ता था और तारीख 16 मई, 2019 के उक्त प्रस्ताव द्वारा उसको और अन्य अधिवक्ताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने से रोका गया, <u>बार संघ से इस प्रकार के अवैध निष्कासन की धमकियां 1961 के अधिवक्ता अधिनियम के अधीन बनाए गए भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के भाग 6 के अध्याय 2 के नियम 11 और 15 का अतिक्रमण है</u> ; द्वितीय प्रत्यर्थी ने अभियुक्त के मामले में सुनवाई का विरोध करते हुए कोटद्वार जिला न्यायालय के परिसर में तालाबंदी कर दी ; याची को उसके मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने के उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोका गया ; जब भी वह उक्त अभियुक्त की तरफ से न्यायालय में उपस्थित हुआ, तो द्वितीय प्रत्यर्थी संघ ने उसको उसके विधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका ; उसको मौखिक रूप से

चेतावनी दी गई ; और द्वितीय प्रत्यर्थी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था है, अधिवक्ताओं को अभियुक्त की तरफ से उपस्थित होने से रोकने के लिए इस प्रकार की अवैध चेतावनी नहीं दे सकता । अतः, 2019 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 71 कोटद्वार बार संघ के एक अधिवक्ता द्वारा कोटद्वार बार संघ द्वारा तारीख 16 मई, 2019 को पारित किए गए प्रस्ताव को अभिखंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ उत्प्रेरण की रिट जारी किए जाने की ईप्सा करते हुए फाइल की गई ; इस रिट याचिका में कोटद्वार बार संघ को याची या किसी अन्य अधिवक्ता को कोटद्वार जिला न्यायालय में किसी मुवक्किल की तरफ से उपस्थित होने/उसका प्रतिनिधित्व करने से न रोके जाने के लिए परमादेश की रिट जारी किए जाने की भी ईप्सा की गई और साथ ही इस याचिका में उत्तराखंड विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद् को इस प्रयोजनार्थ निर्देशित किए जाने की ईप्सा की गई कि उत्तराखंड राज्य के समस्त न्यायालयों के समस्त बार संघों के अधिवक्ताओं को किसी विशिष्ट मामले में किसी अधिवक्ता को उपस्थित होने से रोके जाने के प्रयोजनार्थ प्रस्ताव पारित करने से निषिद्ध किया जाए ; इस याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 को निर्देषित करते हुए एक परमादेश की रिट जारी किए जाने की भी ईप्सा की गई कि वे किसी मुवक्किल के बाबत अधिवक्ता के वैयक्तिक कर्तव्यों को निर्वहन किए जाने के प्रयोजनार्थ अधिवक्ताओं के निकाय को प्रतिषिद्ध किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित न करें और साथ ही रिट याचिका में उत्तराखंड राज्य को निर्देशित करते हुए एक परमादेश की रिट जारी किए जाने की ईप्सा भी की गई कि उत्तराखंड राज्य जिला न्यायालय, कोटद्वार में विधि और व्यवस्था बनाए रखे और अपने सदस्यों को न्याय के अनुक्रम में व्यवधान डालने से रोके और याची को उसके मुवक्किल के बाबत अपने विधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से न रोके । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रत्येक अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अधीन मूल अधिकार प्राप्त है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा । तारीख 16 मई, 2019 के प्रस्ताव का पैराग्राफ

10 की संख्या 1, जैसाकि यहां पर इसके ऊपर उल्लेख किया गया है, जिसके द्वारा कोटद्वार बार संघ के सदस्यों को अभियुक्त का प्रतिनिधित्व न करने के लिए निर्देशित किया गया था, के परिणामस्वरूप वास्तव में अभियुक्त को उसकी पसंद के विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिरक्षा करने के उसके मूल अधिकार से वंचित कर दिया गया है । संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 39-क सामान्य न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता से संबंधित है और यह अनुच्छेद यह अपेक्षा करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करे कि सामान्य अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा । तद्द्वारा जिस उद्देश्य को अभिप्राप्त किए जाने की ईप्सा की गई, वह यह है कि किसी भी अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा विधि व्यवसायी द्वारा किए जाने के मूल अधिकार से मात्र आर्थिक या अन्य निर्योग्यता, जिससे वह ग्रसित है, के आधार पर इनकार न किया जाए ; और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे किसी भी अभियुक्त को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए । यदि यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 22(1), और भाग 4 में अनुच्छेद 39-क का प्रसंशनीय उद्देश्य है, तो अभियुक्त द्वारा उसकी पसंद के विधि व्यावसायी द्वारा उसकी प्रतिरक्षा किए जाने के उसके मूल अधिकार की राह में खड़ी की गई कोई भी बाधा, चाहे वह आर्थिक हो या अन्य कारणोंवश हो, अवैध और असंवैधानिक है । भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियम के अध्याय 2 के भाग 6 के वर्ग 2 में खंड 15 अनुध्यात करता है कि अधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा निर्भय होकर समस्त उचित और सम्मानित साधनों द्वारा, स्वयं या अन्य के प्रति किन्हीं अप्रिय परिणामों की चिंता किए बिना करे । यह खंड उससे यह अपेक्षा भी करता है कि वह किसी अपराध के अभियुक्त की प्रतिरक्षा अभियुक्त की दोषिता के संबंध में अपनी व्यक्तिगत राय को ध्यान में रखे बिना, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसकी निष्ठा विधि के प्रति है जो यह अपेक्षा करती है कि

किसी भी व्यक्ति को बिना पर्याप्त साक्ष्य के दोषसिद्ध नहीं किया जाएगा । अधिवक्ता का यही कर्तव्य है कि वह अपराध के किसी अभियुक्त व्यक्ति की अभिरक्षा करे जिसमें कोटद्वार बार संघ द्वारा मध्यक्षेप किए जाने की ईप्सा उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई किए जाने के द्वारा कि उसको बार संघ की सदस्यता से निकाल दिया जाएगा, की गई है । वास्तव में कोटद्वार बार संघ के प्रस्ताव का पैरा 1 याची को दी गई एक अप्रत्यक्ष धमकी है कि वह अभियुक्त का प्रतिनिधित्व न करे क्योंकि अभियुक्त बार संघ के एक अधिवक्ता सदस्य की हत्या का अभियुक्त है । कोई भी वकील (या इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वकीलों का संघ) किसी अन्य वकील को उसके मुवक्किल की ओर से न्यायालय में उपस्थित होने के उसके वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन को बाधित नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता । किसी भी अधिवक्ता को प्रतिकूल परिणामों की चेतावनी भी बार संघ या विधिज्ञ परिषद् द्वारा नहीं दी जा सकती और उसको किसी भी प्रकृति की कोई धमकी या प्रपीड़न, निष्कासन को सम्मिलित करते हुए, नहीं दी जा सकती । यदि कोई ऐसा करता है, तो वह दांडिक अपराध कारित करता है, न्याय प्रशासन में मध्यक्षेप करता है, न्यायालय का अवमान करारित करता है और इन सभी आधारों पर उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए । कोटद्वार बार संघ द्वारा पारित उपरोक्त प्रस्ताव संविधान के समस्त मानकों, कानून और वृत्तिक नीतिशास्त्र के विरुद्ध है । यह प्रस्ताव बार की महान परंपराओं के भी विरुद्ध है जो सदैव अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा के लिए प्रयासरत रहती है । बार संघ का इस प्रकार का प्रस्ताव शून्य और अकृत्य है और किसी भी प्रज्ञावान अधिवक्ता को इस प्रकार के प्रस्ताव का अनदेखा करना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए । यदि वे चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र और विधि के नियम को मान्य ठहराया जाना है । अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह सभी की प्रतिरक्षा करे, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि परिणाम क्या होंगे । उत्तराखंड विधिज्ञ परिषद् की शक्ति की परिधि के अंतर्गत किसी अधिवक्ता, जो ऐसे कार्यों में अंतर्वलित है और साथ ही बार संघ के विरुद्ध भी अंतर्वलित है, के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के प्रयोजनार्थ इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए जाने के संबंध में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 6 राज्य विधिज्ञ परिषद् के कार्यों से संबंधित है और उसकी उपधारा (1)(ग) के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् के कार्य, उनके रजिस्टर पर उपलब्ध अधिवक्ताओं के विरुद्ध अवचार के मामलों को विनिर्धारित किया जाना और उन पर विचार किया जाना सम्मिलित है । अधिवक्ता अधिनियम का अध्याय 5 अधिवक्ताओं के आचरण से संबंधित है और इस अध्याय के अधीन धारा 35 अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंडित किए जाने से संबंधित है । इस धारा की उपधारा (1) उपबंधित करती है कि जहां किसी परिवाद या अन्यथा की प्राप्ति पर किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् को इस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि उसके रजिस्टर में सम्मिलित कोई भी अधिवक्ता वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है, तो वह मामले को निस्तारण के लिए अपनी अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट कर देगा । धारा 35(3) राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासनिक समिति से यह अपेक्षा करती है कि संबद्ध अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आदेश पारित करे - (ग) अधिवक्ता को उतनी अवधि के लिए वृत्ति से निलंबित कर दे जितना की वह उचित समझे ; और (घ) अधिवक्ता का नाम अधिवक्ताओं के राज्य रजिस्टर से हटा दे । भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियम का भाग 8 अनुशासनिक कार्यवाहियों और पुनर्विलोकन से संबंधित है और उसका अध्याय 1 अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों पर विचार किए जाने से संबंधित है और उस प्रक्रिया से संबंधित है, जिसका अनुसरण राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासनिक समिति द्वारा किया जाना है । अधिवक्ता अधिनियम और भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के पूर्वोक्त उपबंध राज्य विधिज्ञ परिषद् को उनके रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं के विरुद्ध वृत्तिक और अन्य अवचार के लिए कार्यवाही किए जाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं । कोटद्वार बार संघ के सदस्य अधिवक्ता हैं, जो उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत हैं और उनको इस प्रकार की कोई भी धमकी दिए जाने और कोटद्वार बार संघ के पदाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए गलतियां करने वाले समस्त अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ नि:संदेह रूप से राज्य विधिज्ञ परिषद् सशक्त है । राज्य विधिज्ञ परिषद् 2001 के अधिवक्ता कल्याण निधि

अधिनियम के अधीन बार संघों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए सशक्त है । उक्त अधिनियम का अध्याय 4 अधिवक्ताओं के किसी भी संघ को मान्यता प्रदान किए जाने से संबंधित है और उक्त अधिनियम की धारा 16 अधिवक्ताओं के किसी संघ को राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने से संबंधित है । धारा 16 की उपधारा (1)(2) अधिवक्ताओं के किसी भी संघ, जो संघ के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, को राज्य विधिज्ञ परिषद् की मान्यताप्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान करती है । धारा 16(4) के नीचे उपलब्ध स्पष्टीकरण धारा 16 के प्रयोजनार्थ शब्द 'रजिस्ट्रीकृत' को 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने या रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अवधारणा किए जाने के प्रयोजनार्थ परिभाषित करती है । धारा 16(4) राज्य विधिज्ञ परिषद् को सशक्त करती है कि वह जांच के पश्चात्, जैसे कि आवश्यक प्रतीत करे, संघ को मान्यता प्रदान करने और ऐसे प्ररूप में मान्यता का प्रमाणपत्र जारी करे जैसाकि विहित किया गया हो । धारा 16(5) अनुध्यात करती है कि उपधारा (4) के अधीन किसी संघ को मान्यता प्रदान किए जाने से संबंधित किसी भी मामले पर राज्य विधिज्ञ परिषद् का विनिश्चय अंतिम होगा । 1897 के सामान्य खंड अधिनियम की उपधारा (4) के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् को मान्यता का प्रमाणपत्र जारी किए जाने से संबंधित प्रदत्त शक्तियों में उनको जारी प्रमाणपत्र को निरस्त किए जाने की शक्ति भी सम्मिलित होगी, जिस शक्ति का प्रयोग वे अपवादिक परिस्थितियों में ही कर सकते हैं । हम इस बात को अभिनिर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ समझ नहीं पा रहे कि उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद् को उस मान्यता प्रमाणपत्र को रद्द कर देना चाहिए जो पहले कोटद्वार बार संघ के पक्ष में जारी किया गया था । हम मात्र उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद् को उनकी शक्तियों के बाबत स्मरण करा रहे हैं कि वे उद्दंड बार संघों, जो विधि की अवमानना करना जारी रखते हैं और ऐसे कार्यों में अंतर्वलित होते हैं जो किसी अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाले हों, और साथ ही अभियुक्त का उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा किए जाने के मूल अधिकार को नियंत्रित करें । (पैरा 18, 24, 25, 32, 33 और 34)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] (2018) 3 एस. सी. सी. 22 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 980 : **दाता राम सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ; 27

[2017] (2017) 5 एस. सी. सी. 702 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1362 : **हुसैन और एक अन्य** बनाम **भारत संघ** ; 19

[2012] (2012) 1 एस. सी. सी. 602 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1 : **राजस्थान राज्य** बनाम **शेरा राम** उर्फ **विष्णु दत्ता** ; 27

[2011] (2011) 1 एस. सी. सी. 688 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 308 : **द बैरिस्टर : एडवोकेट एट द इंग्लिस बार, ए. एस. मोहम्मद रफी** बनाम **तमिलनाडु राज्य और अन्य** ; 2

[2010] (2010) 7 एस. सी. सी. 267 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1974 : **शैलवी और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 27

[2008] (2008) 16 एस. सी. सी. 417 = 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5964 : **नूर आगा** बनाम **पंजाब राज्य और एक अन्य** ; 27

[2008] (2008) 9 एस. सी. सी. 204 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2467 : **हरेन्द्र सरकार** बनाम **असम राज्य** ; 27

[2007] (2007) 14 एस. सी. सी. 368 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 368 :
राज्य द्वारा एस. पी. ई. और सी. बी. आई., आंध्र प्रदेश बनाम **एम. कृष्ण मोहन और एक अन्य** ; 27

[2005] (2005) 8 एस. सी. सी. 771 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 6 :
श्री जयेंद्र सरस्वथी स्वामिगल (II) बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 19

[2005] (2005) 5 एस. सी. सी. 295 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2277 :
रंजीत सिंह ब्रह्मजीत सिंह शर्मा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 27

[2004] (2004) 3 एस. सी. सी. 767 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 524 :
के. अम्बाझगन बनाम **पुलिस अधीक्षक** ; 19

[2004] (2004) 10 एस. सी. सी. 699 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3249 :
नरेन्द्र सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 27

[2000] ए. आई. आर. 2000 दिल्ली 266 :
बी. एल. बढेरा बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली राज्य** ; 24

[1961] (1961) 366 यू. एस. 82 :
ह्यूजो ब्लैक ने **एनटासटैप्लो** ; 4

[1956] ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 116 :
विल्ली विलियम स्लैने बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** । 27

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2019 की जनहित याचिका संख्या 71.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जनहित याचिका ।

याची की ओर से श्री कार्तिकेय हरि गुप्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अमीत भट्ट (उप महाधिवक्ता), (सुश्री) प्रभा नैथानी, पीयूस गर्ग, डी. एस. मेहता और बी. एस. अधिकारी

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन ने दिया ।

मु. न्या रंगनाथन – "जिस क्षण से किसी अधिवक्ता को यह कहने की अनुज्ञा प्रदान कर दी जाती है कि वह सम्राट और दोषारोपण के लिए न्यायालय में बुलाई गई प्रजा के मध्य न्यायालय, जहां वह नियमित रूप से अधिवक्ता के रूप में वृत्ति करने के लिए बैठता है, में खड़ा होगा या नहीं होगा, उसी क्षण से इंग्लैंड का स्वातंत्र्य समाप्त हो जाता है । यदि अधिवक्ता किसी ऐसी बात से प्रतिरक्षा करने से इनकार कर देता है, जिसे वह आरोप लगाना या प्रतिरक्षा करना समझता है, तो वह न्यायाधीश का चरित्र धारण कर लेता है; चाहे वह न्यायाधीश का चरित्र निर्णय पारित किए जाने के क्षण के पहले ही क्यों न धारण करे ; और वह अभियुक्त के विरुद्ध पलड़े में अपने रैंक और प्रतिष्ठा के अनुपात में निश्चित रूप से एक भ्रांत धारणा के भारी प्रभाव को रख देता है, जिसके पक्ष में इंग्लिश विधि के परोपकारी सिद्धांत समस्त उपधारणाएं सृजित करते हैं और जो उसी न्यायाधीश को अपना काउंसेल बनाए जाने के लिए समादेश देते हैं ।"

2. उपरोक्त विचार सर थॉमस इरेसकाइन ने व्यक्त किए थे, जिन्होंने सन् 1792 में थॉमस पेन की प्रतिरक्षा किए जाने के प्रयोजनार्थ नियुक्ति स्वीकार की थी, जब उनको फ्रांस की क्रांति की प्रतिरक्षा में लिखी गई उनकी पुस्तक 'द राइट्स ऑफ मैन' का द्वितीय भाग संप्रकाशन किए जाने पर देशद्रोह के लिए अभियोजित किया गया था । सर थॉमस इरेसकाइन का यह व्याख्यान और थॉमस पेन का मामला, जिसकी उन्होंने प्रतिरक्षा रक्षा की थी, के परिणामस्वरूप उनको वेल्स के प्रिन्स के अटार्नी जनरल का पद गंवाना पड़ा था ।

(देखें डब्ल्यू. डब्ल्यू. बाउलटन द्वारा लिखित **द बैरिस्टर : एडवोकेट एट द इंग्लिस बार, ए. एस. मोहम्मद रफी** बनाम **तमिलनाडु राज्य और अन्य**[1] वाला मामला)

3. वकालत की वृत्ति की श्रेष्ठता और बार की उच्च परम्पराएं क्लैरेंस डैरो (जो व्यापक रूप से अटोर्नी फार द डैम्ड के रूप में विख्यात हैं) द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में परावर्तित होते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी दुष्ट हो, दुश्चरित्र हो, घृर्णित हो, पतित हो, विकृत्त हो, वीभत्स हो, निन्दनीय हो, चरित्रहीन हो या अरुचिकर हो, समाज द्वारा उसको मान्यता प्रदान की जा सकती है और उसको विधि के न्यायालय में अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार होता है और इसी प्रकार से अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह उसका बचाव करे । (**ए. एस. मोहम्मद रफी** वाला मामला)

4. संयुक्त राष्ट्र अमरीका के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति **ह्यूजो ब्लैक** ने **एनटासटैप्लो**[2] वाले मामले में विसम्मति व्यक्त करते हुए दिए गए अपने निर्णय में यह कहा :-

> "लॉर्ड इरेसकाइन, जेम्स ओटिस, क्लैरेंस डैरो और अनेक अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रति व्यक्तिगत खतरे के बारे में विचार किए बिना इस प्रकार के मामलों और मुवक्किलों की प्रतिरक्षा में बोलने का साहस किया । विधिक पेशा अपनी श्रेष्ठता और गौरव को खो देगा यदि इस पेशे में ऐसे अधिवक्ता निरंतर रूप से सम्मिलित नहीं होते । बार को पूर्णतया रूढिवादी, समयबद्ध सेवा करने वाले और सरकार से डरने वालों का समूह बनाए जाने के लिए विवश किया जाना इस पेशे को अपमानित और अवमानित करना है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

5. उस पथ का अनुगमन करने के बजाय, जिसको इन प्रख्यात अधिवक्ताओं द्वारा दिखाया गया, हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां कुछ लोग, जो लानत भेजे जाने वाले किसी कार्य को करने

---

[1] (2011) 1 एस. सी. सी. 688 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 308.

[2] (1961) 366 यू. एस. 82.

वालों का विरोध करने का साहस करते हैं, को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जाती है, किसी अन्य कारणवश नहीं बल्कि अधिवक्ता के रूप में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण । जैसा कि सर थॉमस इरेसकाइन ने कहा है, कोई धमकी जिसका सामना वकील करते हैं, जैसे कि वर्तमान मामले के याची, न केवल बाहरी तत्वों से बल्कि भीतर के लोगों से भी अर्थात् अधिवक्ताओं के संघ से भी, जिसके भी सदस्य हैं । अनेक बार एसोसिएशनों (वर्तमान मामले में कोटद्वार बार संघ) प्रस्ताव पारित किया है कि उनके संघ का कोई भी सदस्य किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों की प्रतिरक्षा नहीं करेगा जो किसी नृशंस या जघन्य अपराध में अभियुक्त हैं, यद्यपि इस प्रकार के प्रस्ताव पूर्णतया अवैध हैं, बार की समस्त परंपराओं के विरुद्ध हैं और वृत्तिक मर्यादाओं के विरुद्ध हैं । [**ए. एस. मोहम्मद रफी** (उपरोक्त) वाला मामला]

6. कोटद्वार बार संघ द्वारा तारीख 17 मई, 2019 को चस्पा की गई सूचना, जिसकी विधिमान्यता को इस रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई, इस प्रकार है :-

"कोटद्वार बार संघ

कोटद्वार जिला पौडीगढ़वाल

उत्तराखंड

सूचना

तारीख 16 मई, 2019 को संपन्न हुई अति अत्यावश्यक बैठक में कोटद्वार बार संघ द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार कोटद्वार बार संघ के समस्त सदस्यों को निम्नलिखित सूचना दी जाती है -

(1) तारीख 16 मई, 2019 को संपन्न हुई अति अत्यावश्यक बैठक में उपस्थित कोटद्वार बार संघ के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि कोटद्वार बार संघ का कोई भी सदस्य/पदाधिकारी अधिवक्ता स्वर्गीय श्री सुशील रघुवंशी की हत्या के अभियुक्त व्यक्तियों

का न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं करेगा । संघ के संज्ञान में यह बात भी आई है कि कुछ अधिवक्ता हत्या अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व न्यायालय में कर रहे हैं ।

(2) ऊपर वर्णित अत्यावश्यक बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि यदि कोई अधिवक्ता इस सूचना के जारी किए जाने के बावजूद हत्या अभियुक्त का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है, तो कोटद्वार बार संघ उन सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी । समस्त अधिवक्ता सदस्यों को सूचनार्थ ।

आपका विश्वासपात्र
(हस्ताक्षरित)
सचिव/अध्यक्ष
कोटद्वार बार संघ
कोटद्वार"

7. 2019 की रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 71 कोटद्वार बार संघ के एक अधिवक्ता द्वारा कोटद्वार बार संघ द्वारा तारीख 16 मई, 2019 को पारित किए गए प्रस्ताव को अभिखंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ उत्प्रेरण की रिट जारी किए जाने की ईप्सा करते हुए फाइल की गई; इस रिट याचिका में कोटद्वार बार संघ को याची या किसी अन्य अधिवक्ता को कोटद्वार जिला न्यायालय में किसी मुवक्किल की तरफ से उपस्थित होने/उसका प्रतिनिधित्व करने से न रोके जाने के लिए परमादेश की रिट जारी किए जाने की भी ईप्सा की गई ; और साथ ही इस याचिका में उत्तराखंड विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद् को इस प्रयोजनार्थ निर्देशित किए जाने की ईप्सा की गई कि उत्तराखंड राज्य के समस्त न्यायालयों के समस्त बार एसोसिएशनों के अधिवक्ताओं को किसी विशिष्ट मामले में किसी अधिवक्ता को उपस्थित होने से रोके जाने के प्रयोजनार्थ प्रस्ताव पारित करने से निषिद्ध किया जाए ; इस याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 को निर्देषित करते हुए एक परमादेश की रिट जारी किए जाने की भी ईप्सा की गई कि वे किसी मुवक्किल के बाबत अधिवक्ता के वयैक्तिक कर्तव्यों को निर्वहन किए जाने के

प्रयोजनार्थ अधिवक्ताओं के निकाय को प्रतिषिद्ध किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित न करें ; और साथ ही इस रिट याचिका में उत्तराखंड राज्य को निर्देशित करते हुए एक परमादेश की रिट जारी किए जाने की ईप्सा भी की गई कि उत्तराखंड राज्य जिला न्यायालय, कोटद्वार में विधि और व्यवस्था बनाए रखे और अपने सदस्यों को न्याय के अनुक्रम में व्यवधान डालने से रोके और याची को उसके मुवक्किल के बाबत अपने विधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से न रोके ।

8. याची, जो कोटद्वार में एक व्यवसायरत अधिवक्ता है, ने कोटद्वार बार एसोसिएशन द्वारा उसको सम्मिलित करते हुए कोटद्वार बार संघ के अधिवक्ताओं पर तारीख 16 मई, 2019 को संपन्न हुई बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा विधि के किसी न्यायालय में उसके मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने से रोके जाने और साथ ही उत्तराखंड राज्य द्वारा न्यायालय में विधि और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के विरुद्ध अधिरोपित प्रतिषेधों से व्यथित होकर इस न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिया है ।

9. रिट याचिका के समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र में यह अभिकथित किया गया है कि मई, 2019 में विनोद कुमार नामक व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और 120ख के अधीन 2017 के अपराध संख्या 281 में अंतर्वलित होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था ; याची ने उक्त मामले में उक्त अभियुक्त की तरफ से अपना वकालतनामा फाइल किया और जमानत की ईप्सा की ; बार संघ ने याची समेत समस्त वकीलों को इस मुवक्किल की ओर से उपस्थित न होने की चेतावनी दी ; विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाने पर याची के मुवक्किल ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत की ईप्सा की ; तारीख 16 मई, 2019 को द्वितीय प्रत्यर्थी ने एक अवैध बैठक बुलाई और इस प्रकार की बैठक आयोजित किए जाने के लिए बिना आवश्यक गणपूरक के कोटद्वार बार संघ के समस्त अधिवक्ताओं को अभियुक्त की तरफ से उपस्थित न होने/उसका प्रतिनिधित्व न करने के लिए निर्देशित करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया ; कोटद्वार बार संघ का उक्त प्रस्ताव

द्वारा अधिवक्ताओं को यह चेतावनी दी गई कि यदि कोई अधिवक्ता सूचना के बावजूद अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करता है, तो बार संघ प्रतिकूल कार्रवाई करेगी और उसकी सदस्यता समाप्त कर देगी ; याची उक्त दांडिक मामले में अभियुक्त का अधिवक्ता था और तारीख 16 मई, 2019 के उक्त प्रस्ताव द्वारा उसको और अन्य अधिवक्ताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने से रोका गया ; बार संघ से इस प्रकार के अवैध निष्कासन की धमकियां 1961 के अधिवक्ता अधिनियम के अधीन बनाए गए भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के भाग 6 के अध्याय 2 के नियम 11 और 15 का अतिक्रमण है ; द्वितीय प्रत्यर्थी ने अभियुक्त के मामले में सुनवाई के विरुद्ध विरोध करते हुए कोटद्वार जिला न्यायालय के परिसर में तालाबंदी कर दी ; याची को उसके मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने के उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोका गया ; जब भी वह उक्त अभियुक्त की तरफ से न्यायालय में उपस्थित हुआ, तो द्वितीय प्रत्यर्थी संघ ने उसके विधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका ; उसको मौखिक रूप से चेतावनी दी गई ; और द्वितीय प्रत्यर्थी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था है, अधिवक्ताओं को अभियुक्त की तरफ से उपस्थित होने से रोकने के लिए इस प्रकार की अवैध चेतावनी नहीं दे सकती ।

10. 2019 की रिट याचिका (जनहित) संख्या 71 में तारीख 13 जून, 2019 को पारित हमारे अंतरिम आदेश, जिसमें हमने इस बात का उल्लेख करते हुए कि याची, जो कोटद्वार बार संघ का वरिष्ठ सदस्य है, ने इस न्यायालय की रिट अधिकारिता का अवलंब कोटद्वार बार संघ द्वारा पारित प्रस्ताव कि कोई भी अधिवक्ता 2017 के मामला अपराध संख्या 281 में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, की शिकायत करते हुए लिया है, द्वारा यह मताभिव्यक्ति की :-

> "कोई भी अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, प्रत्येक अभियुक्त विधिक प्रतिनिधित्व का हकदार है । इस बाबत निर्णय लेने का अधिकार कि किसी अभियुक्त की तरफ से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ जाए या नहीं, उस अधिवक्ता को होता है

जिसकी शरण में अभियुक्त जाता है, बार संघ प्रस्ताव पारित करने के द्वारा किसी अधिवक्ता को उसकी तरफ से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से नहीं रोक सकता । कोटद्वार बार संघ द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव प्रथमदृष्ट्या अवैध है चूंकि इस प्रकार के प्रस्ताव द्वारा बार संघ ने 2017 के मामला अपराध संख्या 281 में अभियुक्त की दोषिता को पहले ही विनिर्धारित कर दिया है, यद्यपि इस प्रकार के किसी भी निष्कर्ष पर केवल सक्षम न्यायालय द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, और वह भी स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारण की समाप्ति के पश्चात् । किसी अधिवक्ता को अपने शुल्क के संदाय के अध्यधीन रहते हुए अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त होता है और यदि अभियुक्त विधिक प्रतिनिधित्व का व्यय वहन कर पाने में समर्थ नहीं होता, तो राज्य उसको विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन होता है । हम कोटद्वार बार संघ द्वारा उसके सदस्यों को अभियुक्त को विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध न कराने के लिए निर्देशित करने के प्रयोजनार्थ पारित प्रस्ताव द्वारा व्यथित हैं । यदि शपथपत्र की अंतर्वस्तु सत्य है, तो राज्य विधिज्ञ परिषद् को अधिवक्ता संघ के संबद्ध सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए, जो इस प्रकार के कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं ।"

11. रिट याचिका में सूचना तामील हो जाने पर कोटद्वार बार संघ के सचिव ने द्वितीय प्रत्यर्थी की ओर से फाइल किए गए खंडन शपथपत्र में निवेदन किया कि तारीख 16 मई, 2019 को कोटद्वार बार संघ द्वारा अधिवक्ता स्वर्गीय सुशील रघुवंशी, जो कोटद्वार बार संघ के सदस्य थे, की हत्या के संबंध में एक आकस्मिक बैठक आयोजित की गई थी ; उक्त बैठक में कोटद्वार बार संघ के समस्त सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए ; कोटद्वार बार संघ द्वारा सूचना पट्ट पर चस्पा की गई सूचना के पैरा 2 में यह उल्लेख किया गया था कि यदि बार संघ का कोई सदस्य अभियुक्त विनोद कुमार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होता है, तो बार संघ ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त कर देगी ; तारीख 17 मई, 2019 की सूचना के पैरा 2 की अंतर्वस्तु तारीख

16 मई, 2019 को पारित का भाग नहीं थी ; भूलवश पैरा 2 का लिप्यांतरण किया गया और तारीख 17 मई, 2019 की सूचना में उसका उल्लेख किया गया था ; कोटद्वार बार संघ की कार्यकारिणी की एक आकस्मिक बैठक तारीख 4 जुलाई, 2019 को बुलाई की गई थी, जिसमें तारीख 17 मई, 2019 की सूचना के पैरा 2 को वापस ले लिया गया था और बार संघ के सूचना पट्ट पर विनिश्चय की प्रति चस्पा कर दी गई थी; याची अभियुक्त की ओर से उपस्थित हुआ था और उसने जमानत आवेदन के लिए अपना वकालतनामा फाइल किया था ; अभियुक्त याचिका नियमित मुवक्किल था जिसकी तरफ से वह अनेक मामलों में उपस्थित हो चुका था ; मृतक सुशील रघुवंशी कोटद्वार बार संघ का सदस्य था और अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लंबी अवधि तक चले हुए आंदोलन के पश्चात् दर्ज कराई गई थी । बार संघ को अपने सदस्यों के अधिकारों को संरक्षित करने का अधिकार है ; याची को अभियुक्त की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होने से कभी भी रोका नहीं गया था ; वह कोटद्वार के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष बारंबार उपस्थित हुए और अभियुक्त श्री विनोद कुमार की तरफ से नियमित रूप से पैरवी कर रहे थे ; द्वितीय प्रत्यर्थी ने किसी भी अधिवक्ता को उसके मुवक्किल की तरफ से न्यायालय ने उपस्थित होने से कभी नहीं रोका और याची को कभी भी कोई धमकी नहीं दी ; बार संघ संस्था के उद्देश्यों और नियमों के अनुसार कार्य कर रहा था ; और रिट याचिका परोक्ष हेतुकों के साथ फाइल की गई है और यह याचिका जनहित मुकदमेबाजी के प्रयोजनार्थ फाइल नहीं की है ।

12. कोटद्वार बार संघ द्वारा पारित पश्चात्वर्ती प्रस्ताव और तारीख 4 जुलाई, 2019 को उसके अनुसरण में जारी की गई सूचना इस प्रकार है :-

"सूचना

कोटद्वार बार संघ के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कोटद्वार बार संघ की कार्यकारिणी की बैठक तारीख 4 जुलाई, 2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कोटद्वार बार संघ की तारीख 16 मई, 2019 की

अत्यावश्यक बैठक में अधिवक्ता स्वर्गीय सुशील रघुवंशी की हत्या में अभियुक्त की पैरवी न किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव/सूचना पारित की गई है, पैराग्राफ 2 में उल्लिखित बातों को (जिसको भूलवश लिखा गया था) को वापस ले लिया गया है ।

कोटद्वार बार संघ, कोटद्वार,
मुकेशचंद्र काबतियाल
सचिव"

13. जबकि, तारीख 26 मई, 2019 की सूचना का पैरा 2 तारीख 4 जुलाई, 2019 की सूचना द्वारा वापस ले लिया गया है, किंतु पैरा 1 अभी भी प्रवृत्त है, जिसके निबंधनों के अनुसार कोटद्वार बार संघ का कोई भी सदस्य/पदाधिकारी अधिवक्ता स्वर्गीय श्री सुशील रघुवंशी की हत्या के अभियुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न्यायालय में नहीं करेगा । अत: हम दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों का परीक्षण गुणागुण पर करने के लिए अग्रसर होते हैं ।

14. याची के विद्वान् काउंसेल डा. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने निवेदन किया कि कोटद्वार बार संघ द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसके द्वारा अधिवक्ताओं को किसी विशिष्ट अभियुक्त की प्रतिरक्षा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया, 'न्याय', 'साम्या' और 'व्यक्ति की गरिमा', जैसाकि संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है, के विचार का विरोधाभासी है ; कोटद्वार बार संघ द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार का उल्लंघनकारी है ; किसी मामले में प्रतिरक्षित होने के अधिकार से इनकार किए जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत जीवन और स्वातंत्र्य के अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा, और वह भी तब जब अभियुक्त के इस अधिकार से इनकार किए जाने के लिए कोई प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित न की गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारित किए गए अपराध की प्रकृति कितनी जघन्य है ; संविधान सभा ने तारीख 16 सितंबर, 1949 को प्रारूपण संविधान के अनुच्छेद 15क पर चर्चा करते हुए विनिर्दिष्ट रूप से कहा था कि 'अपनी रुचि के काउंसेल द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार मूल अधिकार है ; तीव्र गति के

साथ विचारण के अधिकार पर भी चर्चा की गई थी, और इस अधिकार को मूल अधिकारों से संबंधित भाग में सम्मिलित किए जाने से मात्र इस कारणवश छोड़ दिया गया कि इस बाबत कानूनी उपबंध विद्यमान हैं, यद्यपि उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद में किए गए निर्वचन द्वारा इस अधिकार को भी जीवन के अधिकार का भाग बना दिया गया ; बार संघ के प्रस्ताव, जिनके द्वारा अधिवक्ताओं को किसी विशिष्ट अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने से विवर्जित कर दिया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 21, 22(1) और 39क के अतिक्रमणकारी हैं ; उक्त बार संघ द्वारा पारित प्रस्ताव भी भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के भाग 6 अध्याय 2 'वृत्तिक आचरण' और 'शिष्टाचार के स्तर' में समाविष्ट नियम का उल्लंघनकारी है ; यह भाग - 1 : न्यायालय के कर्तव्य और भाग-2 : मुवक्किल के कर्तव्य का भी अतिक्रमणकारी है ; और राज्य विधिज्ञ परिषद् को कोटद्वार बार संघ द्वारा किसी विशिष्ट अभियुक्त की प्रतिरक्षा किए जाने से अधिवक्ताओं को प्रतिषिद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ पारित प्रस्ताव के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए ।

15. इसके विपरीत उत्तराखंड विधिक परिषद् की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री पीयूष गर्ग ने निवेदन किया कि भारतीय विधिक परिषद् नियम के भाग 6 के अध्याय 2 के भाग 2 का खंड 11 यह अनुध्यात करता है कि विशेष परिस्थितियां किसी अधिवक्ता द्वारा किसी विशिष्ट मामले को स्वीकार किए जाने से इनकार को न्यायसंगत ठहरा सकती है ; और इसलिए यदि कोई अधिवक्ता या अधिवक्ताओं का समूह किसी विशिष्ट मामले में उपस्थित न होने का निर्णय लेता है, तो उनको उक्त उपबंध के निबंधनों के अनुसार यह अधिकार है कि वे उपस्थित न होने का विकल्प चुन ले ; राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा तारीख 24 जुलाई, 2014 को आयोजित बैठक में विरचित नियम, जिनको सम्यक् रूप से शासकीय अधिसूचना में संप्रकाशित किया गया, के अध्याय 3 के नियम 40 के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा बार संघों को संबद्ध किए जाने के लिए उपबंधित करता है ; उत्तराखंड राज्य में कार्यरत प्रत्येक बार संघ के लिए यह आज्ञापक है कि वह अपने आप को राज्य

विधिज्ञ परिषद् के साथ संबद्ध कराए ; 1974 के अधिवक्ता कल्याण अधिनियम, जिसे उत्तराखंड विधिज्ञ परिषद् द्वारा अंगीकृत किया गया, के अधीन बार संघ को राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान किया जाना आवश्यक है ; अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल बार संघों के सदस्यों को ही उपलब्ध है और वह भी केवल तब जब वे बार संघ राज्य विधिज्ञ परिषद् के साथ संबद्ध हूं ; और राज्य विधिज्ञ परिषद् अधिवक्ता अधिनियम की धारा 25 के अधीन किसी व्यैक्तिक अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है किंतु किसी बार संघ के विरुद्ध नहीं ।

16. कोटद्वार बार संघ की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री डी. एस. मेहता ने निवेदन किया कि याची यह दावा नहीं कर सकता कि उसको अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने के कारण उसकी सदस्यता समाप्त किए जाने की धमकी दी गई थी, चूंकि तारीख 26 मई, 2019 की सूचना के पैरा 2 को वापस ले लिया गया है ; उक्त सूचना का पैरा 1 कोटद्वार बार संघ के सदस्यों के क्रोध की सामूहिक अभिव्यक्ति है और उनका अभियुक्त, जो कोटद्वार बार संघ के अधिवक्ता सदस्य की हत्या में तथाकथित रूप से संलिप्त है, की ओर से उपस्थित न होने का यह सामूहिक विनिश्चय है ; सभी अधिवक्ता, जिन्होंने उस बैठक में भाग लिया जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था, ने अपने अधिवक्ता साथी की हत्या के संबंध में अपने दु:ख की अभिव्यक्ति के रूप में स्वैच्छिक रूप से अभियुक्त की ओर से उपस्थित न होने के विकल्प को चुना ; और बार संघ के सदस्यों के इस स्वैच्छिक विनिश्चय में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती, चूंकि यह उनका विकल्प है कि वे किसी अभियुक्त की ओर से उपस्थित हों या न हो ।

17. तारीख 16 मई, 2019 के प्रस्ताव का पैराग्राफ संख्या 1, जो अभी भी प्रवृत्त है, कोटद्वार बार संघ के समस्त सदस्यों/पदाधिकारियों से यह अपेक्षा करता है कि वे अधिवक्ता स्वर्गीय श्री सुशील रघुवंशी की हत्या के अभियुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न्यायालय में न करें । जबकि इस सूचना का पैराग्राफ संख्या 2, जिसमें उन सदस्यों, जिन्होंने उक्त अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किया, की सदस्यता समाप्त किए जाने

के लिए कार्रवाई किए जाने की धमकी समाविष्ट है ने अपना प्रतिनिधित्व वापस ले लिया है, कोटद्वार बार संघ ने जानबूझकर तारीख 16 मई, 2019 के प्रस्ताव के पैराग्राफ संख्या 1 को बनाए रखने का निर्णय लिया है ।

18. प्रत्येक अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अधीन मूल अधिकार प्राप्त है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा । तारीख 16 मई, 2019 के प्रस्ताव का पैराग्राफ 10 की संख्या 1, जैसाकि यहां पर इसके ऊपर उल्लेख किया गया है, जिसके द्वारा कोटद्वार बार संघ के सदस्यों को अभियुक्त का प्रतिनिधित्व न करने के लिए निर्देशित किया गया था, के परिणामस्वरूप वास्तव में अभियुक्त को उसकी पसंद के विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिरक्षा करने के उसके मूल अधिकार से वंचित कर दिया गया है । संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 39-क सामान्य न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता से संबंधित है और यह अनुच्छेद यह अपेक्षा करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करे कि सामान्य अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा । तद्द्वारा जिस उद्देश्य को अभिप्राप्त किए जाने की ईप्सा की गई, वह यह है कि किसी भी अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा विधि व्यवसायी द्वारा किए जाने के मूल अधिकार से मात्र आर्थिक या अन्य निर्योग्यता, जिससे वह ग्रसित है, के आधार पर इनकार न किया जाए ; और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे किसी भी अभियुक्त को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए । यदि यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 22(1), और भाग 4 में अनुच्छेद 39-क का प्रशंसनीय उद्देश्य है, तो अभियुक्त द्वारा उसकी पसंद के विधि व्यवसायी द्वारा उसकी प्रतिरक्षा किए जाने के उसके मूल अधिकार की राह में खड़ी की गई कोई भी बाधा, चाहे वह आर्थिक हो या

अन्य कारणोंवश हो, अवैध और असंवैधानिक है ।

19. कोटद्वार बार संघ द्वारा पारित इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव (जिसको इस रिट याचिका में आक्षेपित किया गया है) और याची का यह दावा कि उसको अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने से विरत रहने के लिए वकीलों द्वारा धमकाया गया, भी अभियुक्त के स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारण के मूल अधिकार पर प्रभाव डालता है, जो स्पष्टत: संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है (देखें **श्री जयेंद्र सरस्वथी स्वामिगल (II)** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] और **के. अम्बाझगन** बनाम **पुलिस अधीक्षक**[2] वाले मामले) । अभियुक्त के मामले में उसको सुने जाने के विरुद्ध कारित अवरोध, जिनके कारण त्वरित न्याय प्रदान किए जाने से इनकार किया गया, भी न्याय प्रशासन के मार्ग में लोक विश्वास को एक प्रकार का खतरा है । (देखें **हुसैन और एक अन्य** बनाम **भारत संघ**[3] वाला मामला)

20. **फ्रांसिस थामस** बनाम **हरियाणा राज्य** (2017 की रिट याचिका दांडिक संख्या 139, जिसमें निर्णय तारीख 18 सितंबर, 2017 को पारित किया गया) वाले मामले में गुरगांव के जिला बार संघ द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसके द्वारा न्यायालय में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व न किए जाने का निर्णय लिया गया, की विधिमान्यता को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । यद्यपि उक्त प्रस्ताव को बाद में वापस ले लिया गया था, किंतु उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि अभियुक्त, चाहे उसने कोई भी अपराध किया हो, को उसकी पसंद के काउंसेल द्वारा अपने प्रतिनिधित्व का अंतर्निहित अधिकार है ; बाद की परंपराएं और न्याय की प्राप्ति से संबंधित मूल संकल्पना किसी भी बार संघ को यह अनुज्ञा प्रदान नहीं करते कि वे इस प्रकार के प्रस्ताव पारित करें ; इस आश्वासन के बावजूद कि बार का कोई भी सदस्य किसी मामले की निर्विघ्न सुनवाई में किसी भी प्रकार का बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि

---

[1] (2005) 8 एस. सी. सी. 771 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 6.

[2] (2004) 3 एस. सी. सी. 767 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 524.

[3] (2017) 5 एस. सी. सी. 702 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1362.

बार के किसी भी सदस्य को याची का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी काउंसेल के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा सृजित करनी चाहिए ; यह बार के पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि वे इस आदेश का अनुपालन संपूर्णता में सुनिश्चित करे ; और इस आदेश के पालन में किसी भी प्रकार के विचलन पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी ।

21. यद्यपि हम कोई अन्य आदेश पारित किए बिना एक समरूप आदेश पारित करने के लिए आनत थे जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **फ्रांसिस थामस** (उपरोक्त) वाले मामले में पारित किया गया था, उत्तराखंड विधिज्ञ परिषद् के विद्वान् काउंसेल श्री पियूष गर्ग और कोटद्वार बार संघ के विद्वान् काउंसेल श्री डी. एस. मेहता ने दलील दी कि विशेष परिस्थितियां जैसे कि संघ के अधिवक्ता सदस्य की हत्या में अंतर्वलित किसी अभियुक्त का मामला है, कोटद्वार बार संघ के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से यह प्रस्ताव पारित किए जाने कि वे उसकी तरफ से उपस्थित नहीं होंगे, को न्याय संगत ठहराता है । क्योंकि इस संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के भाग 6 के वर्ग 2 के खंड 11 का अवलंब लिया गया है, यह आवश्यक है कि इस बात को अवेक्षित किया जाए कि उक्त नियम क्या उपबंधित करता है ।

22. भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के भाग 6 का अध्याय 2 वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार के स्तरमानों के बाबत विहित करता है । इसकी प्रस्तावना के निबंधनों के अनुसार कोई अधिवक्ता किसी भी समय बिंदु पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी व्यक्ति के लिए, जो बार का सदस्य नहीं है, क्या विधिक और नैतिक हो सकता है या बार के सदस्य के लिए उसकी गैरवृत्तिक हैसियत में, जो किसी अधिवक्ता के लिए अनुचित हो, स्वयं ऐसी रीति में आचरण कर सकता है, जो उसकी न्यायालय की अधिकारी की हैसियत, समुदाय के विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य की हैसियत और एक शिष्ट मनुष्य की हैसियत के अनुरुप हो । किसी अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा निर्भय होकर करनी चाहिए और अपने आचरण के द्वारा नियमों का शब्दसह पालन करना चाहिए । नियमों में आचरण और शिष्टाचार के वे सभी मापदंड समाविष्ट हैं जिनको सामान्य मार्गदर्श सिद्धांत के रूप में अंगीकृत किया

जाता है ; फिर भी उनका विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख का अर्थान्वयन अन्य सामान्य बाध्यताओं की विद्यमान्यता के इनकार से नहीं किया जा सकता, यद्यपि उनका उल्लेख विनिर्दिष्ट रूप से न किया गया हो । भाग 6 में वर्ग 1 अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्यों से संबंधित है और वर्ग दो अधिवक्ता के उसके मुवक्किल के प्रति कर्तव्यों से संबंधित है ।

23. भाग 6 के वर्ग 2 का खंड 11, जिसका अवलंब राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा लिया गया, अनुध्यात करता है कि कोई भी अधिवक्ता किसी भी न्यायालय, जिसके समक्ष वह बार में अपने अनुभव के साथ संगत शुल्क के संदाय के आधार पर और मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वृत्ति करता है और उसमें चल रहे किसी भी मामले को स्वीकार करने के लिए बाध्य है ; और विशेष परिस्थितियां किसी विनिर्दिष्ट मामले को स्वीकार करने से उसके इनकार को न्यायसंगत ठहरा सकती है । सामान्यतया कोई अधिवक्ता बार में उसके अनुभव के साथ संगत उसके शुल्क का संदाय किए जाने पर और मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उस न्यायालय में जिसमें वह वृत्ति करता है, किसी भी मामले को स्वीकार करने के लिए बाध्य है । तथापि, विशेष परिस्थितियां किसी विशिष्ट मामले को स्वीकार करने से उसके इनकार को न्यायसंगत ठहरा सकती हैं । खंड 2 में उल्लिखित 'विशेष परिस्थितियां' किसी अधिवक्ता द्वारा किसी विशिष्ट मामले को स्वीकार करने से इनकार को न्यायसंगत ठहराती हैं और किसी अधिवक्ता को उसकी व्यक्ति हैसियत में शब्द 'उसके' के प्रयोग को निर्दिष्ट करती हैं और न कि बार संघ को जिसके सदस्य अधिवक्ता होते हैं । जबकि कोई अधिवक्ता विशेष परिस्थितियों में किसी विशिष्ट मामले में उपस्थित न होने के विकल्प का चुनाव कर सकता है, उसका अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने के अधिकार से उस बार संघ की सदस्यता से उसको हटाए जाने की किसी धमकी द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता, जो किसी अधिवक्ता को किसी विशिष्ट अभियुक्त की तरफ से उपस्थित होने से विधिक या नैतिक रूप से प्रतिषिद्ध नहीं कर सकती ।

24. भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियम के अध्याय 2 के भाग 6 के

वर्ग 2 में खंड 15 अनुध्यात करता है कि अधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा निर्भय होकर समस्त उचित और सम्मानित साधनों द्वारा, स्वयं या अन्य के प्रति किन्हीं अप्रिय परिणामों की चिंता किए बिना करे । यह खंड उससे यह अपेक्षा भी करता है कि वह किसी अपराध के अभियुक्त की प्रतिरक्षा अभियुक्त की दोषिता के संबंध में अपनी व्यक्तिगत राय को ध्यान में रखे बिना, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसकी निष्ठा विधि के प्रति है जो यह अपेक्षा करती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना पर्याप्त साक्ष्य के दोषसिद्ध नहीं किया जाएगा । अधिवक्ता का यही कर्तव्य है कि वह अपराध के किसी अभियुक्त व्यक्ति की अभिरक्षा करे जिसमें कोटद्वार बार संघ द्वारा मध्यक्षेप किए जाने की ईप्सा उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई किए जाने के द्वारा कि उसको बार संघ की सदस्यता से निकाल दिया जाएगा, की गई है । वास्तव में कोटद्वार बार संघ के प्रस्ताव का पैरा 1 याची को दी गई एक अप्रत्यक्ष धमकी है कि वह अभियुक्त का प्रतिनिधित्व न करे क्योंकि अभियुक्त बार संघ के एक अधिवक्ता सदस्य की हत्या का अभियुक्त है । कोई भी वकील (या इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वकीलों का संघ) किसी अन्य वकील को उसके मुवक्किल की ओर से न्यायालय में उपस्थित होने के उसके वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन को बाधित नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता । किसी भी अधिवक्ता को प्रतिकूल परिणामों की चेतावनी भी बार संघ या विधिज्ञ परिषद् द्वारा नहीं दी जा सकती और उसको किसी भी प्रकृति की कोई धमकी या प्रपीड़न, निष्कासन को सम्मिलित करते हुए, नहीं दी जा सकती । यदि कोई ऐसा करता है, तो वह दांडिक अपराध कारित करता है, न्याय प्रशासन में मध्यक्षेप करता है, न्यायालय का अवमान कारित करता है और इन सभी आधारों पर उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए । [देखें **श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामिंगल** (उपरोक्त) और **बी. एल. बढेरा** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली राज्य**[1] वाले मामले]

25. कोटद्वार बार संघ द्वारा पारित उपरोक्त प्रस्ताव संविधान के समस्त मानकों, कानून और वृत्तिक नीतिशास्त्र के विरुद्ध है । यह

---

[1] ए. आई. आर. 2000 दिल्ली 266.

प्रस्ताव बार की महान परंपराओं के भी विरुद्ध है जो सदैव अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा के लिए प्रयासरत रहती है । बार संघ का इस प्रकार का प्रस्ताव शून्य और अकृत्य है और किसी भी प्रज्ञावान अधिवक्ता को इस प्रकार के प्रस्ताव का अनदेखा करना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए । यदि वे चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र और विधि के नियम को मान्य ठहराया जाना है । अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह सभी की प्रतिरक्षा करे, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि परिणाम क्या होंगे । [देखें **ए. एस. मोहम्मद रफी** (उपरोक्त) वाला मामला]

26. आक्षेपित प्रस्ताव का पैरा 1 क्रोध की सामूहिक अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि संघ के सदस्यों को निर्देश है कि वे अभियुक्त की ओर से न उपस्थित हों । जबकि कोटद्वार बार संघ के सदस्यों का क्रोध विचारणीय है, चूंकि उनके बार संघ का एक साथी अधिवक्ता और सदस्य की अभिकथित रूप से हत्या कर दी गई, फिर भी यह उनके हित में होता कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और तीव्र गति के साथ विचारण सुनिश्चित करते ताकि हत्या के दोषी व्यक्ति को न्याय की प्रक्रिया का सामना करना पड़ता और उसको यह अपराध कारित करने के लिए विधि के अनुसार दंडित किया जाता, चूंकि उनका यह विश्वास था कि अभियुक्त उस हत्या में अंतर्वलित था । कोटद्वार बार संघ के सदस्यों के उसकी दोषिता के संबंध में भरोसे के बाद भी अभियुक्त को प्रभावी विधिक प्रतिनिधित्व और उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु यह तब जबकि निश्चित रूप से वह शुल्क के संदाय की हैसियत रखता है जिसके लिए अधिवक्ता हकदार है ।

27. कोटद्वार बार संघ के सदस्यों का क्रोध इस बात के बावजूद कि उनको अभियुक्त की दोषिता या अन्यथा के बाबत अन्वेषण की समाप्ति के पूर्व उद्घोषणा नहीं करनी है, फिर भी एक आरोपपत्र फाइल किया गया है और अभियुक्त का विचारण विधि अनुसार किया जा रहा है । यह केवल सक्षम अधिकारिता वाले दांडिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर की बात है, जो अभियुक्त की दोषिता या अन्यथा को निर्णीत कर सकता है । कोटद्वार बार संघ के सदस्यों का विश्वास कुछ

भी हो, दांडिक न्यायशास्त्र के मूल अनुध्यापन और भारत में लागू दांडिक विधियां प्राथमिकत: कतिपय प्रक्रियात्मक मूल्यों पर आधारित हैं, जो निष्पक्ष विचारण और निर्दोषिता की उपधारणा के लिए आवश्यक है । किसी व्यक्ति के तब तक निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है जब तक कि उसको दोषी साबित नहीं कर दिया जाता (देखें **राजस्थान राज्य** बनाम **शेरा राम** ऊर्फ **विष्णु दत्ता**[1] **और दाता राम सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[2] वाले मामले) । निर्दोषिता की उपधारणा एक मानवाधिकार है (देखें **नरेन्द्र सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3], **रंजीत सिंह ब्रह्मजीत सिंह शर्मा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य,**[4] **राज्य द्वारा एस. पी. ई. और सी. बी. आई., आंध्र प्रदेश** बनाम **एम. कृष्ण मोहन और एक अन्य**[5] और **हरेन्द्र सरकार** बनाम **असम राज्य**[6] वाले मामले) । जैसाकि सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 14(2) के अधीन अनुध्यात है (देखें **नूर आगा** बनाम **पंजाब राज्य और एक अन्य**[7] और **शैलवी और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[8] वाले मामले) । किसी दांडिक विचारण में किसी अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है, जब तक कि उसके विरुद्ध कानूनी उपधारणा विद्यमान न हो (देखें **विल्ली विलियम स्लैने** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[9] वाला मामला) । अत:, कोटद्वार बार संघ अभियुक्त की दोषिता का यहां तक कि अन्वेषण की समाप्ति के पहले ही पूर्व निर्धारण करने और इस आधार पर प्रस्ताव पारित करने के मामले में न्यायसंगत नहीं था ।

28. याची ने रिट याचिका के समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र के पैरा 12 में अभिकथित किया है कि द्वितीय प्रत्यर्थी ने कोटद्वार जिला न्यायालय के न्यायालय परिसर में अभियुक्त विनोद कुमार के

---

[1] (2012) 1 एस. सी. सी. 602 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1.

[2] (2018) 3 एस. सी. सी. 22 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 980.

[3] (2004) 10 एस. सी. सी. 699 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3249.

[4] (2005) 5 एस. सी. सी. 295 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2277

[5] (2007) 14 एस. सी. सी. 368 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 368.

[6] (2008) 9 एस. सी. सी. 204 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2467.

[7] (2008) 16 एस. सी. सी. 417 = 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5964.

[8] (2010) 7 एस. सी. सी. 267 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1974.

[9] ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 116.

मामले में सुनवाई के विरुद्ध विरोध करते हुए तालाबंदी कर दी थी और विधि के न्यायालय के क्रियान्वयन में और न्याय वितरण के कार्य में बाधा उत्पन्न कर दी थी । पुन:, रिट याचिका के साथ फाइल किए गए शपथपत्र के पैराग्राफ 14 में यह अभिकथित किया गया है कि जब कभी भी याची अपने मुवक्किल की ओर से उपस्थित हुआ, तो द्वितीय प्रत्यर्थी – संघ के सदस्यों ने उसके विधिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने का प्रयास किया, उन्होंने अवैध साधनों को भी आश्रय लिया और उनके मुवक्किल को भी न्यायालय परिसर में परेशान किया । इसके उत्तर में कोटद्वार बार संघ ने अपने खंडन शपथपत्र के पैराग्राफ 11 में रिट याचिका के पैराग्राफ 12 में समाविष्ट कथनों से यह अभिकथित करते हुए इनकार किया है कि कोटद्वार बार संघ और उसके सदस्यों ने याची को न्यायालय में अभियुक्त की तरफ से उपस्थित होने से कभी नहीं रोका ; और वे बारंबार कोटद्वार, पौढ़ी गढ़वाल के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष अभियुक्त विनोद कुमार की तरफ से उपस्थित हुए । द्वितीय प्रत्यर्थी ने रिट याचिका के समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र के पैराग्राफ 14 की अंतर्वस्तु से इनकार करते हुए अपने खंडन शपथपत्र के पैराग्राफ 13 में अभिकथित किया है कि उन्होंने कभी किसी अधिवक्ता को उसके मुवक्किल की तरफ से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से नहीं रोका और याची को कभी कोई धमकी भी नहीं दी ।

29. कोटद्वार बार संघ द्वारा अपने खंडन शपथपत्र में जिस बात से इनकार नहीं किया गया है, वह याची का यह प्रकथन है कि उन्होंने अभियुक्त विनोद कुमार के मामले में सुनवाई का विरोध करते हुए कोटद्वार जिला न्यायालय के परिसर में तालाबंदी कर दी थी ; और उन्होंने न्यायालय के क्रियान्वयन में और न्याय के वितरण में बाधा उत्पन्न की । हम खंडन शपथपत्र में किसी विनिर्दिष्ट इनकार की अनुपस्थिति में याची के इस प्रकथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाते कि कोटद्वार जिला न्यायालय परिसर में अभियुक्त विनोद कुमार के मामले के सुने जाने के विरोध में तालाबंदी कर दी गई थी । हमको यह प्रतीत होता है कि कोटद्वार जिला न्यायालय न केवल हुदंग के कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहा बल्कि उन्होंने उच्च

न्यायालय को भी इस प्रकार के उपद्रवी कार्यों के बारे में अंधेरे में रखा जिनमें कोटद्वार बार संघ के सदस्य अंतवर्लित थे । कुछ न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रशासनिक स्तर पर इस मामले का परीक्षण करे कि क्या कोटद्वार के अपर जिला न्यायाधीश कोटद्वार बार संघ के सदस्यों द्वारा इस प्रकार की विधि विरुद्ध घटनाओं को रोक पाने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहे ।

30. कोटद्वार के अपर जिला न्यायाधीश अब आगे से इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोटद्वार बार संघ के किसी सदस्य द्वारा न्यायालय की कार्यवाहियों में किसी भी प्रकार के व्यवधान से कड़ाई पूर्वक निपटा जाए और उन लोगों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाए जो याची के मार्ग में अभियुक्त के अधिवक्ता के रूप में उसकी बाध्यताओं के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें । पौढ़ी गढ़वाल के पुलिस अधीक्षक किसी भी प्रकार के उत्पात, जो न्यायालय परिसर में घटित हो सकता है, की घटना को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराएंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान के चलती रहे । यदि ऐसी घटना पुन: घटित होती है तो कोटद्वार के अपर जिला जज उच्च न्यायालय को निर्देश करते हुए अविलंब रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ताकि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार कर पाने के समर्थ हो सके कि क्या 1971 के न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 15(2) के अधीन उन अधिवक्ताओं के विरुद्ध, जो न्यायालय की कार्यवाहियों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं या न्यायालय परिसर में तालाबंदी करते हैं, अभियुक्त के मामले में सुनवाई के विरुद्ध विरोध करते हैं, के विरुद्ध दांडिक अवमानना का संज्ञान लिया जाना चाहिए । यदि अपर जिला न्यायाधीश द्वारा कोई अनुरोध किया जाता है, तो पौढ़ी गढ़वाल के पुलिस अधीक्षक और कोटद्वार के संबद्ध पुलिस अधिकारी न्यायालय परिसर में अविलंब आवश्यक पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराएंगे ताकि न्याय प्रशासन बिना किसी बाधा के चलता रहे । यदि याची अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार के शारीरिक क्षति के खतरे का सामना करता है तो पौढ़ी गढ़वाल के पुलिस अधीक्षक इस प्रकार के किसी भी खतरे के बाबत सूचना दिए जाने

पर शीघ्रतापूर्वक इस तथ्य का परीक्षण करेंगे कि उनको पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराया जाए और ऐसी कार्रवाई करेंगे जो उनकी शारीरिक सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ।

31. कोटद्वार बार संघ द्वारा तारीख 16 मई, 2009 को पारित प्रस्ताव को संपूर्णतया अकृत्य और शून्य घोषित किया जाता है । द्वितीय प्रत्यर्थी बार संघ इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अब भविष्य में उनका कोई भी सदस्य याची के अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा या उनको प्रतिषिद्ध नहीं करेगा और उनको द्वितीय प्रत्यर्थी-बार संघ की उनकी सदस्यता समाप्त करने की धमकी देने से विरत रहेगा ।

32. उत्तराखंड विधिज्ञ परिषद् की शक्ति की परिधि के अंतर्गत किसी अधिवक्ता, जो ऐसे कार्यों में अंतर्वलित है और साथ ही बार संघ के विरुद्ध भी अंतर्वलित है, के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के प्रयोजनार्थ इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए जाने के संबंध में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 6 राज्य विधिज्ञ परिषद् के कार्यों से संबंधित है और उसकी उपधारा (1)(ग) के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् के कार्य, उनके रजिस्टर पर उपलब्ध अधिवक्ताओं के विरुद्ध अवचार के मामलों को विनिर्धारित किया जाना और उन पर विचार किया जाना सम्मिलित है । अधिवक्ता अधिनियम का अध्याय 5 अधिवक्ताओं के आचरण से संबंधित है और इस अध्याय के अधीन धारा 35 अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंडित किए जाने से संबंधित है । इस धारा की उपधारा (1) उपबंधित करती है कि जहां किसी परिवाद या अन्यथा की प्राप्ति पर किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् को इस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि उसके रजिस्टर में सम्मिलित कोई भी अधिवक्ता वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है, तो वह मामले को निस्तारण के लिए अपनी अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट कर देगा । धारा 35(3) राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासनिक समिति से यह अपेक्षा करती है कि संबद्ध अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् अन्य

बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आदेश पारित करे – (ग) अधिवक्ता को उतनी अवधि के लिए वृत्ति से निलंबित कर दे जितना की वह उचित समझे ; और (घ) अधिवक्ता का नाम अधिवक्ताओं के राज्य रजिस्टर से हटा दे ।

33. भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियम का भाग 8 अनुशासनिक कार्यवाहियों और पुनर्विलोकन से संबंधित है और उसका अध्याय 1 अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों पर विचार किए जाने से संबंधित है और उस प्रक्रिया से संबंधित है, जिसका अनुसरण राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासनिक समिति द्वारा किया जाना है । अधिवक्ता अधिनियम और भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के पूर्वोक्त उपबंध राज्य विधिज्ञ परिषद् को उनके रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं के विरुद्ध वृत्तिक और अन्य औचार के लिए कार्यवाही किए जाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं । कोटद्वार बार संघ के सदस्य अधिवक्ता हैं, जो उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत हैं और उनको इस प्रकार की कोई भी धमकी दिए जाने और कोटद्वार बार संघ के पदाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए गलतियां करने वाले समस्त अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ नि:संदेह रूप से राज्य विधिज्ञ परिषद् सशक्त है ।

34. राज्य विधिज्ञ परिषद् 2001 के अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के अधीन बार संघों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए सशक्त है । उक्त अधिनियम का अध्याय 4 अधिवक्ताओं के किसी भी संघ को मान्यता प्रदान किए जाने से संबंधित है और उक्त अधिनियम की धारा 16 अधिवक्ताओं के किसी संघ को राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने से संबंधित है । धारा 16 की उपधारा (1)(2) अधिवक्ताओं के किसी भी संघ, जो संघ के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, को राज्य विधिज्ञ परिषद् की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान करती है । धारा 16(4) के नीचे उपलब्ध स्पष्टीकरण धारा 16 के प्रयोजनार्थ शब्द 'रजिस्ट्रीकृत' को 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने या

रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अवधारणा किए जाने के लिए के प्रयोजनार्थ परिभाषित करती है । धारा 16(4) राज्य विधिज्ञ परिषद् को सशक्त करती है कि वह जांच के पश्चात्, जैसे कि आवश्यक प्रतीत करे, संघ को मान्यता प्रदान करने और ऐसे प्ररूप में मान्यता का प्रमाणपत्र जारी करे जैसाकि विहित किया गया हो । धारा 16(5) अनुध्यात करती है कि उपधारा (4) के अधीन किसी संघ को मान्यता प्रदान किए जाने से संबंधित किसी भी मामले पर राज्य विधिज्ञ परिषद् का विनिश्चय अंतिम होगा । 1897 के सामान्य खंड अधिनियम की उपधारा (4) के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् को मान्यता का प्रमाणपत्र जारी किए जाने से संबंधित प्रदत्त शक्तियों में उनको जारी प्रमाणपत्र को निरस्त किए जाने की शक्ति भी सम्मिलित होगी, जिस शक्ति का प्रयोग वे अपवादिक परिस्थितियों में ही कर सकते हैं । हम इस बात को अभिनिर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ समझ नहीं पा रहे कि उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद् को उस मान्यता प्रमाणपत्र को रद्द कर देना चाहिए जो पहले कोटद्वार बार संघ के पक्ष में जारी किया गया था । हम मात्र उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद् को उनकी शक्तियों के बाबत स्मरण करा रहे हैं कि वे उद्दंड बार संघों, जो विधि की अवमानना करना जारी रखते हैं और ऐसे कार्यों में अंतर्वलित होते हैं जो किसी अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाले हों, और साथ ही अभियुक्त का उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा किए जाने के मूल अधिकार को नियंत्रित करें ।

35. ऐसे मामलों में किसी मान्यता प्राप्त बार संघ द्वारा, कोटद्वार बार संघ को सम्मिलित करते हुए, भविष्य में पारित किए जाते हैं, उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद् ऐसे बार संघों के पदाधिकारियों और अवचार के ऐसे कार्यों के दोषी अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करेंगे और शिकायत को अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट करेंगे । साथ ही राज्य विधिज्ञ परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की अनुपस्थिति में अधिवक्ता अधिनियम की धारा 8-क के अधीन गठित उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद् की विशेष समिति को कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है और वह तद्नुसार कार्यवाही करेगी ।

36. कोटद्वार बार संघ द्वारा तारीख 16 मई, 2019 को पारित प्रस्ताव को अकृत्य और शून्य घोषित किया जाता है और तद्नुसार संपूर्णता में अभिखंडित किया जाता है । रिट याचिका 25,000/- रुपए की लागत के साथ मंजूर की जाती है जिसका संदाय कोटद्वार बार संघ याची को आज की तारीख से चार सप्ताह के भीतर करेगा, जिसमें विफल रहने पर याची को यह अधिकार होगा कि वह उक्त रकम की वसूली विधि अनुसार कर सके ।

याचिका मंजूर की गई ।

शु.

(2020) 1 सि. नि. प. 519 **कलकत्ता**

सजल कुमार मंडल

बनाम

इंडियन आयल कारपोरेशन

[2018 की रिट याचिका संख्या 22927 (डब्ल्यू.)]

तारीख 16 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति आशीष कुमार चक्रवर्ती

संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) – धारा 10 [सपठित संविधान, 1950 का अनुच्छेद 299] – कानूनी संविदा – कानूनी संविदा तभी गठित होती है जब वह किसी कानूनी या लोक निकाय द्वारा निष्पादित की जाती है और जिसमें कानूनी नियम और शर्तें समाविष्ट होती हैं – मात्र इस तथ्य के आधार पर कि संविदा कानून द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए निष्पादित की गई, उस संविदा को कानूनी संविदा नहीं कहा जा सकता ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 299 – संविदाएं – संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई समस्त संविदाएं,

राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई कही जाएंगी और वे सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण पत्र राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और रीति से निष्पादित किए जाएंगे जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्दिष्ट या प्राधिकृत करे ।

संक्षेप में मामले के तथ्य है कि तारीख 27 नवंबर, 2010 को या उसके आसपास प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त क्षेत्र के लिए राजीव गांधी ग्रामीण तरल पेट्रोलियम गैस वितरक योजना के अधीन तरल पेट्रोलियम गैस के वितरकों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए सूचना जारी की । उक्त विज्ञापन के प्रत्युत्तर में याची ने उक्त क्षेत्र के लिए तरल पेट्रोलियम गैस का वितरक बनने के लिए आवेदन फाइल किया और तारीख 23 अगस्त, 2011 को लाटरी निकाले जाने पर उसका उक्त वितरण के लिए चयन कर लिया गया, किंतु इसी दौरान उसने तारीख 24 नवंबर, 2010 के एक रजिस्ट्रीकृत क्रय विलेख संख्या 4561 द्वारा श्री बिमल चंद नंदी से एक भूखंड क्रय कर लिया जिसकी माप 14 डेसीमल थी और उसका आशय उक्त भूखंड पर गोदाम और तरल पेट्रोलियम गैस वितरण के शोरूम को स्थापित करना था । याची ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन में अभिकथित किया कि उसका आशय तरल पेट्रोलियम गैस गोदाम और शोरूम स्थापित करना है । याची ने आगे दावा किया कि उसने गैस सिलेंडरों का भंडारण किए जाने के लिए गोदाम स्थापित किए जाने और गैस सिलेंडरों की निर्विघ्न आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ तारीख 23 नवंबर, 2011 के रजिस्ट्रीकृत विलेख को दृष्टि में रखते हुए एक अन्य संलग्न भूखंड भी क्रय कर लिया है, जिसका क्षेत्रफल 4 डेसीमल है । तारीख 27 फरवरी, 2012 को याची और प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य एक करार निष्पादित हुआ था, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याची को उक्त क्षेत्र के लिए तरल पेट्रोलियम गैस का वितरक नियुक्त कर दिया । वे नियम और शर्तें जिनके अधीन प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याची को उक्त क्षेत्र का तरल पेट्रोलियम गैस वितरक नियुक्त किया, को तारीख 27 फरवरी, 2012 के उक्त करार में अभिलिखित किया गया । तारीख 27 फरवरी, 2012 के उक्त करार का खंड 37(क) यह अनुध्यात करता है

कि उक्त करार के अधीन या उसके संबंध में उद्भूत होने वाले समस्त विवाद और मतभेद प्रत्यर्थी संख्या 1 के निदेशक (विपणन) द्वारा एकल माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे और यदि उक्त निदेशक एकल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 के ही किसी अन्य अधिकारी को एकल माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाएगा, जो एकल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो । याची को प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य में बांकुरा जिले के पुलिस थाना तालदंगरा के पंचमोरा में तरल पेट्रोलियम गैस के वितरक के रूप में नियुक्त किया गया । इस रिट याचिका में याची ने प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी के कार्यकारी निदेशक, डब्ल्यू. बी. एस. ओ. द्वारा जारी तारीख 14 नवंबर, 2018 की सूचना को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याची के तरल पेट्रोलियम गैस वितरण को समाप्त कर दिया गया । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – मैं रिट याचिका पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उठाए गए आक्षेपों को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझता हूं कि इस विवाद्यका को पहले निर्णीत किया जाए । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है प्रत्यर्थी संख्या 1 आयल कंपनी द्वारा रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में उठाया गया आक्षेप तारीख 27 फरवरी, 2012 और 27 फरवरी, 2017 के उक्त करारों के खंड 37 में समाविष्ट माध्यस्थम् करार पर आधारित है । उक्त करारों से उद्भूत होने वाले किसी विवाद विनिश्चय के लिए पक्षों के मध्य माध्यस्थम् करारों की विद्यमान्यता विवादित नहीं है । ऐसा नहीं हो सकता और यह रिट याची का पक्षकथन भी नहीं है कि तारीख 27 फरवरी, 2012 का डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार या तारीख 27 फरवरी, 2017 का नवीनीकरण करार कानून संविदा है । यह सुस्थापित विधि है कि कोई संविदा मात्र इस कारणवश कानूनी संविदा नहीं बन जाती कि वह किसी लोक उपयोग के निर्माण/स्थापन के लिए है और उस संविदा को किसी कानूनी या लोक प्राधिकारी, जो लोक उपयोगिता वाली सेवाएं चलाने वाले कारबार में संलग्न है, द्वारा प्रदान किया गया है । यह तथ्य कि करार का एक पक्ष कोई कानूनी या लोक निकाय है, स्वमेव

ही इस स्थिरीकृत सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा कि किसी संविदा में प्रसंविदा के अर्थ के बारे में विवाद या उसका प्रवर्तन संविदा विधि के अनुसार विनिर्धारित किया जाना चाहिए और मात्र इस कारणवश कि किसी संविदा में किसी कानून द्वारा प्रदत्त किसी समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रवेश किया गया है, स्वमेव ही संविदा को कानूनी संविदा नहीं बना देगा । यह केवल तब होता है जब विहित नियमों और शर्तों, जो कानूनी हैं, को समाविष्ट करने वाली किसी संविदा में कोई कानूनी या लोक निकाय प्रविष्ट होता है, तो उक्त संविदा उस सीमा तक कानूनी संविदा हो जाती है । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाले मामले में दिए गए विनिश्चय को निर्दिष्ट किया जाना लाभदायक होगा । उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ब्रिज एंड रुफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार और किसी निर्माण कंपनी के मध्य संविदा कानूनी संविदा नहीं है और निजी विधि के अधिक्षेत्र के अंतर्गत आती है । इस प्रकार की संविदा, संविदा अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होती हैं, यह संभव है कि उनमें माल विक्रय अधिनियम के कतिपय उपबंध भी लागू हों । इस प्रकार की संविदा के नियमों और शर्तों के निर्वचन के संबंध में किसी भी विवाद में रिट याचिका के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता । यदि पक्षों के मध्य संविदा में माध्यस्थम् करार समाविष्ट है, तो पक्षों के मध्य ऐसी संविदा के नियम और शर्तें, चाहे दोनों में से एक पक्ष लोक या कानूनी निकाय हो, का निर्णय माध्यस्थम् द्वारा किया जाना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यही विचार पिम्पिरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कारपोरेशन और अन्य बनाम गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य वाले मामले में दोहराए गए । ए. बी. एल. इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य बनाम एक्सपोर्टक्रेडिट गारंटी कारपोशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी समूचित मामले में संविदात्मक बाध्यता से उद्भूत होने वाली राज्य या राज्य के किसी अभिकरण के विरुद्ध रिट याचिका पोषणीय होती है और मात्र तथ्य के कतिपय विवादित प्रश्नों की विद्यमान्यता सभी

मामलों में एक स्थिरीकृत नियम के रूप में इस प्रकार की रिट याचिका पर विचार किए जाने से इनकार किए जाने का आधार नहीं बन सकता । फिर भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त विनिश्चय के पैरा 14 में विधि के इस स्थिरीकृत सिद्धांत को दोहराया कि यदि विवाद के पक्ष अपने विवादों को माध्यस्थम् के माध्यम से स्थिरीकृत करने के लिए सहमत हो गए हैं और इस संबंध में एक करार भी विद्यमान है, तो न्यायालय माध्यस्थम् द्वारा अनुतोष का अवलंब लिए बिना किसी अन्य अनुतोष के आश्रय की अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि निश्चित रूप से विवाद के दोनों ही पक्ष विवाद के निस्तारण के लिए किसी अन्य माध्यम के लिए सहमत न हो गए हों । प्रत्यर्थी तेल कंपनी द्वारा उद्धृत एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी जूट मिल का स्वामी था । भारत सरकार ने उसके पक्ष में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्ष 2000 में एक आदेश पारित किया, जिसे 'जूट एंड जूट टेक्सटाइल कंट्रोल आर्डर, 2000' के रूप में जाना जाता है । उक्त आदेश के द्वारा जूट आयुक्त को कच्चे जूट का स्टाक विनियमित करने, मूल्य निर्धारित करने और उसका उत्पादन नियंत्रित करने की शक्तियां प्रदान की गई थीं । जूट आयुक्त ने उक्त नियंत्रण आदेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न जूट मिल स्वामियों को उत्पादन नियंत्रण आदेश जारी किए । जूट आयुक्त ने उक्त उत्पादन नियंत्रण आदेश का मूल्य भारतीय जूट निगम लिमिटेड, जो उक्त विशेष इजाजत याचिका में प्रत्यर्थी था, को आवश्यक विक्रय संविदा जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ भेजा ताकि जूट विनिर्माताओं को उत्पादन नियंत्रण आदेश में विनिर्दिष्ट कच्चे जूट की अपेक्षित मात्रा की सुपुर्दगी लेने के समर्थ बनाया जा सके । उक्त नियंत्रण आदेश के निबंधनों के अनुसार भारतीय जूट निगम लिमिटेड विशेष इजाजत याचिका के याची के साथ विक्रय संविदा में भी प्रविष्ट हुआ, जिसने प्रत्यर्थी भारतीय जूट निगम से अक्तूबर, 2003 से अप्रैल, 2004 की अवधि के लिए जारी किया गया कच्चा जूट नहीं खरीदा, किंतु उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उत्पादन नियंत्रण आदेश के अधीन अपने समस्त वचनों को बाजार से कच्चा जूट उपाप्त करने के

द्वारा पूरा कर दिया है । इस बात की आशंका को ध्यान में रखते हुए कि उनको अब आगे और अधिक कच्चा माल आबंटित नहीं किया जाएगा और/या उनके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही की जाएगी, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित याचियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय जूट निगम लिमिटेड के विरुद्ध रिट याचिका अन्य बातों के साथ इस घोषणा का दावा करते हुए फाइल की कि रिट याचिका के प्रत्यर्थी संख्या 2 को आपूर्ति आदेशों के अंतर्गत आपूर्ति को प्रभावी करने के लिए भारतीय जूट निगम लिमिटेड से अनिवार्य रूप से कच्चा जूट क्रय करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, सक्षमता प्राप्त नहीं है और/या उन को प्राधिकार नहीं है । उक्त रिट याचिका में इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध भारतीय जूट निगम लिमिटेड ने अपील फाइल की । तथापि, पक्षों के मध्य विक्रय संविदा में समाविष्ट माध्यस्थम् करार की विद्यमान्यता को दृष्टि में रखते हुए खंड न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि रिट याचिका पोषणीय नहीं है और विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश को अपास्त कर दिया । रिट याची जूट कंपनी ने इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ की उक्त विनिश्चय को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित विनिश्चय को मान्य ठहराते हुए अभिनिर्धारित किया कि उच्चतर न्यायालयों में निहित न्यायिक पूर्णविलोकन की शक्ति नि:संदेह रूप से व्यापक आयाम वाली होती है, किंतु उसका प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए, जब कोई माध्यस्थम् खंड विद्यमान हो । यही विचार उच्चतम न्यायालय द्वारा संजना एम. विग बनाम भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन वाले मामले में व्यक्त किए गए हैं । उच्चतम न्यायालय ने उक्त विनिश्चय के पैरा 12 में अभिनिर्धारित किया कि यदि पक्षों के मध्य तथ्यों के विवादित प्रश्नों का न्यायनिर्णयन अपेक्षित होता है, जिसके लिए पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मौखिक और दस्तावेजी, दोनों ही प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करे, तो इसका विनिर्धारण पक्षों द्वारा चुने गए घरेलू फोरम द्वारा किया जा सकता है और न्यायालय इस मामले में रिट आवेदन पर विचार नहीं करेगा । तब से अत्यधिक समय व्यतीत हो चुका है किंतु इस विनिश्चय

पर, यद्यपि यह विनिश्चय अत्यधिक पुराना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और यह विनिश्चय आज भी लागू है । प्रत्यर्थी तेल कंपनी द्वारा उद्धृत जोशी टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल इनकारपोरेटेड वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्यत: जहां संविदा में विवाद के निपटारे का कोई विशिष्ट तरीका उपबंधित है, तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर देगा और पक्षों से निपटारे के उक्त तरीके का आश्रय लेने की अपेक्षा करेगा, विशेष रूप से जब विवाद का निपटारा माध्यस्थम् के माध्यम से पुनर्स्थापित किया जाना है । मैं, पूर्वोक्त विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के उपरोक्त सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 तेल कंपनी द्वारा दी गई दलीलों में वर्तमान रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में तारीख 27 फरवरी, 2012 के डिस्ट्रीब्यूशन करार और तारीख 27 फरवरी, 2017 के डिस्ट्रीब्यूशन करार, जो नवीनीकरण करार है और जिसके द्वारा तारीख 27 फरवरी, 2012 के मूल करार का नवीनीकरण किया गया, जो वर्तमान में लागू है, में समाविष्ट माध्यस्थम् करार को दृष्टि में रखते हुए पर्याप्त बल पाता हूं । वर्तमान मामले में इस बाबत विवाद नहीं है कि पक्षों के मध्य माध्यस्थम् करार की विद्यमान्यता और साथ ही यह तथ्य कि याची प्रत्यर्थी संख्या 1 के डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार की समाप्ति के संबंध में विवाद माध्यस्थम् करार द्वारा आच्छादित है । प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार की समाप्ति को याची द्वारा चुनौती इस आधार पर दी गई है कि उससे प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिकारियों द्वारा श्रीमती तरालिका शीट से 14 डेसीमल भूमि के उक्त भूखंड का 50 प्रतिशत भाग क्रय किया जाना अपेक्षित था, में तथ्य के विवादित प्रश्न का न्यायनिर्णयन अंतर्वलित है, जिसका विचारण साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए । प्रत्यर्थी संख्या 1 तेल कंपनी द्वारा याची के डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार की समाप्ति की विधिमान्यता में डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के खंड 27(1) का निर्वचन भी अंतर्वलित है । यदि दलील दिए जाने के प्रयोजन है यह अभिनिर्धारित भी कर दिया जाए कि 1996 के माध्यस्थम् और सुलह खंड की धारा 12 की उपधारा (5) के सम्मिलित

किए जाने को दृष्टि में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 तेल कंपनी का निदेशक (विपणन) स्वमेव मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकते और न ही वे किसी अन्य को मध्यस्थ के रूप में नामांकित कर सकते हैं, अत: याची को अनुतोष मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने के प्रयोजनार्थ इस माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन समुचित आवेदन फाइल किए जाने के द्वारा ही संभव होगा । यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वेल्डपुल कारपोरेशन वाले मामले में दिया गया विनिश्चय, जिसको याची द्वारा उद्धृत किया गया, में पक्षों के मध्य माध्यस्थम् करार की विद्यमान्यता के आधार पर रिट याचिका के पोषणीयता के बिंदु पर विचार नहीं किया गया है । उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बिंदु पर विचार किया कि क्या याची किसी ऐसे आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका फाइल कर सकते हैं, जिसे अर्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो और इस बात के बावजूद कि उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने का आनुकल्पित अनुतोष उपलब्ध है । (पैरा 9 और 10)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2015] (2015) 7 एस. सी. सी. 728 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3609 : **जोशी टेक्नोलाजीज इंटरनेशनल इनकार्पोरेटेड** बनाम **भारत संघ और अन्य** ; 6

[2011] (2011) 5 एस. सी. सी. 697 : **भारत संघ और एक अन्य** बनाम **तंतिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड** ; 8

[2010] (2010) 3 एस. सी. सी. 321 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1781 : **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और अन्य** बनाम **सुपर हाईवे सर्विसेस और एक अन्य** ; 8

[2008] (2008) 8 एस. सी. सी. 172 = 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5503 :
पिम्पिरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कारपोरेशन और अन्य बनाम **गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य** ; 9

[2007] (2007) 14 एस. सी. सी. 680 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6930 :
इम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम **जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और एक अन्य** ; 6

[2005] (2005) 8 एस. सी. सी. 242 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3454 :
संजना एम. विग बनाम **भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन** ; 9

[2004] (2004) 3 एस. सी. सी. 553 :
ए. बी. एल. इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य बनाम **एक्सपोर्टक्रेडिट गारंटी कारपोशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य** ; 9

[2000] (2000) 3 एस. सी. सी. 379 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1005 :
इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 9

[1998] (1998) 8 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 22 :
व्हिर्लपूल कारपोरेशन बनाम **व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार और एक अन्य** ; 7

[1996] (1996) 6 एस. सी. सी. 22 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 3515 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **ब्रिज एंड रुफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड** । 9

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2018 की रिट याचिका संख्या 22927 (डब्ल्यू.)

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री अशोक बनर्जी (वरिष्ठ अधिवक्ता), सुदीप्तो पांडा और सुब्रता घोष

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री एस. एस. यादव

आदेश

याची को प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य में बांकुरा जिले के पुलिस थाना तालदंगरा के पंचमोरा (जिसको इसमें इसके पश्चात् 'उक्त क्षेत्र' कह कर निर्दिष्ट किया गया है) में तरल पेट्रोलियम गैस के वितरक के रूप में नियुक्त किया गया था । इस रिट याचिका में याची ने प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी के कार्यकारी निदेशक, डब्ल्यू. बी. एस. ओ. द्वारा जारी तारीख 14 नवंबर, 2018 की सूचना को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याची के तरल पेट्रोलियम गैस वितरण को समाप्त कर दिया गया था ।

2. इस रिट याचिका को निर्णीत किए जाने के लिए विचार किए जाने योग्य तथ्य यह है कि तारीख 27 नवंबर, 2010 को या उसके आसपास प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त क्षेत्र के लिए राजीव गांधी ग्रामीण तरल पेट्रोलियम गैस वितरक योजना के अधीन तरल पेट्रोलियम गैस के वितरकों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए सूचना जारी की । उक्त विज्ञापन के प्रत्युत्तर में याची ने उक्त क्षेत्र के लिए तरल पेट्रोलियम गैस का वितरक बनने के लिए आवेदन फाइल किया और तारीख 23 अगस्त, 2011 को लाटरी निकाले जाने पर उसका उक्त वितरण के लिए चयन कर लिया गया, किंतु इसी दौरान उसने तारीख 24 नवंबर, 2010 के एक रजिस्ट्रीकृत क्रय विलेख संख्या 4561 द्वारा श्री बिमल चंद नंदी से एक भूखंड क्रय कर लिया जिसकी माप 14 डेसीमल थी और उसका आशय उक्त भूखंड पर गोदाम और तरल पेट्रोलियम गैस वितरण के शोरूम को स्थापित करना था । याची ने

प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन में अभिकथित किया कि उसका आशय तरल पेट्रोलियम गैस गोदाम और शोरूम स्थापित करना है । याची ने आगे दावा किया कि उसने गैस सिलेंडरों का भंडारण किए जाने के लिए गोदाम स्थापित किए जाने और गैस सिलेंडरों की निर्विघन आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ तारीख 23 नवंबर, 2011 के रजिस्ट्रीकृत विलेख को दृष्टि में रखते हुए एक अन्य संलग्न भूखंड भी क्रय कर लिया है, जिसका क्षेत्रफल 4 डेसीमल है ।

3. तारीख 27 फरवरी, 2012 को याची और प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य एक करार निष्पादित हुआ था, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याची को उक्त क्षेत्र के लिए तरल पेट्रोलियम गैस का वितरक नियुक्त कर दिया था । वे नियम और शर्तें जिनके अधीन प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याची को उक्त क्षेत्र का तरल पेट्रोलियम गैस वितरक नियुक्त किया था, को तारीख 27 फरवरी, 2012 के उक्त करार में अभिलिखित किया गया था । तारीख 27 फरवरी, 2012 के उक्त करार का खंड 37(क) यह अनुध्यात करता है कि उक्त करार के अधीन या उसके संबंध में उद्भूत होने वाले समस्त विवाद और मतभेद प्रत्यर्थी संख्या 1 के निदेशक (विपणन) द्वारा एकल माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे और यदि उक्त निदेशक एकल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 के ही किसी अन्य अधिकारी द्वारा एकल माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाएगा, जो एकल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो ।

4. याची ने तारीख 27 फरवरी, 2012 के उक्त करार में प्रविष्ट होने के पश्चात् बांकुरा जिला के उक्त क्षेत्र में अपने तरल पेट्रोलियम गैस वितरण का कार्य आरंभ कर लिया । याची के अनुसार 2012 के माह मार्च में उसको 14 डेसीमल के क्षेत्रफल वाली भूमि, जिसको उसने श्री बिमल चंद नंदी से तरल पेट्रोलियम गैस का गोदाम स्थापित किए जाने के प्रयोजनार्थ खरीद लिया था, के स्वामित्व में कतिपय कमियों के बारे में सूचित किया गया । तत्पश्चात्, जब याची प्रत्यर्थी संख्या 1 के कार्यालय गया, तो उसको यह परामर्श दिया गया कि वह 14 डेसीमल क्षेत्रफल वाले उक्त भूखंड के अन्य सह-स्वामी से संपर्क करे । अतः,

याची ने उक्त भूखंड के अन्य सह-स्वामी श्रीमती तारालिका शीट से संपर्क किया और उससे उक्त भूखंड का 50 प्रतिशत भाग अर्थात् 7 डेसीमल क्षेत्रफल वाला भाग उसके पक्ष में अंतरित किए जाने का अनुरोध किया । याची तारीख 26 सितंबर, 2016 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ एक अनुपूरक करार में प्रविष्ट हुआ, जिसके द्वारा तारीख 27 फरवरी, 2012 के उक्त करार को इस सीमा तक उपांतरित कर दिया गया कि इस अनुपूरक करार की तारीख से याची का तरल पेट्रोलियम गैस वितरण का उक्त कार्य 'ग्रामीण वितरण' कार्य के रूप में समझा जाएगा बजाय 'राजीव गांधी ग्रामीण तरल पेट्रोलियम गैस वितरण' के । तारीख 16 नवंबर, 2016 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक ने याची को कारण बताओ सूचना यह अभिकथित करते हुए जारी की कि याची ने उक्त क्षेत्र के लिए तरल पेट्रोलियम गैस के वितरक की नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उसके आवेदन पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ 14 डेसीमल के क्षेत्रफल वाली भूमि के संबंध में अपने स्वामित्व को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस विवेक का अवलंब लिया है जिसका अर्थान्वयन उसने गोदाम के रूप में किया था, किंतु तारीख 27 फरवरी, 2012 के उक्त करार के निष्पादन के पश्चात् याची ने तारालिका शीट द्वारा तारीख 13 मार्च, 2012 को निष्पादित उक्त विलेख समान भूखंड के संबंध में प्रस्तुत किया, अर्थात् उस तारीख के पश्चात् जब उसका चयन राजीव गांधी ग्रामीण तरल पेट्रोलियम गैस वितरक के रूप में हो गया था । तद्नुसार, तारीख 16 नवंबर, 2016 की उक्त कारण बाताओ सूचना द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक ने याची को परामर्श दिया कि वह उक्त विसंगतियों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे । तारीख 5 दिसंबर, 2016 के उक्त पत्र द्वारा, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक को संबोधित था, याची ने तारीख 16 नवंबर, 2016 की उक्त कारण बताओ सूचना का उत्तर दिया । तत्पश्चात् तारीख 27 फरवरी, 2017 को याची और प्रत्यर्थी संख्या 1 करार ज्ञापन में प्रविष्ट हुए, तद्द्वारा याची के वितरण के कार्य का नवीनीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए पुन: कर दिया गया । तारीख 27 फरवरी, 2017 के उक्त करार का खंड 37(क) और

(ख) में वही माध्यस्थम् खंड समाविष्ट हैं, जो तारीख 27 फरवरी, 2017 के उक्त करार में उपबंधित थे । प्रत्यर्थी संख्या 3, प्रत्यर्थी संख्या 1 के महाप्रबंधक (तरल पेट्रोलियम गैस) ने तारीख 24 अप्रैल, 2018 को याची को पुन: कारण बताओ सूचना यह अभिकथित करते हुए जारी की कि उसने भूमि का प्रयोग, जिसकी माप उस भूमि से अधिक पाई गई जिसके बाबत उसके तारीख 26 नवंबर, 2010 के आवेदन में प्रस्ताव दिया गया था, गोदाम के निर्माण के प्रयोजनार्थ कर लिया है (अनुमोदित विष्फोटक योजना के अनुसार) और यह पाया गया था कि याची ने वितरक के रूप में चयन के पश्चात् तारीख 26 सितंबर, 2011 के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व विलेख को दृष्टि में रखते हुए अतिरिक्त भूखंड प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुमोदन के बिना या बिना उनके संज्ञान के खरीद लिया था, उक्त कारण बाताओ सूचना में यह प्रकथन किया गया कि राजीव गांधी ग्रामीण तरल पेट्रोलियम गैस वितरक योजना (2009) में चयन के लिए नियम-पुस्तक के खंड 20 के अनुसार यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई कोई सूचना किसी भी समय बिंदु पर वितरक के रूप में नियुक्ति के पहले या पश्चात् असत्य पाई जाती है, तो आवंटन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और वितरण का कार्य समाप्त कर दिया जाएगा । प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आगे वितरण करार के खंड 27(1) को भी निर्दिष्ट किया जिसमें यह उपबंधित है कि यदि वितरक द्वारा नियुक्त के लिए प्रस्तुत किए गए अपने आवेदन में उपलब्ध कराई गई कोई सूचना किसी भी तात्विक विवरण के मद्देनजर असत्य या अशुद्ध पाई जाती है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 को पूर्ण विवेकाधिकार होगा कि वह करार को तुरंत समाप्त कर सकें । याची को उसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था । याची ने तारीख 24 अप्रैल, 2018 की उक्त कारण बताओ सूचना को इस न्यायालय के समक्ष 2018 की रिट याचिका संख्या 22927 (डब्ल्यू.) रिट याचिका फाइल किए जाने के द्वारा चुनौती दे दी थी (**सजल मंडल** बनाम **इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और अन्य**) । इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 16 मई, 2018 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका का निस्तारण याची को तारीख 24 अप्रैल, 2018 की उक्त

कारण बाताओ सूचना का विस्तारपूर्वक प्रत्युत्तर फाइल करने की अनुज्ञा प्रदान करते हुए कर दिया ।

5. याची ने तारीख 25 मई, 2018 को तारीख 24 अप्रैल, 2018 की उक्त कारण बताओ सूचना का अपना प्रत्युत्तर प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष फाइल किया । प्रत्यर्थी संख्या 2 ने तारीख 25 मई, 2018 के उक्त प्रत्युत्तर पर विचारोपरांत याची को तारीख 14 नवंबर, 2018 की सूचना उसकी मैसर्स पंचमुड़ा इंडेन ग्रामीण वितरक के नामांतर्गत डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करते हुए जारी की । जैसाकि पहले भी उल्लेख किया गया है, याची की डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी की गई तारीख 14 नवंबर, 2018 की उक्त सूचना को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है ।

6. रिट याचिका की सुनवाई की आरंभिक प्रक्रम पर ही प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री एम. एस. यादव द्वारा दृढ़तापूर्वक रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में आक्षेप किया गया । उन्होंने दलील दी कि याची की तल पेट्रोलियम गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति के संबंध में पक्षों के मध्य विवाद डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार से उद्भूत हुआ है और चूंकि इस प्रकार के विवाद तारीख 27 फरवरी, 2012 और 27 फरवरी, 2017 के उक्त करारों में समाविष्ट माध्यस्थम् करारों द्वारा आच्छादित हैं, वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है । प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने अपनी इस दलीलों के समर्थन में उच्चतम न्यायालय द्वारा **इम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड और अन्य** बनाम **जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और एक अन्य**[1] और **जोशी टेक्नोलाजीज इंटरनेशनल इनकार्पोरेटेड** बनाम **भारत संघ और अन्य**[2] वाले मामलों में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया ।

7. इसके विपरीत रिट याची की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री अशोक बनर्जी ने निवेदन किया कि रिट याचिका की

---

[1] (2007) 14 एस. सी. सी. 680 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6930.

[2] (2015) 7 एस. सी. सी. 728 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3609.

पोषणीयता के संबंध में प्रत्यर्थी आयल कंपनी की दलील में कोई गुणागुण नहीं है । तथापि, श्री बनर्जी ने तारीख 27 फरवरी, 2012 और 27 फरवरी, 2017 के उक्त दोनों करारों में समाविष्ट याची और प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य माध्यस्थम् करार की विद्यमान्यता के संबंध में कोई विवाद नहीं किया । उन्होंने सर्वप्रथम **व्हिर्लपूल कारपोरेशन** बनाम **व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय को उद्धृत किया और निवेदन किया कि यह सुस्थापित विधि है कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ आनुकल्पिक अनुतोष वर्जन के रूप में कम से कम चार आकस्मिकताओं में क्रियान्वित नहीं होता :–

(i) जहां रिट याचिका किन्हीं मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए फाइल की गई है, या

(ii) जहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण किया गया है, या

(iii) जहां आदेश या कार्यवाहियां और चुनौती के अधीन अधिनियम का मर्म पूर्णतया बिना अधिकारिता के हैं ।

8. आगे यह निवेदन किया गया कि यह सुस्थापित विधि है कि किसी पक्ष के डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार का रद्दकरण एक गंभीर मामला है और इस पर हल्के में विचार नहीं किया जा सकता । जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार की समाप्ति के पूर्व व्यथित पक्ष को कोई पूर्व सूचना तामिल नहीं की गई, तो इसका परिणाम नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत का अतिक्रमण होगा कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई को हैरान नहीं किया जा सकता । श्री बनर्जी ने **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और अन्य** बनाम **सुपर हाईवे सर्विसेस और एक अन्य**[2] और **भारत संघ और एक अन्य** बनाम **तंतिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**[3] वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए

---

[1] (1998) 8 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 22.

[2] (2010) 3 एस. सी. सी. 321 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1781.

[3] (2011) 5 एस. सी. सी. 697.

गए विनिश्चयों का भी अवलंब लिया । उन्होंने दलील दी कि याची ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के परामर्श के अनुसार 14 डेसीमल क्षेत्रफल वाले उक्त भूखंड के उक्त तरालिका शीट नामक कंपनी के 50 प्रतिशत शेयर क्रय कर लिए थे । याची की ओर से यह दलील दी गई कि जब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उनसे उक्त भूखंड की कीमत का संदाय दोबारा किए जाने की अपेक्षा की, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 आयल कंपनी द्वारा याची के डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार को समाप्त किए जाने की कार्रवाई शक्ति के मनमाने प्रयोग द्वारा दूषित हो जाती है । इसलिए, तारीख 27 फरवरी, 2012 या तारीख 27 फरवरी, 2017 के उक्त करारों में समाविष्ट माध्यस्थम् करार के अधीन अनुकल्पिक अनुतोष प्रत्यर्थी संख्या 1 आयल कंपनी द्वारा उसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार को दोषपूर्ण ढंग से समाप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ याची के विरुद्ध या इस न्यायालय की रिट अधिकारिता का अवलंब लिए जाने के विरद्ध कोई वर्जन नहीं है ।

9. मैं रिट याचिका पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उठाए गए आक्षेपों को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझता हूं कि इस विवाद्यका को पहले निर्णीत किया जाए । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है प्रत्यर्थी संख्या 1 आयल कंपनी द्वारा रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में उठाया गया आक्षेप तारीख 27 फरवरी, 2012 और 27 फरवरी, 2017 के उक्त करारों के खंड 37 में समाविष्ट माध्यस्थम् करार पर आधारित है । उक्त करारों से उद्भूत होने वाले किसी विवाद विनिश्चय के लिए पक्षों के मध्य माध्यस्थम् करारों की विद्यमान्यता विवादित नहीं है । ऐसा नहीं हो सकता और यह रिट याची का पक्षकथन भी नहीं है कि तारीख 27 फरवरी, 2012 का डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार या तारीख 27 फरवरी, 2017 का नवीनीकरण करार कानून संविदा है । यह सुस्थापित विधि है कि कोई संविदा मात्र इस कारणवश कानूनी संविदा नहीं बन जाती कि वह किसी लोक उपयोग के निर्माण/स्थापन के लिए है और उस संविदा को किसी कानूनी या लोक प्राधिकारी, जो लोक उपयोगिता वाली सेवाएं चलाने वाले कारबार में संलग्न है, द्वारा प्रदान किया गया है । यह तथ्य कि करार का एक पक्ष

कोई कानूनी या लोक निकाय है, स्वमेव ही इस स्थिरीकृत सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा कि किसी संविदा में प्रसंविदा के अर्थ के बारे में विवाद या उसका प्रवर्तन संविदा विधि के अनुसार विनिर्धारित किया जाना चाहिए और मात्र इस कारणवश कि किसी संविदा में किसी कानून द्वारा प्रदत्त किसी समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रवेश किया गया है, स्वमेव ही संविदा को कानूनी संविदा नहीं बना देगा । यह केवल तब होता है जब विहित नियमों और शर्तों, जो कानूनी हैं, को समाविष्ट करने वाली किसी संविदा में कोई कानूनी या लोक निकाय प्रविष्ट होता है, तो उक्त संविदा उस सीमा तक कानूनी संविदा हो जाती है । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय को निर्दिष्ट किया जाना लाभदायक होगा । **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **ब्रिज एंड रुफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार और किसी निर्माण कंपनी (जो केंद्रीय सरकार का उपक्रम है) के मध्य संविदा कानूनी संविदा नहीं है और निजी विधि के अधिक्षेत्र के अंतर्गत आती है । इस प्रकार की संविदा, संविदा अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होती हैं, यह संभव है कि उनमें माल विक्रय अधिनियम के कतिपय उपबंध भी लागू हों । इस प्रकार की संविदा के नियमों और शर्तों के निर्वचन के संबंध में किसी भी विवाद में रिट याचिका के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता । यदि पक्षों के मध्य संविदा में माध्यस्थम् करार समाविष्ट है, तो पक्षों के मध्य ऐसी संविदा के नियम और शर्तें, चाहे दोनों में से एक पक्ष लोक या कानूनी निकाय हो, का निर्णय माध्यस्थम् द्वारा किया जाना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यही विचार **पिम्पिरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कारपोरेशन और अन्य** बनाम **गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य**[3] वाले मामले में दोहराए गए । **ए. बी. एल. इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य** बनाम **एक्सपोटक्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया**

---

[1] (2000) 3 एस. सी. सी. 379 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1005.

[2] (1996) 6 एस. सी. सी. 22 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 3515.

[3] (2008) 8 एस. सी. सी. 172 = 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5503.

लिमिटेड और अन्य[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी समूचित मामले में संविदात्मक बाध्यता से उद्भूत होने वाली राज्य या राज्य के किसी अभिकरण के विरुद्ध रिट याचिका पोषणीय होती है और मात्र तथ्य के कतिपय विवादित प्रश्नों की विद्यमान्यता सभी मामलों में एक स्थिरीकृत नियम के रूप में इस प्रकार की रिट याचिका पर विचार किए जाने से इनकार किए जाने का आधार नहीं बन सकता । फिर भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त विनिश्चय के पैराग्राफ 14 में विधि के इस स्थिरीकृत सिद्धांत को दोहराया कि यदि विवाद के पक्ष अपने विवादों को माध्यस्थम् के माध्यम से स्थिरीकृत करने के लिए सहमत हो गए हैं और इस संबंध में एक करार भी विद्यमान है, तो न्यायालय माध्यस्थम् द्वारा अनुतोष का अवलंब लिए बिना किसी अन्य अनुतोष के आश्रय की अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि निश्चित रूप से विवाद के दोनों ही पक्ष विवाद के निस्तारण के लिए किसी अन्य माध्यम के लिए सहमत न हो गए हों । प्रत्यर्थी तेल कंपनी द्वारा उद्धृत **एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी जूट मिल का स्वामी था । भारत सरकार ने उसके पक्ष में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्ष 2000 में एक आदेश पारित किया, जिसे 'जूट एंड जूट टेक्सटाइल कंट्रोल आर्डर, 2000' के रूप में जाना जाता है । उक्त आदेश के द्वारा जूट आयुक्त को कच्चे जूट का स्टाक विनियमित करने, मूल्य निर्धारित करने और उसका उत्पादन नियंत्रित करने की शक्तियां प्रदान की गई थीं । जूट आयुक्त ने उक्त नियंत्रण आदेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न जूट मिल स्वामियों को उत्पादन नियंत्रण आदेश जारी किए । जूट आयुक्त ने उक्त उत्पादन नियंत्रण आदेश का मूल्य भारतीय जूट निगम लिमिटेड, जो उक्त विशेष इजाजत याचिका में प्रत्यर्थी था, को आवश्यक विक्रय संविदा जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ भेजा ताकि जूट विनिर्माताओं को उत्पादन नियंत्रण आदेश में विनिर्दिष्ट कच्चे जूट की अपेक्षित मात्रा की सुपुर्दगी लेने के समर्थ बनाया जा सके । उक्त नियंत्रण आदेश के निबंधनों के अनुसार भारतीय जूट निगम लिमिटेड

---

[1] (2004) 3 एस. सी. सी. 553.

विशेष इजाजत याचिका के याची के साथ विक्रय संविदा में भी प्रविष्ट हुआ, जिसने प्रत्यर्थी भारतीय जूट निगम से अक्तूबर, 2003 से अप्रैल, 2004 की अवधि के लिए जारी किया गया कच्चा जूट नहीं खरीदा, किंतु उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उत्पादन नियंत्रण आदेश के अधीन अपने समस्त वचनों को बाजार से कच्चा जूट उपाप्त करने के द्वारा पूरा कर दिया है । इस बात की आशंका को ध्यान में रखते हुए कि उनको अब आगे और अधिक कच्चा माल आबंटित नहीं किया जाएगा और/या उनके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही की जाएगी, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित याचियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय जूट निगम लिमिटेड के विरुद्ध रिट याचिका अन्य बातों के साथ इस घोषणा का दावा करते हुए फाइल की कि रिट याचिका के प्रत्यर्थी संख्या 2 को आपूर्ति आदेशों के अंतर्गत आपूर्ति को प्रभावी करने के लिए भारतीय जूट निगम लिमिटेड से अनिवार्य रूप से कच्चा जूट क्रय करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, सक्षमता प्राप्त नहीं है और/या उनको प्राधिकार नहीं है । उक्त रिट याचिका में इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध भारतीय जूट निगम लिमिटेड ने अपील फाइल की । तथापि, पक्षों के मध्य विक्रय संविदा में समाविष्ट माध्यस्थम् करार की विद्यमान्यता को दृष्टि में रखते हुए खंड न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि रिट याचिका पोषणीय नहीं है और विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश को अपास्त कर दिया । रिट याची जूट कंपनी ने इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ की उक्त विनिश्चय को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित विनिश्चय को मान्य ठहराते हुए अभिनिर्धारित किया कि उच्चतर न्यायालयों में निहित न्यायिक पूर्णविलोकन की शक्ति नि:संदेह रूप से व्यापक आयाम वाली होती है, किंतु उसका प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए, जब कोई माध्यस्थम् खंड विद्यमान हो । यही विचार उच्चतम न्यायालय द्वारा **संजना एम. विग** बनाम **भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन**[1] वाले मामले में व्यक्त किए गए हैं । उच्चतम न्यायालय ने उक्त विनिश्चय के पैरा 12 में अभिनिर्धारित किया कि यदि पक्षों के मध्य तथ्यों के विवादित प्रश्नों

---

[1] (2005) 8 एस. सी. सी. 242 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3454.

का न्यायनिर्णयन अपेक्षित होता है, जिसके लिए पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मौखिक और दस्तावेजी, दोनों ही प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करे, तो इसका विनिर्धारण पक्षों द्वारा चुने गए घरेलू फोरम द्वारा किया जा सकता है और न्यायालय इस मामले में रिट आवेदन पर विचार नहीं करेगा । तब से अत्यधिक समय व्यतीत हो चुका है किंतु इस विनिश्चय पर, यद्यपि यह विनिश्चय अत्यधिक पुराना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और यह विनिश्चय आज भी लागू है । प्रत्यर्थी तेल कंपनी द्वारा उद्धृत **जोशी टेक्नोलाजीज इंटरनेशनल इनकारपोरेटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्यत: जहां संविदा में विवाद के निपटारे का कोई विशिष्ट तरीका उपबंधित है, तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर देगा और पक्षों से निपटारे के उक्त तरीके का आश्रय लेने की अपेक्षा करेगा, विशेष रूप से जब विवाद का निपटारा माध्यस्थम् के माध्यम से पुनर्स्थापित किया जाना है ।

10. मैं, पूर्वोक्त विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के उपरोक्त सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 तेल कंपनी द्वारा दी गई दलीलों में वर्तमान रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में तारीख 27 फरवरी, 2012 के डिस्ट्रीब्यूशन करार और तारीख 27 फरवरी, 2017 के डिस्ट्रीब्यूशन करार, जो नवीनीकरण करार है और जिसके द्वारा तारीख 27 फरवरी, 2012 के मूल करार का नवीनीकरण किया गया, जो वर्तमान में लागू है, में समाविष्ट माध्यस्थम् करार को दृष्टि में रखते हुए पर्याप्त बल पाता हूं । वर्तमान मामले में इस बाबत विवाद नहीं है कि पक्षों के मध्य माध्यस्थम् करार की विद्यमान्यता और साथ ही यह तथ्य कि याची प्रत्यर्थी संख्या 1 के डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार की समाप्ति के संबंध में विवाद माध्यस्थम् करार द्वारा आच्छादित है । प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार की समाप्ति को याची द्वारा चुनौती इस आधार पर दी गई है कि उससे प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिकारियों द्वारा श्रीमती तरालिका शीट से 14 डेसीमल भूमि के उक्त भूखंड का 50 प्रतिशत भाग क्रय किया जाना अपेक्षित था, मैं तथ्य के विवादित प्रश्न का न्यायनिर्णयन अंतर्वलित है, जिसका विचारण साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए । प्रत्यर्थी

संख्या 1 तेल कंपनी द्वारा याची के डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार की समाप्ति की विधिमान्यता में डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के खंड 27(1) का निर्वचन भी अंतर्वलित है । यदि दलील दिए जाने के प्रयोजन है यह अभिनिर्धारित भी कर दिया जाए कि 1996 के माध्यस्थम् और सुलह खंड की धारा 12 की उपधारा (5) के सम्मिलित किए जाने को दृष्टि में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 तेल कंपनी का निदेशक (विपणन) स्वमेव मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकते और न ही वे किसी अन्य को मध्यस्थ के रूप में नामांकित कर सकते हैं, अत: याची को अनुतोष मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने के प्रयोजनार्थ इस माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन समुचित आवेदन फाइल किए जाने के द्वारा ही संभव होगा । यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **वेल्डपुल कारपोरेशन** (उपरोक्त) वाले मामले में दिया गया विनिश्चय, जिसको याची द्वारा उद्धृत किया गया, में पक्षों के मध्य माध्यस्थम् करार की विद्यमान्यता के आधार पर रिट याचिका के पोषणीयता के बिंदु पर विचार नहीं किया गया है । उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बिंदु पर विचार किया कि क्या याची किसी ऐसे आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका फाइल कर सकते हैं, जिसे अर्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो और इस बात के बावजूद कि उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने का अनुकल्पित अनुतोष उपलब्ध है ।

11. जहां तक याची द्वारा उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और अन्य** बनाम **सुपर हाइवे सर्विसेस और एक अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का संबंध है और जैसाकि उक्त विनिश्चय के पैराग्राफ 35 में अभिलिखित है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन वाले उक्त मामले में रिट याचिका के प्रत्यर्थी ने याची द्वारा फाइल की गई रिट याचिका की पोषणीयता के बिंदु को उच्च न्यायालय के समक्ष डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार में माध्यस्थम् करार के अंतर्गत उपलब्ध आनुकल्पिक अनुतोष के आधार पर नहीं उठाया । यह प्रथम बार उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका में हुआ जब हिंदुस्तान पेट्रोलियाम

कारपोरेशन ने माध्यस्थम् करार के आधार पर रिट याचिका की पोषणीयता के आक्षेप को उठाया । अत: उच्चतम न्यायालय ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में उठाए गए आक्षेप पर पक्षों के मध्य माध्यस्थम् करार की विद्यमान्यता के आधार पर विचार नहीं किया जिसे विशेष इजाजत याचिका में प्रथम बार उठाया गया था । वर्तमान मामले में जब प्रत्यर्थी संख्या 1 तेल कंपनी ने आरंभ में ही रिट याचिका की पोषणीयता के आरंभिक आक्षेप को उठा दिया है, तो **सुपर हाइवे सर्विसेस और एक अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय का उक्त विनिश्चय इस मामले में लागू नहीं होता । याची द्वारा **तंतिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में उद्धृत किए गए अगले विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय का ध्यान **इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड** (उपरोक्त) **ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड** (उपरोक्त), **पिंपरी चिंचवार म्युनिसिपल कारपोरेशन और अन्य** (उपरोक्त) और **ए. बी. एल. इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य** (उपरोक्त) वाले मामलों में न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चयों की ओर आकर्षित नहीं किया गया था । अत: मैं **सुपर हाईवे सर्विसेस और एक अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त विनिश्चय का अवलंब लेने में कठिनाई महसूस करता हूं ।

12. पूर्वोक्त कारणोंवश यह न्यायालय तारीख 27 फरवरी, 2017 के डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार में समाविष्ट माध्यस्थम् करार की विद्यमान्यता को दृष्टि में रखते हुए इस रिट याचिका पर विचार कर पाने में असमर्थ है । तद्नुसार 2018 की रिट याचिका संख्या 22927 (डब्ल्यू.) अस्वीकार की जाती है । तथापि, पक्ष माध्यस्थम् करार का आश्रय लेने के हकदार होंगे ।

13. लागत के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता ।

14. इस निर्णय की तत्काल सत्यापित प्रतियां, यदि आवेदन प्रस्तुत किया जाए, अपेक्षित औपचारिकता के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए पक्षों को उपलब्ध करा दी जाएं ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

कर्नाटक राज्य फाइनेंशियल कारपोरेशन, रायापुर, धारवार

बनाम

अरविंद रामचंद्र अनेगुंडी और अन्य

(2017 की प्रकीर्ण प्रथम अपील संख्या 100774)

तारीख 25 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति बी. ए. पाटिल और न्यायमूर्ति ए. एस. बेल्लुंके

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – धारा 34(1) [सपठित राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29] – भविष्यवर्ती ब्याज किस दर से प्रदान किया जाए – न्यायालय का विवेकाधिकार – प्रत्यर्थियों/निर्णीत ऋणियों ने निष्पादन मामले में सारभूत रकम का संदाय कर दिया, किंतु फिर भी याची/डिक्रीदार ने कोई संगणना ज्ञापन फाइल नहीं किया और प्रत्यर्थियों/निर्णीत ऋणियों की व्यक्तिगत प्रतिभूति भी निरस्त कर दी और उनके विरुद्ध राज्य वित्त निगम अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही भी आरंभ कर दी – अत: प्रत्यर्थियों/निर्णीत ऋणियों के पक्ष में भविष्यवर्ती ब्याज के संबंध में विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है और भविष्यवर्ती ब्याज के रूप में 10 प्रतिशत ब्याज का संदाय उचित है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची/कर्नाटक राज्य वित्त निगम ने नवलगुंड के सिविल न्यायाधीश के समक्ष 2010 का मूल वाद संख्या 184 1951 के राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 31(1)(कक) के अधीन यह प्रकथन करते हुए फाइल की कि प्रत्यर्थियों - उधार लेने वालों ने तारीख 28 नवंबर, 2003 को 25,00,000/- रुपए की राशि और तारीख 26 दिसंबर, 2005 को 20,00,000/- रुपए की एक अन्य राशि नवालूर नामक स्थान पर श्री वेंकटेश्वर फ्लावर मिल के नाम से मैदा निर्मित करने की एक मिल स्थापित किए जाने और उसको विकसित किए जाने के प्रयोजनार्थ उधार ली थी । उपरोक्त कारबार

समुत्थान भागीदारी फर्म था । उधार लेने वाले अपीलार्थी-कर्नाटक राज्य वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् ऋण की रकम का पुनर्संदाय करने में विफल रहे । इसलिए, कर्नाटक राज्य वित्त निगम ने उधार लेने वालों द्वारा जमा की गई व्यक्तिगत प्रतिभूतियों का अवलंब लिया और तत्पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उधार लेने वालों पर वाद फाइल किए जाने की तारीख पर 41,15,244/- रुपए की राशि देय पाई जाती है । कर्नाटक राज्य वित्त निगम ने प्रत्यर्थियों द्वारा की गई व्यतिक्रम की रकम पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विलंबित ब्याज का दावा भी किया । प्रत्यर्थियों ने अनेक दलीलें देते हुए आक्षेप फाइल किए । उनकी मुख्य दलील यह है कि वाद परिसीमा द्वारा बाधित है, उनके द्वारा 41,15,244/- रुपए की राशि के संदाय का दायित्व विवादित था, कर्नाटक राज्य वित्त निगम द्वारा ब्याज के बाबत किया गया दावा अवैध और अत्यधिक है और उनके द्वारा प्रत्यर्थियों को समुचित खाते उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, कर्नाटक राज्य वित्त निगम ने पहले ही राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अधीन कार्यवाही आरंभ कर दी है, उनके द्वारा नवलगुंड के सिविल न्यायाधीश के समक्ष फाइल किए गए वाद में इस तथ्य को छुपाया गया है । इसलिए, उनके द्वारा वाद को खारिज किए जाने की ईप्सा की गई । विद्वान् सिविल न्यायाधीश ने उपबंध तथ्यों और सामग्री के आधार पर वाद का विचारण किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 और 9 41,15,224/- रुपए की राशि का संदाय याचिका फाइल किए जाने की तारीख से देय रकम की वसूली की तारीख तक 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित करने के दाई हैं । कर्नाटक राज्य वित निगम में सिविल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील विलंबित रकम पर शास्तिक ब्याज सहित समस्त ब्याज दर पर ब्याज दिलाए जाने के बजाय 10 प्रतिशत की दर से भविष्यवर्ती ब्याज दिलाए जाने के निर्णय की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए फाइल की । अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – इन उपबंधों को सरल दृष्टि से पढ़ने पर हम इस

निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न्यायालय को भविष्यवर्ती ब्याज अधिनिर्णीत करने का विवेकाधिकार प्राप्त है, जैसाकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 की उपधारा (1) और उसके साथ संलग्न परंतुक सपठित स्पष्टीकरण 1 और 2 के अधीन उपदर्शित किया गया है । स्वीकृतत: इस मामले में प्रत्यर्थियों द्वारा चलाया जा रहा कारबार बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा फ्लावर मिल का कारबार था, जिसमें खाद्यान्न की पिसाई अंतर्वलित होती है । यह विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थियों ने निष्पादन मामले में भी सारभूत रकम का संदाय कर दिया है । तथापि, किसी भी पक्ष द्वारा कोई संगणना ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2018 की रिट याचिका संख्या 101, 227 में 2018 की रिट याचिका संख्या 102217 में पारित तारीख 27 मार्च, 2019 के आदेश को अपीलार्थी कर्नाटक राज्य वित्त निगम द्वारा चुनौती नहीं दी गई है । कर्नाटक राज्य वित्त निगम द्वारा व्यक्तिगत प्रतिभूति को भी जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिका फाइल किए जाने के पूर्व रद्द कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अधीन फाइल की गई कार्यवाही भी आरंभ कर दी गई है । इसलिए, हम इन तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भविष्यवर्ती ब्याज प्रदान किए जाने के संबंध में प्रत्यर्थियों के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि विद्वान् जिला न्यायाधीश के समक्ष इस बाबत कोई कारण नहीं था कि उन्होंने सम्मत ब्याज दर के बजाय 10 प्रतिशत की दर से भविष्यवर्ती ब्याज क्यों अधिनिर्णीत किया, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्वोक्त कारण पर्याप्त हैं और प्रत्यर्थी के पक्ष में विवेकाधिकार सृजित करते हैं । प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी संपूर्ण रकम का संदाय करने के लिए तत्पर हैं अर्थात् 10 प्रतिशत की दर से भविष्यवर्ती ब्याज सहित देय, अर्थात् उस अवधि को अपवर्जित करते हुए जिसे तारीख 27 मार्च, 2019 की रिट याचिकाओं में पारित आदेश द्वारा एकमुश्त रूप से अपवर्जित कर दिया गया है । पूर्वोक्त निवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है, अपीलार्थी के काउंसेल ने यह निवेदन भी किया कि यदि संपूर्ण रकम का

संदाय कर दिया जाता है, तो वह शास्तिक ब्याज के संदाय के लिए जोर नहीं देगा । तथापि, विद्वान् काउंसेल ने सम्मत ब्याज दर अधिनिर्णीत किए जाने के लिए जोर दिया । पूर्वोक्त निवेदनों, ऊपरवर्णित कारणों और मामले के स्वीकृत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह न्यायोचित होगा कि 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भविष्यवर्ती ब्याज अधिनिर्णीत किया जाए । (पैरा 15, 16, 17 और 18)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2017 की प्रकीर्ण प्रथम अपील संख्या 100774.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1996 की धारा 96 के अधीन प्रथम अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री पाटिल एम. एच. और प्रकाशन एस. उदीकेरी

प्रत्यर्थियों की ओर से श्रीमती चेतना एस. बिराज

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. एस. बेल्लुंके ने दिया ।

न्या. बेल्लुंके – दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों को सुना ।

2. यह अपील कर्नाटक राज्य वित्त निगम, रायापुर, धारवार द्वारा उधार लेने वालों के विरुद्ध तारीख 26 अगस्त, 2016 को 2011 की प्रकीर्ण याचिका संख्या 97 और 98 में निचले न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता और इस आदेश द्वारा अधिरोपित दायित्व को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :–

"कर्नाटक राज्य वित्त निगम ने जिला न्यायालय के समक्ष एक वसूली याचिका (वाद) 1951 के राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 31(1)(कक) के अधीन फाइल की । प्रत्यर्थियों - उधार लेने वालों ने तारीख 28 नवंबर, 2003 को 25,00,000/- रुपए की राशि और तारीख 26 दिसंबर, 2005 को 20,00,000/- रुपए की

एक अन्य राशि नवालूर नामक स्थान पर श्री वेंकटेश्वर फ्लावर मिल के नाम से मैदा निर्मित करने की एक मिल स्थापित किए जाने और उसको विकसित किए जाने के प्रयोजनार्थ उधार ली थी । उपरोक्त कारबार समुत्थान एक भागीदारी फर्म था । उधार लेने वाले अपीलार्थी-कर्नाटक राज्य वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् ऋण की रकम का पुनर्संदाय करने में विफल रहे ।"

4. इसलिए, कर्नाटक राज्य वित्त निगम ने उधार लेने वालों द्वारा जमा की गई व्यक्तिगत प्रतिभूतियों का अवलंब लिया और तत्पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उधार लेने वालों पर याचिका (वाद) फाइल किए जाने की तारीख पर 41,15,244/- रुपए की राशि देय पाई जाती है । कर्नाटक राज्य वित्त निगम ने प्रत्यर्थियों द्वारा की गई व्यतिक्रम की रकम पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विलंबित ब्याज का दावा भी किया है ।

5. प्रत्यर्थियों ने अनेक दलीलें देते हुए आक्षेप फाइल किए । उनकी मुख्य दलील यह थी कि याचिका (वाद) परिसीमा द्वारा बाधित है, उनके द्वारा 41,15,244/- रुपए की राशि के संदाय का दायित्व विवादित था, कर्नाटक राज्य वित्त निगम द्वारा ब्याज के बाबत किया गया दावा अवैध और अत्यधिक है और उनके द्वारा प्रत्यर्थियों को समुचित खाते उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, अपीलार्थी ने पहले ही राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अधीन कार्यवाही आरंभ कर दी है । उनके द्वारा नवलगुंड के सिविल न्यायाधीश के समक्ष 2010 का मूल वाद संख्या 184 भी फाइल किया गया है और उनके द्वारा इस तथ्य को छुपाया गया है । इसलिए, उनके द्वारा याचिका (वाद) खारिज किए जाने की ईप्सा की गई ।

6. प्रत्यर्थी संख्या 8 ने यह दलील देते हुए पृथक् रूप से आक्षेप भी फाइल किए कि उसने कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किए हैं और वह फ्लावर मिल की भागीदार रही हैं, उसने सिवाय 2010 के मूल वाद संख्या 184 में समन प्राप्त करने के अलावा अपीलार्थी से कोई भी कानूनी सूचना प्राप्त नहीं की । इसलिए प्रत्यर्थियों ने याचिका को खारिज किए जाने की ईप्सा की ।

7. विद्वान् जिला न्यायाधीश ने उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए उपरोक्त तथ्यों और सामग्री के आधार पर याचिका का विचारण किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 और 9 41,15,244/- रुपए की राशि का संदाय याचिका (वाद) फाइल किए जाने की तारीख से देय रकम की वसूली की तारीख तक 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित करने के दाई हैं । प्रत्यर्थी संख्या 8 के विरुद्ध फाइल की गई याचिका (वाद) खारिज कर दी गई ।

8. अपीलार्थी कर्नाटक राज्य वित्त निगम ने जिला न्यायाधीश (नवलगुंड के सिविल न्यायाधीश) के आदेश के विरुद्ध ऊपरनिर्दिष्ट अपील विलंबित रकम पर शास्तिक ब्याज सहित सम्मत ब्याज दर पर ब्याज दिलाए जाने के बजाय 10 प्रतिशत की दर से भविष्यवर्ती ब्याज दिलाए जाने के निर्णय की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए फाइल की । प्रत्यर्थियों ने विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी । उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि अन्य प्रत्यर्थियों ने विद्वान् जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को चुनौती नहीं दी है ।

9. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेलों श्री पाटिल एम. एच. और श्री प्रकाशन एस. उदीकेरी ने दृढ़तापूर्वक दलील दी कि 25,00,000/- रुपए के ऋण की मंजूर रकम पर ऋण खाता संख्या 9091706 में सम्मत ब्याज की दर 14.5 प्रतिशत है और यदि ऋण के पुनर्संदाय में चूक कारित होती है, तो 2.5 प्रतिशत की दर से शास्तिक ब्याज भी देय होगा । जहां तक द्वितीय ऋण खाता संख्या 9091707 का संबंध है, मंजूर रकम 20,00,000/- रुपए है । इस रकम पर संदेय ब्याज की सम्मत दर 13.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और यदि ऋण के पुनर्संदाय में चूक कारित होती है, तो 2.5 प्रतिशत की दर से शास्तिक ब्याज भी देय होगा ।

10. इसलिए, विद्वान् काउंसेल ने प्रार्थना की कि विद्वान् जिला न्यायाधीश के आदेश, जिसके द्वारा सम्मत ब्याज दर पर भविष्यवर्ती ब्याज सहित और न की 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर, जैसाकि विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया, मूल रकम की वसूली के लिए प्रमाणपत्र प्रदान किया गया, को उपांतरित किया जाए ।

11. इसके विरुद्ध प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्रीमती चेतना एस. बिराज ने श्रमसाद्धतापूर्वक दलील दी कि प्रश्नगत कारबार के अंतर्गत आने वाली चार मिलें हानि का सामना कर रही थीं और इसलिए उनको बंद किया जा चुका है । प्रत्यर्थियों ने पहले ही निष्पादन मामले में, जो कर्नाटक राज्य वित्त निगम द्वारा फाइल किया गया, में सारभूत राशि का संदाय कर दिया है । इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी अधिशेष रकम का पूर्ण संदाय करने के द्वारा मामले को निपटाने के लिए तैयार थे किंतु कर्नाटक राज्य वित्त निगम भविष्यवर्ती ब्याज की संगणना के साथ देय वास्तविक रकम की संगणना नहीं कर सका । इस संबंध में प्रत्यर्थियों ने 2018 की रिट याचिका संख्या 101227 में 2018 की सी. डब्ल्यू. रिट याचिका संख्या 102217 भी दोनों ऋण खातों के संबंध में फाइल की थी । विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान इस रिट याचिका में तारीख 27 मार्च, 2019 को पारित आदेश की ओर आकर्षित किया है । यह आदेश निम्नलिखित है :-

> "याचियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि यद्यपि याची केरल राज्य वित्त निगम द्वारा शुद्ध विनिर्धारण के अध्यधीन रहते हुए किसी भी रकम का संदाय करने के लिए तत्पर हैं और केरल राज्य वित्त निगम शुद्ध आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है । केरल राज्य वित्त निगम ने समय प्रदान किए जाने के बावजूद अपनी रकम अभी तक नहीं बताई है और केरल राज्य वित्त निगम के विद्वान् पैनल काउंसेल ने आसन्न निर्वाचन के कारण उत्पन्न हो रही कठिनाइयों, जो उनके और उनके मुव्वकिलों के मध्य बाधा है, का अभिवाक् किया है ।
>
> याचियों के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि बारंबार स्थगन की ईप्सा करते हुए समय व्यतीत किया जा रहा है किंतु ब्याज का उपार्जन बंद नहीं होगा और इसलिए याचियों, जो सद्भावपूर्ण उधार लेने वाले होने का दावा करते हैं और लगभग दो वर्ष पहले सारभूत रकम का पुनर्संदाय कर चुके हैं, को कुछ संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में मामले को जून, 2019 के द्वितीय सप्ताह तक इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए स्थगित किया जाता है कि स्थगन की अवधि के दौरान कोई भी ब्याज उस रकम पर उपगत नहीं होगा जिसका विनिर्धारण किया जाना शेष है ।"

12. इसलिए, विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी भविष्यवर्ती ब्याज का संदाय करने के दाई नहीं हैं और उस रकम पर कोई भी ब्याज संदेय नहीं होगा जो रिट याचिकाओं के स्थगन की अवधि के दौरान देय हुआ ।

13. पूर्वोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और दलीलों को ध्यान में रखते हुए, जो एक मात्र बिंदु हमारे द्वारा विचारार्थ उद्भूत होता है, यह है :-

"बिंदु संख्या 1 : क्या विद्वान् जिला न्यायाधीश 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भविष्यवर्ती ब्याज का आदेश पारित करने में न्यायानुमत थे ? "

14. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने सम्मत ब्याज दर को ही भविष्यवर्ती ब्याज दर के रूप में अधिनिर्णीत किए जाने पर जोर दिया । प्रत्यर्थियों के काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए और उस आदेश को भी ध्यान में रखते हुए, जिसे इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं में पारित किया गया, हम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अनुसार भविष्यवर्ती ब्याज प्रदान किए जाने के बिंदु का परीक्षण करेंगे, जो इस मामले में पूर्णतया लागू होता है । उक्त धारा निम्नलिखित है :-

"34. ब्याज – (1) जहां और जहां तक कि डिक्री धन के संदाय के लिए है, न्यायालय डिक्री में यह आदेश दे सकेगा कि न्यायनिर्णीत मूल राशि पर किसी ऐसे ब्याज के अतिरिक्त जो ऐसी मूल राशि पर वाद संस्थित किए जाने से पूर्व की किसी अवधि के लिए न्यायनिर्णीत हुआ है, वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक ब्याज, ऐसी दर से जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, ऐसी मूल राशि पर डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्व तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे, छह प्रतिशत प्रतिवर्ष से

अनधिक ऐसी दर से जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, आगे के ब्याज सहित दिया जाए :

परंतु जहां इस प्रकार न्यायनिर्णीत राशि के संबंध में दायित्व किसी वाणिज्यिक संव्यवहार से उद्भूत हुआ था, वहां ऐसे आगे के ब्याज की दर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिक हो सकती है, किंतु ऐसी दर ब्याज की संविदात्मक दर से या जहां कोई संविदात्मक दर नहीं है वहां उस दर से अधिक नहीं होगी जिस पर वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक धन उधार या अग्रिम देते हैं ।

स्पष्टीकरण 1 – इस उपधारा में 'राष्ट्रीयकृत बैंक' से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) में यथापरिभाषित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2 – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई संव्यवहार वाणिज्यिक संव्यवहार है, यदि वह दायित्व उपगत करने वाले पक्षकार के उद्योग, व्यापार या कारबार से संबंधित है ।

(2) जहां ऐसी मूल राशि पर डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या अन्य पूर्वत्तर तारीख तक आगे के ब्याज के संदाय के संबंध में ऐसी डिक्री मौन है, वहां यह समझा जाएगा कि न्यायालय ने ऐसा ब्याज दिलाने से इनकार कर दिया है और उसके लिए पृथक् वाद नहीं होगा ।"

15. इन उपबंधों को सरल दृष्टि से पढ़ने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न्यायालय को भविष्यवर्ती ब्याज अधिनिर्णीत करने का विवेकाधिकार प्राप्त है, जैसाकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 की उपधारा (1) और उसके साथ संलग्न परंतुक सपठित स्पष्टीकरण (1) और (2) के अधीन उपदर्शित किया गया है । स्वीकृततः इस मामले में प्रत्यर्थियों द्वारा चलाया जा रहा कारबार बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा फ्लावर मिल का कारबार था, जिसमें खाद्यान्न की पिसाई अंतर्वलित होती है । यह विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थियों ने निष्पादन मामले में भी सारभूत

रकम का संदाय कर दिया है । तथापि, किसी भी पक्ष द्वारा कोई संगणना ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2018 की रिट याचिका संख्या 101,227 और उसके साथ संलग्न 2018 की रिट याचिका संख्या 102217 में पारित तारीख 27 मार्च, 2019 के आदेश को अपीलार्थी कर्नाटक राज्य वित्त निगम द्वारा चुनौती नहीं दी गई है । कर्नाटक राज्य वित्त निगम द्वारा व्यक्तिगत प्रतिभूति को भी जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिका (वाद) फाइल किए जाने के पूर्व रद्द कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अधीन फाइल की गई कार्यवाही भी आरंभ कर दी गई है । इसलिए, हम इन तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भविष्यवर्ती ब्याज प्रदान किए जाने के संबंध में प्रत्यर्थियों के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है ।

16. इसमें कोई संदेह नहीं कि विद्वान् जिला न्यायाधीश के समक्ष इस बाबत कोई कारण नहीं था कि उन्होंने सम्मत ब्याज दर के बजाय 10 प्रतिशत की दर से भविष्यवर्ती ब्याज क्यों अधिनिर्णीत किया, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्वोक्त कारण पर्याप्त हैं और प्रत्यर्थी के पक्ष में विवेकाधिकार सृजित करते हैं ।

17. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संपूर्ण रकम का संदाय करने के लिए तत्पर हैं अर्थात् 10 प्रतिशत की दर से भविष्यवर्ती ब्याज सहित अर्थात उस अवधि को अपवर्जित करते हुए, जिसे तारीख 27 मार्च, 2019 की रिट याचिकाओं में पारित आदेश द्वारा एकमुश्त रूप से अपवर्जित कर दिया गया है ।

18. पूर्वोक्त निवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है, अपीलार्थी के काउंसेल ने यह निवेदन भी किया कि यदि संपूर्ण रकम का संदाय कर दिया जाता है, तो वह शास्तिक ब्याज के संदाय के लिए जोर नहीं देगा । तथापि, विद्वान् काउंसेल ने सम्मत ब्याज दर अधिनिर्णीत किए जाने के लिए जोर दिया । पूर्वोक्त निवेदनों, ऊपरवर्णित कारणों और मामले के स्वीकृत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह न्यायोचित होगा कि 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर

से भविष्यवर्ती ब्याज अधिनिर्णीत किया जाए । तद्नुसार, हम निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होते हैं :–

आदेश

कर्नाटक राज्य वित्त निगम द्वारा फाइल की गई प्रथम प्रकीर्ण अपील का निस्तारण निम्नलिखित निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए किया जाता है :–

> अपीलार्थी-कर्नाटक राज्य वित्त निगम को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की तारीख पर देय रकम के संबंध में पहले से किए गए आंशिक संदायों, यदि कोई हों, को घटाते हुए और उस अवधि अर्थात् 2018 की रिट याचिका संख्या 101227 और साथ में 102217 में तारीख 27 मार्च, 2019 को पारित आदेश द्वारा अपवर्जित करते हुए को भी घटाते हुए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भविष्यवर्ती ब्याज की संगणना करते हुए संगणना ज्ञापन तैयार करें, तत्पश्चात् प्रत्यर्थी उक्त रकम का संदाय इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह के भीतर एकमुश्त करेंगे । ऐसा करने में विफल रहने पर अपीलार्थी कर्नाटक राज्य वित्त निगम 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भविष्यवर्ती ब्याज सहित देय उक्त रकम को वसूल करने के लिए सशक्त होगा ।

19. उपरोक्त आदेश के निबंधनों के अनुसार दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है ।

अपीलों का निपटारा किया गया ।

शु.

कुमारी पोन्नागंटी सुमेधा रेड्डी

बनाम

भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंगलूरु

[2019 की रिट याचिका संख्या 2756 (जी.एम.-आर.ई.एस.)]

तारीख 27 जून, 2019

न्यायमूर्ति आलोक अराध्ये

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) – धारा 372 – मृतक पालिसीधारक की पुत्री द्वारा पालिसी की परिपक्वता पर संदेय रकम का दावा करते हुए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना – न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पूर्व आक्षेप आमंत्रित करते हुए सूचना का जारी किया जाना और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कोई आक्षेप फाइल न किया जाना और इस बाबत भी कोई अभिवाक् न किया जाना कि याची मृतक पालिसीधारक की विधिक प्रतिनिधि नहीं है – अत: भारतीय जीवन बीमा निगम पालिसी के अंतर्गत संदेय रकम को प्रतिधारित नहीं कर सकता और वे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर पालिसी के अंतर्गत संदेय रकम का संदाय करने के लिए बाध्य हैं ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि याची पोन्नागंटी सतीश रेड्डी और पोन्नागंटी विद्युलथा की पुत्री है । उसने रिट याचिका में यह प्रकथन किया है कि उसके पिता पोन्नागंटी सतीश रेड्डी ने बाद में अपना नाम परिवर्तित कर लिया था और उनको कौशिक पुनीथा शर्मा के नाम से जाना जाने लगा था और उन्होंने श्रीलथा केकुडा नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था । द्वितीय पत्नी से पोन्नागंटी सतीश रेड्डी की एक अन्य पुत्री जिसका नाम श्रीरक्षा और एक पुत्र जिसका नाम कौस्तुभा शर्मा है, उत्पन्न हुए । पोन्नागंटी सतीश रेड्डी ने नाम परिवर्तन के पश्चात् प्रत्यर्थी से एक जीवन बीमा पालिसी अपने नए नाम कौशिक पुनीथा शर्मा के नाम से खरीदी जिसका पालिसी संख्या 364192949 है

और जिसकी परिपक्वता की रकम 2,15,00,000/- है । पोन्नागंटी सतीश शर्मा, उसकी द्वितीय पत्नी श्रीलथा केकुडा, पुत्री श्रीरक्षा और पुत्र कौस्तुभा शर्मा की दुर्भाग्यवश तारीख 28 मार्च, 2014 को मृत्यु हो गई । याची की जैविक माता अर्थात् पोन्नागंटी विद्युलथा टर्मिनल बीमारी से ग्रसित थी और तारीख 8 मई, 2014 को उसकी भी मृत्यु हो गई । पोन्नागंटी सतीश रेड्डी अर्थात् कौशिक पुनीथा शर्मा की एक मात्र जीवित उत्तराधिकारी याची है । बैंगलूरु दक्षिण ताल्लुक के उप तहसीलदार ने परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में याची के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया है । यहां पर यह उल्लेखनीय है कि पोन्नागंटी सतीश रेड्डी की मृत्यु निर्वसीयत हो गई थी । अत:, याची ने प्रत्यर्थी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया । किंतु प्रत्यर्थी के प्राधिकारियों ने याची को सूचित किया कि जब तक याची उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करती, पालिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता राशि को निर्मुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ उसके दावे को प्रसंस्कृत नहीं किया जा सकता । तत्पश्चात्, याची ने बैंगलूरु के सिटी सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ कार्यवाही आरंभ की । उपरोक्त कार्यवाही को तारीख 27 मार्च, 2018 को डिक्री कर दिया गया और याची के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया, जिसको इस रिट याचिका के संलग्नक 'ई' के रूप में संलग्न किया गया है । प्रत्यर्थी ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बावजूद याची को पालिसी के अंतर्गत देय रकम को निर्मुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ किए जा रहे प्रयासों को विफल कर दिया । अत: याची 'बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण' के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के लिए विवश हो गई । इस शिकायत के प्रत्युत्तर में याची पर आक्षेपित संसूचना तामील की गई जिसके द्वारा याची को सूचित किया गया कि उसके दावे का अनुमोदन कर दिया गया है, तथापि, उसका स्वत्व स्पष्ट नहीं है और उन्होंने उसके उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का विनिश्चय किया है । याची ने पूर्वोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में इस याचिका को फाइल किया है । याची ने इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी द्वारा जारी की गई तारीख 29 दिसंबर, 2018 की संसूचना को अभिखंडित किए जाने की ईप्सा की है और साथ ही याची

को उन सभी रकमों का संदाय किए जाने के लिए प्रत्यर्थी को परमादेश की रिट द्वारा निर्देशित किए जाने की ईप्सा की है, जो याची को उसकी पालिसी संख्या 364193949 के अंतर्गत देय हैं और जिनको प्रत्यर्थी द्वारा रोक कर रखा गया है । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि पालिसी कौशिक पुनीथा शर्मा के नाम में ली गई थी । उसका नाम उत्तराधिकार प्रमाणपत्र में भी उल्लिखित है । प्रत्यर्थी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया, द्वारा बाध्य है । उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पूर्व आक्षेप आमंत्रित करते हुए एक सूचना जारी की गई थी । अतः, स्वीकृततः, प्रत्यर्थी ने सक्षम न्यायालय द्वारा आक्षेप आमंत्रित किए जाने के प्रयोजनार्थ जारी की गई सूचना के प्रत्युत्तर में कोई आक्षेप फाइल नहीं किए और उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह दलील कभी नहीं दी कि याची पालिसीधारक का विधिक प्रतिनिधि नहीं है । प्रत्यर्थी विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा लिए गए विनिश्चय का अनदेखा तारीख 29 दिसंबर, 2018 की संसूचना के माध्यम से यह अभिकथित करते हुए नहीं कर सकता कि याची का स्वत्व स्पष्ट नहीं है । प्रत्यर्थी की पूर्वोक्त कार्रवाई वास्तव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की अवमानना के समान है । मात्र इस कारणवश कि प्रत्यर्थी ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की है, उसको किसी भी रकम को प्रतिधारित करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं हो जाती । प्रत्यर्थी ने इस प्रकार का कोई भी आदेश प्रस्तुत नहीं किया है, जिसे अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो । मामले की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी, जो राज्य का अभिकरण है, की कार्रवाई को और कुछ नहीं बल्कि केवल मनमानापन कहा जा सकता है । विधि में यह सुस्थापित है कि संदाय उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर किया जाना चाहिए और यदि कोई दावा हो तो उसका न्यायनिर्णयन केवल उचित फोरम द्वारा किया जा सकता है । प्रत्यर्थी-निगम विधि के ऊपर नहीं है और वे विधि द्वारा बाध्य हैं । उनसे यह प्रत्याक्षा की जाती है कि वे विधि अनुसार कार्य करें और वे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, जिसको सक्षम अधिकारिता के न्यायालय

द्वारा जारी किया है, द्वारा बाध्य हैं । प्रत्यर्थी के अधिकारियों ने इस तथ्य के बावजूद कि सक्षम अधिकारिता के न्यायालय ने याची के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया था, मामले का निस्तारण न करके और याची को इस बाबत सूचित करके कि उसका स्वत्व स्पष्ट नहीं है, मनमानेपन का प्रदर्शन किया है । प्रत्यर्थी के अधिकारियों का पूर्वोक्त आचरण निंदनीय है । स्वीकृततः पालिसी के अंतर्गत 1.3 करोड़ रुपए की रकम देय और संदेय है । इस रकम को प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिधारित किए जाने का कोई भी न्यायोचित्य नहीं है । पैरा (10 और 11)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2010] (2010)11 एस. सी. सी. 186 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5935 :
जोनल मैनेजर और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया बनाम **देवी इस्पात लिमिटेड और अन्य** ; 8

[2009] (2009) 8 एस. सी. सी. 257 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 218 :
सरदार एसोसिएट्स और अन्य बनाम **पंजाब एंड सिंध बैंक और अन्य** ; 8

[2004] (2004) 3 एस. सी. सी. 553 :
ए. बी. एल. इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम **एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड** ; 8

[1996] (1996) 7 एस. सी. सी. 667= ए. आई. आर. ऑनलाइन 1996 एस. सी. 325 :
बिहार राज्य और अन्य बनाम **छंगुर प्रसाद सेठ** । 11

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2019 की रिट याचिका संख्या 2756 (जी.एम.-आर.ई.एस.)

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री राजादित्य सदासिवन

प्रत्यर्थी की ओर से श्री रामचंद्र जी. भट्ट

आदेश

याची की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री राजादिथ्य सदासिवन और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री रामचंद्र जी भट्ट को सुना । याचिका सुने जाने के प्रयोजनार्थ ग्रहण की जाती है । पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों की सहमति से मामले को इसी प्रक्रम पर अंतिम रूप से सुना गया ।

2. याची ने इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी द्वारा जारी की गई तारीख 29 दिसंबर, 2018 की संसूचना को अभिखंडित किए जाने की ईप्सा की है और साथ ही याची को उन सभी रकमों का संदाय किए जाने के लिए प्रत्यर्थी को परमादेश की रिट द्वारा निर्देशित किए जाने की ईप्सा की है, जो याची को उसकी पालिसी संख्या 364193949 के अंतर्गत देय हैं और जिनको प्रत्यर्थी द्वारा रोक कर रखा गया है ।

3. यह रिट याचिका फाइल किए जाने के प्रयोजनार्थ जिन तथ्यों का अवलंब लिया गया है, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं कि याची पोन्नागंटी सतीश रेड्डी और पोन्नागंटी विद्युलथा की पुत्री है । उसने रिट याचिका में यह प्रकथन किया है कि पोन्नागंटी सतीश रेड्डी ने बाद में अपना नाम परिवर्तित कर दिया था और उसको कौशिक पुनीथा शर्मा के नाम से जाना जाने लगा था और उन्होंने श्रीलथा केकुडा नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था । द्वितीय पत्नी से पोन्नागंटी सतीश रेड्डी की एक अन्य पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम श्रीरक्षा है और एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कौस्तुभा शर्मा है । पोन्नागंटी सतीश रेड्डी ने नाम परिवर्तन के पश्चात् प्रत्यर्थी से एक जीवन बीमा पालिसी अपने नए नाम कौशिक पुनीथा शर्मा के नाम से खरीदी जिसका पालिसी संख्या 364192949 है और जिसकी परिपक्वता की रकम 2,15,00,000/- है । पोन्नागंटी सतीश शर्मा, उसकी द्वितीय पत्नी श्रीलथा केकुडा, पुत्री श्रीरक्षा और पुत्र कौस्तुभा शर्मा की दुर्भाग्यवश तारीख 28 मार्च, 2014 को मृत्यु हो गई । याची की जैविक माता अर्थात् पोन्नागंटी विद्युलथा टर्मिनल

बीमारी से ग्रसित थी और तारीख 8 मई, 2014 को उसकी भी मृत्यु हो गई । पोन्नागंटी सतीश रेड्डी अर्थात् कौशिक पुनीथा शर्मा की एक मात्र जीवित उत्तराधिकारी याची है । बैंगलूरु दक्षिण ताल्लुक के उप तहसीलदार ने परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में याची के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया है । यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि पोन्नागंटी सतीश रेड्डी की मृत्यु निर्वसीयत हो गई थी । अत:, याची ने प्रत्यर्थी के समक्ष एक दावा प्रस्तुत किया । फिर भी, प्रत्यर्थी के प्राधिकारियों ने याची को सूचित किया कि जब तक याची उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देती, पालिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता राशि को निर्मुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ उसके दावे को प्रसंस्कृत नहीं किया जा सकता ।

4. तत्पश्चात्, याची ने बैंगलूरु के सिटी सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ कार्यवाही आरंभ की । उपरोक्त कार्यवाही को तारीख 27 मार्च, 2018 को डिक्री कर दिया गया और याची के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया, जिसको इस रिट याचिका के संलग्नक 'ई' के रूप में संलग्न किया गया है । प्रत्यर्थी ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बावजूद याची को पालिसी के अंतर्गत देय रकम को निर्मुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ किए जा रहे प्रयासों को विफल कर दिया । अत: याची 'बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण' के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के लिए विवश हो गई । इस शिकायत के प्रत्युत्तर में याची पर आक्षेपित संसूचना तामील की गई जिसके द्वारा याची को सूचित किया गया कि उसके दावे का अनुमोदन कर दिया गया है । तथापि, यह अभिकथित किया गया कि याची का स्वत्व स्पष्ट नहीं है और प्रत्यर्थी ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का विनिश्चय किया है । याची ने पूर्वोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में इस याचिका को फाइल किया है ।

5. याची के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि यदि एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया जाता है, तो वह निश्चायक होता है और सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होता है ।

उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रत्यर्थी को इस उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, जिसे याची के पक्ष में जारी किया गया और जिसके प्रस्तुत किए जाने पर याची को देय रकम को प्रत्यर्थी द्वारा उसके पक्ष में निर्मुक्त कर दिया जाना था, को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है । तथापि, प्रत्यर्थी ने याची को देय रकम को निर्मुक्त किए जाने के बजाय अभिकथित किया कि याची का स्वत्व स्पष्ट नहीं है ।

6. इसके विपरीत प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि याची का पिता पालिसीधारक नहीं था और इसलिए प्रत्यर्थी ने याची का दावा न्यायत: अस्वीकृत किया है । उन्होंने आगे निवेदन किया कि इस पालिसी का नामांकन पी. वी. लथा के नाम में है और इसलिए याची को किसी भी रकम का संदाय नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह निवेदन भी किया कि यह ज्ञात नहीं है कि पी. वी. सतीश रेड्डी और पालिसीधारक एक ही व्यक्ति हैं और यह भी ज्ञात नहीं है कि याची की माता का विवाह पालिसीधारक कौशिक पुनीथा शर्मा के साथ हुआ था । अत:, प्रत्यर्थी द्वारा याची के पक्ष में पालिसी के अंतर्गत देय रकम का संवितरण न किया जाना न्यायसंगत है । उन्होंने आगे निवेदन किया कि उत्तराधिकार न्यायालय ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पूर्व पालिसी से संबंधित दस्तावेजों को तलब न करके घोर त्रुटि कारित की । उन्होंने आगे निवेदन किया कि यह पालिसी भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में ऋण के बाबत समनुदेशित हैं और ऋण की रकम देय है । तथापि, प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा ऋजुतापूर्वक यह निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी पर प्रश्नगत पालिसी के अंतर्गत 1.3 करोड़ रुपए की रकम अधिशेष है और भारतीय जीवन बीमा निगम से यह प्रत्याक्षा नहीं की जा सकती कि वह किसी अपरिचित को पालिसी के अंतर्गत देय रकम हस्तगत कर दे । उन्होंने आगे निवेदन किया कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के विरुद्ध 2019 की नियमित प्रथम अपील संख्या 718 फाइल की जा चुकी है, जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

7. मैंने पक्षों की विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया और अभिलेख पर परिशीलन किया ।

8. स्वीकृततः, प्रत्यर्थी भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम के अंतर्गत गठित एक निगम है और संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत राज्य है । मामले के उपरोक्त पहलू को प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा विवादित नहीं किया गया है । प्रत्यर्थी राज्य होने के नाते राज्य के कार्यों का निर्वहन कर रहा है और उससे निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से कार्य किए जाने की अपेक्षा की जाती है, संविदात्मक क्षेत्र में भी । इस संबंध में **सरदार एसोसिएट्स और अन्य** बनाम **पंजाब एंड सिंध बैंक और अन्य**[1], **जोनल मैनेजर और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया** बनाम **देवी इस्पात लिमिटेड और अन्य**[2] वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों का अवलंब लिया गया । यद्यपि पक्षों के अधिकार संविदा से उद्भूत होते हैं, तथापि, प्रत्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संविदा के अधिक्षेत्र में कार्य करते हुए भी युक्तिसंगत और उचित तरीके में कार्य करे । इस संबंध में **ए. बी. एल. इंटरनेशनल लिमिटेड** बनाम **एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड**[3] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय को भी निर्दिष्ट किया गया ।

9. वर्तमान मामले में याची ने स्वीकृत रूप से तारीख 27 मार्च, 2018 के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया है । पूर्वोक्त उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याची ने तारीख 15 दिसंबर, 2017 को मृतक कौशिक पुनीथ शर्मा (जिसको याचिका में पोन्नागंटी सतीश रेड्डी अर्थात् कौशिक पुनीथा शर्मा के नाम से वर्णित किया गया है) द्वारा धारित ऋणों और प्रतिभूतियों के संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ आवेदन किया था और जिसकी मृत्यु तारीख 28 मार्च, 2014 को हो गई थी । सक्षम न्यायालय ने जांच संचालित करने के पश्चात् याची के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि याची उसके मृतक पिता

---

[1] (2009) 8 एस. सी. सी. 257 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 218.

[2] (2010) 11 एस. सी. सी. 186 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5935.

[3] (2004) 3 एस. सी. सी. 553.

पोन्नागंटी सतीश रेड्डी अर्थात् कौशिक पुनीथा शर्मा के नाम में धारित बीमा पालिसी के संबंध में उत्तराधिकार प्राप्त करने की हकदार है । अतः, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के परिशीलन से इस बाबत कोई संदेह शेष नहीं रह जाता कि याची को सक्षम न्यायालय द्वारा मृतक पोन्नागंटी सतीश रेड्डी अर्थात् कौशिक पुनीथा शर्मा की पुत्री घोषित किया गया है ।

10. यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि पालिसी कौशिक पुनीथा शर्मा के नाम में ली गई थी । उसका नाम उत्तराधिकार प्रमाणपत्र में भी उल्लिखित है । प्रत्यर्थी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया, द्वारा बाध्य है । उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पूर्व आक्षेप आमंत्रित करते हुए एक सूचना जारी की गई थी । अतः, स्वीकृततः, प्रत्यर्थी ने सक्षम न्यायालय द्वारा आक्षेप आमंत्रित किए जाने के प्रयोजनार्थ जारी की गई सूचना के प्रत्युत्तर में कोई आक्षेप फाइल नहीं किए और उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह दलील कभी नहीं दी कि याची पालिसीधारक का विधिक प्रतिनिधि नहीं है । प्रत्यर्थी विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा लिए गए विनिश्चय का अनदेखा तारीख 29 दिसंबर, 2018 की संसूचना के माध्यम से यह अभिकथित करते हुए नहीं कर सकता कि याची का स्वत्व स्पष्ट नहीं है । प्रत्यर्थी की पूर्वोक्त कार्रवाई वास्तव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की अवमानना के समान है ।

11. मात्र इस कारणवश कि प्रत्यर्थी ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की है, उसको किसी भी रकम को प्रतिधारित करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं हो जाती । प्रत्यर्थी ने इस प्रकार का कोई भी आदेश प्रस्तुत नहीं किया है, जिसे अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो । मामले की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी, जो राज्य का अभिकरण है, की कार्रवाई को और कुछ नहीं बल्कि केवल मनमानापन कहा जा सकता है । विधि में यह सुस्थापित है कि संदाय उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर किया जाना चाहिए और यदि कोई दावा हो तो उसका न्यायनिर्णयन केवल उचित फोरम द्वारा किया जा सकता है (देखें

बिहार राज्य और अन्य बनाम **छंगुर प्रसाद सेठ**[1] वाला मामला) । प्रत्यर्थी-निगम विधि के ऊपर नहीं है और वे विधि द्वारा बाध्य हैं । उनसे यह प्रत्याक्षा की जाती है कि वे विधि अनुसार कार्य करें और वे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, जिसको सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा जारी किया है, द्वारा बाध्य हैं । प्रत्यर्थी के अधिकारियों ने इस तथ्य के बावजूद कि सक्षम अधिकारिता के न्यायालय ने याची के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया था, मामले का निस्तारण न करके और याची को इस बाबत सूचित करके कि उसका स्वत्व स्पष्ट नहीं है, मनमानेपन का प्रदर्शन किया है । प्रत्यर्थी के अधिकारियों का पूर्वोक्त आचरण निंदनीय है । स्वीकृतत: पालिसी के अंतर्गत 1.3 करोड़ रुपए की रकम देय और संदेय है । इस रकम को प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिधारित किए जाने का कोई भी न्यायोचित्य नहीं है ।

12. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए तारीख 29 दिसंबर, 2018 की आक्षेपित संसूचना को एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है और प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे पालिसी संख्या 364193949 के अधीन देय 1.3 करोड़ रुपय की रकम याची को आज की तारीख से एक माह के भीतर याची द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिभूति प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन रहते हुए निर्मुक्त करें, जिसमें विफल रहने पर पूर्वोक्त रकम पर आज की तारीख से वास्तविक संदाय की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा । यह कहना व्यर्थ है कि पूर्वोक्त रकम का संदाय अपील, जिसको प्रत्यर्थी द्वारा उस आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है जिसके द्वारा याची के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, के निर्णय के अध्यधीन होगा ।

13. तदनुसार यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है ।

याचिका मंजूर करते हुए ।

शु.

---

[1] (1996) 7 एस. सी. सी. 667= ए. आई. आर. ऑनलाइन 1996 एस. सी. 325.

कोल्लैरी वेलायुधान

बनाम

वी. दीनू

(2007 की नियमित प्रथम अपील संख्या 59)

तारीख 3 सितंबर, 2019

न्यायमूर्ति सतीश निनान

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) – धारा 20 – संविदा का निर्वहन न किया जाना – विनिर्दिष्ट अनुपालन के अनुतोष के बाबत न्यायालय का विवेकाधिकार – प्रतिवादी धनाभाव के कारण अत्यधिक कम कीमत पर संपत्ति बेचने के लिए करार में प्रविष्ट होने के लिए विवश था और वादी ने वित्तदाता होने के नाते प्रतिवादी की विपरीत परिस्थितियों का अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया – करार में विनिर्दिष्ट पालन और नुकसान वसूली के लिए समर्थकारी खंडों का अभाव – वादी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के बजाय अग्रिम में दिए गए विक्रय प्रतिफल को ब्याज सहित वापस प्राप्त करने का हकदार है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि तारीख 15 जनवरी, 2005 के करार के अंतर्गत 48.24 सेंट की माप वाली संपत्ति आच्छादित है । वास्तविक सीमांकन पर प्रतिसेंट 24,500/- रुपए की दर से प्रतिफल निर्धारित किया गया । संपूर्ण विक्रय प्रतिफल में से 50,000/- रुपए की रकम का संदाय अग्रिम विक्रय प्रतिफल के बाबत किया गया । करार के निर्वहन के लिए दो माह की अवधि निर्धारित थी । प्रतिवादी की ओर से करार के निर्वहन में असफलता का अभिवाक् करते हुए संविदा का पालन किए जाने के प्रयोजनार्थ वाद फाइल किया गया । यद्यपि प्रतिवादी ने दलील दी कि संविदा का अननुपालन वादी की तरफ से किया गया, किंतु विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के परिशीलन पर पाया कि यह कार्य प्रतिवादी द्वारा किया गया था । विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर

पहुंचते हुए कि वादी तत्पर और इच्छुक है, उसके पक्ष में विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री पारित कर दी । इस डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील फाइल की गई, जिसका निस्तारण पहले भी इस न्यायालय द्वारा तारीख 30 जून, 2017 के निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए कर दिया गया था कि संविदा का भंग प्रतिवादी की तरफ से किया गया और मामले को विचारण न्यायालय को 1963 के विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 के अधीन विवेकाधिकार के प्रयोग के संबंध में विवाद्यक का विचारण किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रतिप्रेक्षित कर दिया गया था । उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2017 की अपील संख्या 18599 फाइल की गई । माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले को प्रतिप्रेक्षित किए जाने के आदेश में मध्यक्षेप करते हुए इस न्यायालय को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 के अधीन प्रतिष्ठापित विवेकाधिकार के संबंध में विचार करने के लिए निर्देषित किया । अत: यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पुन: फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने दलील दी कि करार प्रदर्श ए-1 में एक चूक खंड समाविष्ट है जो उपबंधित करता है कि प्रतिवादी द्वारा किए गए करार के भंग पर वादी नुकसान वसूल करने के लिए हकदार होगा । विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने दलील दी कि करार के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वादी को समर्थ बनाने वाला उपबंध करार, प्रदर्श ए-1 में सुस्पष्ट रूप से अनुपस्थित है । विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने दादाराव बनाम रामाराव वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए दलील दी कि यदि करार में नुकसान की वसूली के प्रयोजनार्थ कोई उपबंध समाविष्ट है, न कि विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए करार के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ, तो वादी केवल नुकसान की वसूली के अनुतोष की ईप्सा कर सकता था । उल्लेखनीय रूप से यह एक ऐसा मामला होता जिसमें करार में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट होता कि करार के भंग की स्थिति में "कोई विक्रय

विलेख निष्पादित नहीं किया जाएगा" । तथापि, प्रदर्श ए-1 में कोई नकारात्मक उपबंध समाविष्ट नहीं है जैसाकि उस मामले में समाविष्ट था । इसलिए, यह विनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि वादी प्रदर्श ए-1 के विनिर्दिष्ट पालन की ईप्सा करने का हकदार नहीं है । किसी भी स्थिति में करार के विनिर्दिष्ट पालन के लिए समर्थ बनाने वाले किसी खंड की सुस्पष्ट रूप से अनुपस्थिति और किसी ऐसे खंड की उपस्थिति, जो वादी को नुकसान की वसूली के लिए समर्थ बनाती हो, को निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति को उपदर्शित करने वाली परिस्थिति के रूप में प्रतीत किया जा सकता है कि पक्षों का आशय यह था कि करार के भंग की दशा में नुकसान का संदाय पक्षों के नुकसान की पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति कर देगा । किसी भी स्थिति में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 के अधीन विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उस कारक को भी ध्यान में रखा जाना होगा । ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतीत करता हूं कि यह एक उचित मामला है जहां विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 के अधीन विवेकाधिकार का प्रयोग विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री प्रदान किए जाने के विरुद्ध किया जाना चाहिए । पूर्वोक्त पहलुओं पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री और निर्णय, जहां तक विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री प्रदान किए जाने का संबंध है, हस्तक्षेप किए जाने योग्य है और मैं ऐसा ही करूंगा । (पैरा 7 और 8)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1999]	(1999) 8 एस. सी. सी. 416 : **दादाराव** बनाम **रामाराव** ।	7

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2007 की नियमित प्रथम अपील संख्या 59.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन प्रथम अपील ।

याची की ओर से सर्वश्री के. राम कुमार (वरिष्ठ अधिवक्ता), (श्रीमती) आशा बाबू, (श्रीमती) आर. एस. अश्विनी शंकर, टी. एच. अरविंद, एस. एम. प्रशांथ, टी. राम प्रसाद ऊन्नी और जी. रंजीथ

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर. राम दास

निर्णय

प्रतिवादी ने विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री को चुनौती देते हुए यह अपील फाइल की है ।

2. तारीख 15 जनवरी, 2005 का करार, प्रदर्श ए-1 को विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तित किए जाने की ईप्सा की गई । इस करार द्वारा 48.24 सेंट संपत्ति आच्छादित है । वास्तविक सीमांकन पर प्रतिसेंट 24,500/- रुपए की दर से प्रतिफल निर्धारित किया गया था । संपूर्ण विक्रय प्रतिफल में से 50,000/- रुपए की रकम का संदाय अग्रिम विक्रय प्रतिफल के बाबत किया गया । करार के निर्वहन के लिए दो माह की अवधि निर्धारित थी । प्रतिवादी की ओर से करार के निर्वहन में असफलता का अभिवाक् करते हुए संविदा का पालन किए जाने के प्रयोजनार्थ वाद फाइल किया गया ।

3. यद्यपि प्रतिवादी ने दलील दी कि संविदा का अननुपालन वादी की तरफ से किया गया, किंतु विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के परिशीलन के पश्चात् पाया कि यह कार्य प्रतिवादी द्वारा किया गया था । विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि वादी तत्पर और इच्छुक है, उसके पक्ष में विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री प्रदान कर दी ।

4. इस अपील का निस्तारण पहले भी इस न्यायालय द्वारा तारीख 30 जून, 2017 के निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए कर दिया गया था कि संविदा का भंग प्रतिवादी की तरफ से किया गया और मामले को विचारण न्यायालय को

1963 के विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 के अधीन विवेकाधिकार के प्रयोग के संबंध में विवाद्यक का विचारण किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रतिप्रेक्षित कर दिया गया था । उस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2017 की अपील संख्या 18599 में अपील की गई थी । माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले को प्रतिप्रेक्षित किए जाने के आदेश में मध्यक्षेप करते हुए इस न्यायालय को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 के अधीन प्रतिष्ठापित विवेकाधिकार के संबंध में विचार करने के लिए निर्देषित किया । अत: यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पुन: फाइल की गई ।

5. अपीलार्थी-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ काउंसेल श्री के. रामकुमार और प्रत्यर्थी-वादी की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री टी. कृष्णनुन्नी को सुना ।

6. इस अपील में एकमात्र प्रश्न, जो विचारार्थ उद्भूत होता है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 के अधीन विवेकाधिकार के प्रयोग के संबंध में है । यह विवादित नहीं था कि करार, प्रदर्श ए-1, में प्रविष्ट होते समय प्रतिवादी अत्यंत निर्धनता की परिस्थितियों से घिरा हुआ था, जिनके कारण वह संपत्ति के विक्रय के लिए करार, प्रदर्श ए-1, में प्रविष्ट होने के लिए विवश हो गया था । प्रतिवादी द्वारा इस तथ्य का अभिवाक् अत्यधिक विनिर्दिष्ट रूप से किया गया है । इस स्थिति के संबंध में विवाद नहीं है । प्रतिवादी के अनुसार इसी निर्धनता की स्थितियों के कारण प्रतिवादी संपत्ति के अत्यधिक कम कीमत पर विक्रय के लिए करार, प्रदर्श ए-1 में प्रविष्ट होने के लिए विवश हो गया था । वादी द्वारा वादी साक्षी-1 के रूप में दिए गए साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि वह वित्तदाता है । करार, प्रदर्श ए-1, वर्ष 2005 में निष्पादित हुआ था और वाद में साक्ष्य 2006 में प्रस्तुत किया गया । वादी साक्षी-1 से उसकी प्रतिपरीक्षा में यह प्रश्न विनिर्दिष्ट रूप से किया गया कि संपत्ति एक लाख रुपए प्रति सेंट से अधिक का मूल्य आकर्षित करेगी जिसके लिए वादी ने अनभिज्ञ होने का दिखावा किया । फिर भी, उसने इस सुझाव से इनकार नहीं किया ।

7. अपीलार्थी-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने दलील दी कि प्रदर्श ए-1 में एक चूक खंड समाविष्ट है जो उपबंधित करता है कि प्रतिवादी द्वारा किए गए करार के भंग पर वादी नुकसान वसूल करने का हकदार होगा । विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने दलील दी कि करार के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वादी को समर्थ बनाने वाला उपबंध करार, प्रदर्श ए-1 में सुस्पष्ट रूप से अनुपस्थित है । विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने **दादाराव** बनाम **रामाराव**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए दलील दी कि यदि करार में नुकसान की वसूली के प्रयोजनार्थ कोई उपबंध समाविष्ट है, न कि विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए करार के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ, तो वादी केवल नुकसान की वसूली के अनुतोष की ईप्सा कर सकता था । उल्लेखनीय रूप से यह एक ऐसा मामला होता जिसमें करार में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट होता कि करार के भंग की स्थिति में "कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया जाएगा" । तथापि, प्रदर्श ए-1 में कोई नकारात्मक उपबंध समाविष्ट नहीं है जैसाकि उस मामले (दादाराव वाले मामले) में समाविष्ट था । इसलिए, यह विनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि वादी प्रदर्श ए-1 के विनिर्दिष्ट पालन की ईप्सा करने का हकदार नहीं है । किसी भी स्थिति में करार के विनिर्दिष्ट पालन के लिए समर्थ बनाने वाले किसी खंड की सुस्पष्ट रूप से अनुपस्थिति और किसी ऐसे खंड की उपस्थिति जो वादी को नुकसान की वसूली के लिए समर्थ बनाती हो, को निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति को उपदर्शित करने वाली परिस्थिति के रूप में प्रतीत किया जा सकता है कि पक्षों का आशय यह था कि करार के भंग की दशा में नुकसान का संदाय पक्षों के नुकसान की पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति कर देगा । किसी भी स्थिति में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 के अधीन विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उस कारक को भी ध्यान में रखा जाना होगा ।

8. ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतीत करता हूं कि यह एक उचित मामला है जहां विनिर्दिष्ट

---

[1] (1999) 8 एस. सी. सी. 416.

अनुतोष अधिनियम की धारा 20 के अधीन विवेकाधिकार का प्रयोग विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री प्रदान किए जाने के विरुद्ध किया जाना चाहिए । पूर्वोक्त पहलुओं पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री और निर्णय, जहां तक विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री प्रदान किए जाने का संबंध है, हस्तक्षेप किए जाने योग्य है और मैं ऐसा ही करूंगा ।

9. इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि प्रतिवादी ने करार का भंग कारित किया है, वादी आवश्यक रूप से अग्रिम विक्रय प्रतिफल और उस पर संदत्त ब्याज सहित वापस प्राप्त करने का हकदार है । अग्रिम में संदाय किया गया विक्रय प्रतिफल पचास हजार रुपए है । प्रचलित ब्याज दर और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह विचार करता हूं कि 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान किया जाना उचित और समुचित होगा ।

10. परिणामस्वरूप अपील मंजूर की जाती है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री और निर्णय अपास्त किए जाते हैं । वादी को करार की तारीख (15 जनवरी, 2005) से वाद प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित पचास हजार रुपए की वसूली के लिए डिक्री प्रदान की जाती है और प्रतिवादी द्वारा ऐसा किए जाने में विफल रहने पर वादी वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित संपत्ति पर प्रभार रखेगा और उस सम्पति से समान ब्याज दर के साथ संपूर्ण रकम की वसूली की तारीख तक ब्याज सहित वसूली करेगा और साथ ही वादी प्रतिवादी से व्यक्तिगत रूप से और उसकी आस्तियों से भी इस रकम को ब्याज सहित वसूलने का अधिकारी होगा । लागत के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता ।

अपील मंजूर की गई ।

शु.

शशीबेन

बनाम

गुजरात राज्य

(2019 का नियमित/विशेष सिविल आवेदन संख्या 8000)

तारीख 18 अक्तूबर, 2019

न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली

संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) – धारा 29 [सपठित हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8] – अवयस्क की सम्पत्ति – न्यायालय की अनुज्ञा के बिना अवयस्क की संपत्ति की नैसर्गिक संरक्षक/संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता द्वारा विक्रय – क्योंकि अवयस्क की सम्पत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की सम्पत्ति है, अत: संपत्ति में अवयस्क के हित के विक्रय/निस्तारण के प्रयोजनार्थ न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि विषयांतर्गत भूमि शशिकांत जागूभाई पटेल और उनके नातेदारों के स्वामित्वाधीन थी । उक्त श्री शशिकांत जागूभाई पटेल ने विषयांतर्गत भूमि को भूमि के स्वामियों अर्थात् शैलेन शांतिलाल भंसाली से क्रय किया था और इस संव्यवहार के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में तारीख 5 फरवरी, 2008 को प्रविष्टि संख्या 2020 का नामांतरण भी हो गया था । तत्पश्चात् शशिकांत जागूभाई पटेल के वारिसों का नाम विषयांतर्गत भूमि और प्रविष्टि संख्या 2156 के संबंध में भी तारीख 29 जून, 2009 को नामांतरण हो गया था । क्रेता शशिकांत जागूभाई पटेल के तीन में से एक विधिक उत्तराधिकारी जोबन शशिकांत पटेल तत्समय अवयस्क था और इसलिए उसका प्रतिनिधित्व उसके पिता शशिकांत जागूभाई पटेल द्वारा किया गया था । याचियों द्वारा विषयांतर्गत भूमि को उसके स्वामियों से रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया गया था, जिसका निष्पादन तारीख 20

अगस्त, 2010 को किया गया था । नामांतरण प्रविष्टि संख्या 2302 को तारीख 17 अप्रैल, 2012 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था । तथापि, याची की शिकायत यह है कि जलालपुर के मामलतदार ने उक्त प्रविष्टि को इस आधार पर प्रमाणित नहीं किया कि सहस्वामियों से एक सहस्वामी जोबन शशिकांत पटेल अवयस्क था और भूमि में उसके अंश को बेचने के लिए सक्षम न्यायालय से अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं की गई थी और इसलिए विक्रय विलेख का निष्पादन विधि अनुसार नहीं किया गया था । अतः, याचियों ने उप-कलक्टर के समक्ष मामलतदार द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए आर. टी. एस. अपील फाइल की । उप-कलक्टर ने उक्त अपील को तारीख 29 जून, 2017 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया । अतः, याचियों ने कलक्टर के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । उक्त जोबन शशिकांत पटेल ने पुनरीक्षण आवेदन के लंबन के दौरान याचियों के समर्थन में यह अभिकथित करते हुए शपथ-पत्र फाइल किया कि भूमि का विक्रय उसके पिता को सम्मिलित करते हुए कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा किया गया था और उसके पिता ने विक्रय विलेख उसकी तरफ से उसके नैसर्गिक संरक्षक की हैसियत से निष्पादित किया था और इसलिए उक्त विक्रय विलेख उसको भी स्वीकार्य है । उसने यह भी अभिकथित किया कि वह याचियों के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को चुनौती देने के लिए इच्छुक नहीं है । इस तथ्य के बावजूद कि जोबन शशिकांत पटेल ने सहमति प्रदान कर दी थी, फिर भी कलक्टर ने याचियों द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया । इसलिए, याचियों ने प्रत्यर्थी-एस. एस. आर. डी. के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया और प्रत्यर्थी-एस. एस. आर. डी. ने भी पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत कर दिया । इसलिए, वर्तमान याचिका फाइल की गई । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि याचियों ने प्रश्नगत भूमि को रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया था जिसको शशिकांत जागूभाई पटेल और उनके विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित किया गया था । विक्रय विलेख तारीख 20 अगस्त, 2010 को

निष्पादित किया गया था जिसको सम्यक् रूप से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकृत किया गया था । विक्रय विलेख के निष्पादन के समय जोबन शशिकांत पटेल अवयस्क था । अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि उक्त अवयस्क के पिता ने नैसर्गिक संरक्षक होने के नाते अवयस्क की ओर से भी विक्रय विलेख निष्पादित किया और उक्त जोबन शशिकांत पटेल ने वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् यह कहते हुए अपनी सहमति भी दे दी कि यदि याचियों के नामों को राजस्व विलेखों में नामांतरित कर दिया जाए, तो उसको कोई एतराज नहीं होगा । अतः, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्वोक्त विनिश्चय के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संपत्ति का निस्तारण किए जाने के पूर्व न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होती, जब संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति, जिसमें अवयस्क का अविभाजित अंश है, का विक्रय या निस्तारण संयुक्त हिंदू परिवाद के कर्ता द्वारा किया जाता है । अतः वर्तमान मामले के पूर्वोक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए, जब शशिकांत जागूभाई पटेल द्वारा स्वयं संपत्ति के स्वामी की हैसियत से और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया, तो उन्होंने सह-स्वामियों के रूप में विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया और पुनः, जब शशिकांत जागूभाई पटेल ने अवयस्क जोबन शशिकांत पटेल के नैसर्गिक संरक्षक की हैसियत में विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया, तो संबद्ध न्यायालय की अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है और, इसलिए, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने प्रश्नगत नामांतरण प्रविष्टि को रद्द करने में त्रुटि कारित की । (पैरा 7 और 11)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1996] ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2371 :
श्री नारायण बल और अन्य बनाम **श्रीधरसुतार और अन्य** । 5

रिट अपीली अधिकारिता : 2019 का नियमित/विशेष सिविल आवेदन संख्या 8000.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री जुबीन एफ. भारदा

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री के. एम. अनंती (अपर सरकारी प्लीडर)

आदेश

सूचना तामील होकर प्राप्त हुई । विद्वान् अपर सरकारी प्लीडर सुश्री के. एम. अनंती ने प्रत्यर्थियों की ओर से सूचना की तामीली का अधित्यजन स्वीकार किया ।

2. यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन फाइल की गई है, जिसमें याचियों ने निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना की है :-

"क. * * * *

ख. यह कि यह माननीय न्यायालय अहमदाबाद के राजस्व विभाग (अपील) के अपर सचिव द्वारा तारीख 24 दिसंबर, 2018 को पारित आदेश, जिसके द्वारा 2018 के पुनरीक्षण आवेदन संख्या एम. वी. वी./एच. के. पी./एन. वी. एस./50/2018 को अस्वीकृत कर दिया गया और 2017 के सी. एच./आर. टी. एच./पुनरीक्षण वाद संख्या 135 में नौवसारी के कलक्टर द्वारा पारित तारीख 21 जून, 2018 और 2015 की आर. टी. एस./अपील/मामला संख्या 262 को अस्वीकृत करने वाले नौवसारी के उप कलक्टर द्वारा पारित तारीख 29 जून, 2017 के आदेशों की पुष्टि कर दी गई, को अभिखंडित और अपास्त करे और जलालपुर के मामलतदार (भूमि) के प्रभारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करे, जिसके द्वारा तारीख 9 जुलाई, 2012 की राजस्व प्रविष्टि संख्या 2302 को रद्द कर दिया गया था और साथ ही यह माननीय न्यायालय जलालपुर के मामलतदार (भूमि) को निर्देशित करने की कृपा करे कि वह राजस्व प्रविष्टि संख्या 2302 को प्रमाणित करे जिसका नामांतरण जिला नौवसारी,

तालुका जलालपुर, ग्राम तावडी में स्थित ब्लॉक संख्या 1126 धारण करने वाली भूमि के संबंध में किया गया था ।

ग. यह माननीय न्यायालय वर्तमान याचिका ग्रहण किए जाने के प्रक्रम पर लंबित रहने के दौरान और/या अंतिम निस्तारण के पूर्व अहमदाबाद के राजस्व विभाग (अपील) के अपर सचिव द्वारा तारीख 24 दिसंबर, 2018 को पारित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा 2018 के राजस्व आवेदन संख्या एम. वी. वी./ एच. के. पी./ एन. वी. एस. / 50 / 2018 को मंजूर किया गया, के निष्पादन, क्रियान्वयन को स्थगित करने की कृपा करे ।

घ. * * * *

ड. * * * *"

3. वर्तमान मामले के तथ्य इस प्रकार हैं, :-

"3.1 विषयांतर्गत भूमि तालुका जलालपुर के ग्राम ताडवी में ब्लॉक संख्या 1126 में स्थित है, यह भूमि शशिकांत जागूभाई पटेल और उनके नातेदारों के स्वामित्वाधीन थी । उक्त श्री शशिकांत जागूभाई पटेल ने विषयांतर्गत भूमि को भूमि के स्वामियों अर्थात् शैलेन शांतिलाल भंसाली से क्रय कर लिया था और इस संव्यवहार के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में तारीख 5 फरवरी, 2008 को प्रविष्टि संख्या 2020 का नामांतरण हो गया था । तत्पश्चात् शशिकांत जागूभाई पटेल के वारिसों का नाम विषयांतर्गत भूमि और प्रविष्टि संख्या 2156 के संबंध में भी तारीख 29 जून, 2009 को नामांतरित हो गए थे । क्रेता शशिकांत जागूभाई पटेल के तीन में से एक विधिक उत्तराधिकारी जोबन शशिकांत पटेल उस समय अवयस्क था और इसलिए उसका प्रतिनिधित्व उसके पिता शशिकांत जागूभाई पटेल द्वारा किया गया था ।

3.2 याचियों द्वारा विषयांतर्गत भूमि को उसके स्वामियों से रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया गया था, जिसका निष्पादन तारीख 20 अगस्त, 2010 को किया गया था ।

नामांतरण प्रविष्टि संख्या 2302 को तारीख 17 अप्रैल, 2012 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था । तथापि, याची की शिकायत यह है कि जलालपुर के मामलतदार ने उक्त प्रविष्टि को इस आधार पर प्रमाणित नहीं किया कि सहस्वामियों में से एक सहस्वामी जोबन शशिकांत पटेल अवयस्क था और भूमि में उसके अंश को बेचने के लिए सक्षम न्यायालय से अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं की गई थी और इसलिए विक्रय विलेख का निष्पादन विधि अनुसार नहीं किया गया था ।

3.3 अतः, याचियों ने उप-कलक्टर के समक्ष आर. टी. एस. अपील मामलतदार द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की । उप-कलक्टर ने उक्त अपील को तारीख 29 जून, 2017 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया । अतः, याचियों ने कलक्टर के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । उक्त जोबन शशिकांत पटेल ने पुनरीक्षण आवेदन के लंबन के दौरान याचियों के समर्थन में यह अभिकथित करते हुए शपथ-पत्र फाइल किया कि भूमि का विक्रय उसके पिता को सम्मिलित करते हुए कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा किया गया था और उसके पिता ने विक्रय विलेख उसकी तरफ से उसके नैसर्गिक संरक्षक की हैसियत से निष्पादित किया था और उक्त विक्रय विलेख उसको भी स्वीकार्य है । उसने यह भी अभिकथित किया कि वह याचियों के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को चुनौती देने के लिए इच्छुक नहीं है । इस तथ्य के बावजूद कि उक्त जोबन शशिकांत पटेल ने सहमति प्रदान कर दी थी, कलक्टर ने याचियों द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया । इसलिए, याचियों ने प्रत्यर्थी-एस. एस. आर. डी. के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया और प्रत्यर्थी-एस. एस. आर. डी. ने पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत कर दिया । इसलिए, वर्तमान याचिका फाइल की गई ।"

4. याचियों के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रत्यर्थी

प्राधिकारियों को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि याचियों ने विषयांतर्गत भूमि को रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया है और विक्रेताओं को इस बात में कोई एतराज नहीं है यदि याचियों के नामों का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में कर दिया जाए । उन्होंने आगे दलील दी कि राजस्व प्राधिकारियों ने 1890 के संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 29 में समाविष्ट उपबंधों का गलत निर्वचन किया है । विद्वान् अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 29 में समाविष्ट उपबंधों को निर्दिष्ट किया है । उन्होंने उक्त उपबंधों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् निवेदन किया कि रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख का निष्पादन अवयस्क जोबन शशिकांत पटेल के पिता, जो अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक हैं, द्वारा किया गया था और न कि न्यायालय के आदेश द्वारा या आदेश के अधीन नियुक्त किसी संरक्षक द्वारा और इसलिए न्यायालय की अनुज्ञा अपेक्षित नहीं थी । अत: उन्होंने दलील दी कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाएं ।

5. विद्वान् अधिवक्ता श्री भारदा ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री नारायण बल और अन्य** बनाम **श्रीधरसुतार और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया । अत: विद्वान् अधिवक्ता ने दलील दी कि आक्षेपित आदेशों को अभिखंडित और अपास्त किया जाए ।

6. इसके विपरीत विद्वान् अपर सरकारी प्लीडर सुश्री अनंती ने याचिका का विरोध किया और प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा अभिलिखित तर्कणा को निर्दिष्ट किया । उन्होंने निवेदन किया कि क्योंकि विक्रय विलेख सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना याचियों के पक्ष में निष्पादित किया गया था, अत: प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत रजिस्ट्री को रद्द किए जाने के बाबत आदेश पारित किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है । अत: उन्होंने दलील दी कि वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है ।

---

[1] ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2371.

7. इस न्यायालय ने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया । इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर भी विचार किया । अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि याचियों ने प्रश्नगत भूमि को रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया था जिसको शशिकांत जागूभाई पटेल और उनके विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित किया गया था । विक्रय विलेख तारीख 20 अगस्त, 2010 को निष्पादित किया गया था जिसको सम्यक् रूप से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकृत किया गया था । विक्रय विलेख के निष्पादन के समय जोबन शशिकांत पटेल अवयस्क था । अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि उक्त अवयस्क के पिता ने नैसर्गिक संरक्षक होने के नाते अवयस्क की ओर से भी विक्रय विलेख निष्पादित किया और उक्त जोबन शशिकांत पटेल ने वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् यह कहते हुए अपनी सहमति भी दे दी है कि यदि याचियों के नामों को राजस्व विलेखों में नामांतरित कर दिया जाए, तो उसको कोई एतराज नहीं होगा ।

8. अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार है :-

"29. न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किए गए संपत्ति के संरक्षक की शक्तियों की परिसीमा - जहां कि कलक्टर से या विल या अन्य लिखत द्वारा नियुक्त संरक्षक से विभिन्न कोई व्यक्ति प्रतिपाल्य की संपत्ति का संरक्षक होने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है, वहां वह न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना -

(क) अपने प्रतिपाल्य की स्थावर संपत्ति के किसी भी भाग को बंधक या धारित नहीं करेगा या विक्रय, दान, विनिमय द्वारा या अन्यथा अंतरित नहीं करेगा, अथवा

(ख) उस संपत्ति के किसी भाग को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या उस तारीख से, जिसको वह प्रतिपाल्य अप्राप्तवय न रहेगा, आगे एक वर्ष तक विस्तृत किसी अवधि के लिए पट्टे पर नहीं देगा"

9. अतः, पूर्वोक्त उपबंध के अनुसार अवयस्क की संपत्ति के विक्रय के विरुद्ध विधि न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रतिपाल्य द्वारा निषेध लगाया गया है । तथापि, वर्तमान मामले में अवयस्क का संरक्षक अर्थात् जोबन शशिकांत पटेल की नियुक्ति संबद्ध न्यायालय द्वारा नहीं की गई थी और इसलिए पूर्वोक्त उपबंध लागू नहीं होगा ।

10. इस प्रक्रम पर वह विनिश्चय जिसका अवलंब याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा लिया गया, को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्री नारायण बल** (उपरोक्त) वाले मामले के पैरा 5 और 6 में जो अभिनिर्धारित किया है, वह निम्नलिखित है :-

> "5. संयुक्त परिवार संपत्ति में हिंदू अवयस्क के अविभाजित हित के संबंध में जिन उपबंधों का आश्रय लिया गया है, वे एक ही माला की मोतियां हैं और उनको एक ही परिप्रेक्ष्य में एक साथ एक दूसरे के सामंजस्य में देखे जाने की आवश्यकता है । प्रत्येक उपबंध और विशेष रूप से धारा 8 पर एकात्मकता में विचार नहीं किया जा सकता । यदि एक साथ पढ़ा जाए, तो इस लाभकर विधायन में विधायी आशय स्पष्ट हो जाता है । सामान्यतः, विधि किसी संयुक्त परिवार संपत्ति के संबंध में किसी हिंदू अवयस्क के अविभाजित हित के नैसर्गिक संरक्षक की कल्पना नहीं करती । किसी हिंदू अवयस्क की संपत्ति, किसी संयुक्त परिवार संपत्ति में अविभाजित हित के अतिरिक्त, के नैसर्गिक संरक्षक को धारा 8 के अधीन अकेले ही अनुध्यात किया गया है, जिसके अधीन उसकी शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है । धारा 12 इस नियम का एक अपवाद सृजित करती है जो यह है कि संयुक्त परिवार संपत्ति, जिसमें अवयस्क का अविभाजित हित है, के प्रबंधन में संयुक्त परिवार का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी संरक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिए, किंतु सामान्यतया अवयस्क के इस प्रकार के अविभाजित हित के बाबत कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा । संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के प्रबंधन में परिवार का वयस्क सदस्य पुरुष या स्त्री, कोई भी हो सकता है, आवश्यक नहीं कि वह संयुक्त परिवार का कर्ता ही हो । अन्यथा रूप से भी कतिपय न्यायसंगत परिस्थितियों

में संरक्षक नियुक्त किए जाने के संबंध में उच्च न्यायालय की शक्ति को परिरक्षित रखा गया है । यही इस विषय पर विधायी योजना है । धारा 8 के अधीन किसी हिंदू अवयस्क की संपत्ति के नैसर्गिक संरक्षक को न्यायालय की अनुज्ञा की ईप्सा करनी चाहिए, इसके पहले कि वह अवयस्क की अचल संपत्ति का निस्तारण करे । किंतु, जैसाकि अधिनियम की धारा 6 से 12 के अधीन उपबंधित किया गया है, क्योंकि संयुक्त परिवार संपत्ति के मामले में अवयस्क के अविभाजित हित के बाबत किसी नैसर्गिक संरक्षक की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए संयुक्त परिवार संपत्ति में अवयस्क के अविभाजित हित के निस्तारण के प्रयोजनार्थ धारा 8 के अधीन न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होती । संयुक्त हिंदू परिवार स्वमेव ही एक विधिक अस्तित्व होता है, जो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के प्रबंधन में अपने कर्ता और परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों के माध्यम से कार्य करने के लिए सक्षम होता है । धारा 6 और 12 के अभिव्यक्त निबंधनों को ध्यान में रखते हुए धारा 8 किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होगी, जहां किसी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का विक्रय/निस्तारण उस संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अवयस्क के अभिभाजित हित को अंतर्वलित करते हुए, उसके क्रेता द्वारा किया जाता है । आरम्भिक प्रक्रम पर उठाए गए प्रश्न का तद्नुसार उत्तर दिया जाता है ।

6. वर्तमान मामले में निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष यह है कि परिवार के वरिष्ठतम पुरुष सदस्य जागाबंधु ने विक्रय विलेख का निष्पादन करते हुए कर्ता के रूप में कार्य किया और उसके साथ दो विधवाएं भी स्वयं के लिए और संयुक्त हिंदू परिवार के अवयस्क सदस्यों के संरक्षकों के रूप में इस कार्य में सम्मिलित थीं । उनके द्वारा किया गया यह कार्य स्वमेव ही इस बात का उपदर्शक नहीं है कि अवयस्कों का संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में विभाजित हित है, जो विक्रय के आरंभ होने के पूर्व या विक्रय के समय आरंभ हो गया था । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए अधिनियम की धारा 8 अपीलार्थी के विक्रय को शून्य घोषित किए जाने के दावे में कोई सहायता प्रदान नहीं करती ।"

11. अत:, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्वोक्त विनिश्चय के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संपत्ति का निस्तारण किए जाने के पूर्व न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होती, जब संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति, जिसमें अवयस्क का अविभाजित अंश है, का विक्रय या निस्तारण कर्ता द्वारा किया जाता है । अत: वर्तमान मामले के पूर्वोक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए, जब शशिकांत जागूभाई पटेल द्वारा स्वयं संपत्ति के स्वामी की हैसियत से और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया, तो उन्होंने सह-स्वामियों के रूप में विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया और पुन:, जब शशिकांत जागूभाई पटेल ने अवयस्क जोबन शशिकांत पटेल के नैसर्गिक संरक्षक की हैसियत में विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया, तो संबद्ध न्यायालय की अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है और, इसलिए, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने प्रश्नगत नामांतरण प्रविष्टि को रद्द करने में त्रुटि कारित की ।

12. पूर्वोक्त चर्चा को दृष्टि में रखते हुए, वर्तमान याचिका मंजूर की जाती है । 2018 के पुनरीक्षण आवेदन संख्या एम. वी. वी./एन. वी. एस./50 में प्रत्यर्थी-एस. एस. आर. डी. द्वारा तारीख 24 अक्तूबर, 2018 को पारित आक्षेपित आदेश, 2017 के पुनरीक्षण मामला संख्या 135 में नौसारी के प्रत्यर्थी-कलक्टर द्वारा पारित तारीख 21 जून, 2018 का आक्षेपित आदेश, 2015 की अपील संख्या 262 में नौसारी के प्रत्यर्थी-उप-कलक्टर द्वारा पारित तारीख 29 जून, 2017 का आक्षेपित आदेश और प्रत्यर्थी-मामलतदार द्वारा तारीख 9 जुलाई, 2012 को पारित आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । इसलिए, तारीख 9 जुलाई, 2012 की नामांतरण प्रविष्टि संख्या 2302 को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रभाव प्रदान किया जाएगा । इस नियम को पूर्वोक्त प्रभाव तक आत्यंतिक किया जाता है ।

याचिका मंजूर की गई ।

शु.

(2020) 1 सि. नि. प. 580 हिमाचल प्रदेश

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

श्रीमती बंकु देवी और अन्य

(2015 की प्रथम अपील सं. 275)

तारीख 10 सितंबर, 2019

न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 173 – अपील – मृतक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत था, अत: उसके वेतन में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है और विद्वान् निचले न्यायालय ने ऐसा करके कोई अवैधता कारित नहीं की ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि वर्तमान अपील 1988 के मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अधीन हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर बुशाहर, किन्नौर के विद्वान् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा तारीख 11 मार्च, 2015 को पारित अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा मोटर दुर्घटना दावा याचिका फाइल किए जाने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और मुकदमा के खर्चों के लिए 5,000/- रुपए सहित 29,72,315/- रुपए की रकम का संदाय प्रतिकर के रूप में किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अतः, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दुर्घटना उल्लंघनकारी यान के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण चालन के कारण घटित हुई और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निर्णय किसी अवैधता से ग्रस्त नहीं है । आगे, मृतक की आय को ठीक ही आधार बनाया गया चूंकि वह न केवल मासिक आय प्राप्त कर रहा था, बल्कि प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त कर रहा था । प्रत्यर्थियों ने इससे इनकार किया है और विवादित किया है कि मृतक

बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन में एक कार्यकारी के रूप में कार्यरत था और प्रतिमास 18,516/- रुपए का वेतन प्राप्त कर रहा था । विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष इसमें के प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती बंकु देवी, और याची ने अभि. सा. 3 के रूप बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के शाखा प्रबंधक की याची साक्षी-3 बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के प्रबंधक के आशीश पठानिया और मानव संसाधन कार्यकारी एच. आर. सुरेन्द्र कुमार की याची साक्षी-4 के रूप में परीक्षण कराया । इन साक्षियों ने अभिलेख पर वेतन रसीद और वेतन प्रमाणपत्र को प्रदर्श याची साक्ष्य 3/ए से प्रदर्श याची साक्ष्य 3/एफ के रूप में साबित किया है। इन साक्षियों ने यह भी स्पष्टतया साबित किया है कि मृतक राकेश कुमार बजाज अलायंस लाइफ इश्योरेंस कारपोरेशन में कार्यकारी के रूप में कार्यरत था और उसका मासिक वेतन 18,516/- रुपए था । याची ने प्रदर्श याची साक्ष्य-3/ए में प्रदर्श याची साक्ष्य 3/एफ के रूप में वेतन प्रमाणपत्र और वेतन रसीद के साथ उपरोक्त कारपोरेशन के अधिकारियों का परीक्षण कराए जाने के द्वारा अभिलेख पर साबित कर दिया है कि मृतक 18,576/- रुपए प्रतिमास वेतन पाता था । तथापि, इस बाबत अभिलेख पर कोई ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मृतक बागबानी और कृषि व्यवसाय करके अपनी आय की बढ़ोतरी करता था । इसलिए, प्रतिकर की गणना के प्रयोजनार्थ मृतक की मासिक आय 18,516/- रुपए आंकी जाती है । आगे, चूंकि वह (मृतक) लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन का कर्मचारी था, इसलिए उसको वेतन में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना आपेक्षित है और इसलिए विद्वान् निचले न्यायालय ने इस संबंध में कोई अवैधता नहीं बरती है । अब, जहां तक प्रेम और स्नेह की हानि का संबंध है, विद्वान् निचले न्यायालय ने याची को 1,00,000/- रुपए मंजूर किए हैं, जिस रकम का अधिनिर्णीत प्रतिकर से कटौती किया जाना अपेक्षित है और अंतिम संस्कार का खर्चे 25,000/- रुपए से जैसा कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया, से कम करके 15,000/- रुपए किया है । प्रेम और स्नेह की हानि के बाबत कोई धनराशि अधिनिर्णीत नहीं की जा सकती और इसलिए पूर्वोक्त अधिनिर्णय में 1,10,000/- रुपए की कमी किया जाना अपेक्षित है ।

उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह निकला है कि अधिनिर्णीत रकम को 2072315 में से 110000=28,62,315/- रुपए (अट्ठाईस लाख बासठ हजार तीन सौ पन्द्रह रुपए) द्वारा घटाया जाता है । अतः दावेदार मात्र 28,62,315/- रुपए की राशि के प्रतिकर का हकदार है । क्योंकि दावेदार मृतक की माता है, इसलिए संपूर्ण प्रतिकर उसी को दिया जाना अपेक्षित है । किसी अन्य बिंदु पर न तो बहस हुई और न ही प्रतिकर प्रदान किए जाने की मांग की गई । तद्नुसार, अपील का निपटारा किया जाता है । (पैरा 19, 20, 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	2014 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2053 : **श्रीमती सविता** बनाम **बिन्दर सिंह और अन्य** ;	17
[2013]	(2013) 10 एस. सी. सी. 646 : **डलसिना फर्नांडिज़ और अन्य** बनाम **जौकीन जेवियर क्रूज़ और अन्य** ;	17
[2011]	(2011) 10 एस. सी. सी. 506 : **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **शीला दत्ता** ।	17

अपील (सिविल) अधिकारिता : 2015 की प्रथम अपील सं. 275.

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री बी. एम. चौहान और अमित हिमालवी
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री सुभाष स्नेही, (प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से), राहुल महाजन, (प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से), अजीत शर्मा, (प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से) और नरेश कुमार गुप्ता, (प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से)

न्यायमूर्ति चन्द्रभूषण बरोवालिया – वर्तमान अपील 1988 के मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अधीन अपीलार्थी/बीमा कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अपीलार्थी' कहा गया है) द्वारा फाइल की गई है । वर्तमान अपील की विषयवस्तु 2011 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 0100034, श्रीमती बंकु देवी बनाम मैसर्स स्नोव्य ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य वाले मामले में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर बुशाहर, किन्नौर के विद्वान् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (जिसे संक्षेप में अधिकरण कहा गया है) द्वारा पारित तारीख 11 मार्च, 2015 का अधिनिर्णय है, जिसके द्वारा 29,72,315/- रुपए (उनतीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ पन्द्रह रुपए) की राशि याचिका फाइल करने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और मुकदमा के खर्चों के बाबत 5,000/- रुपए सहित अधिनिर्णीत की गई थी ।

2. संक्षेप में याचिका में अभिकथित तात्विक और सुंसगत तथ्य इस प्रकार हैं :–

> "दावेदार के अनुसार मामले के तथ्य यह हैं कि उसका पुत्र राजकुमार, उम्र 27 वर्ष, तारीख 30 नवंबर, 2010 को अपराह्न 7:45 बजे मारूति कार द्वारा यात्रा कर रहा था जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या एच पी 06 4111 थी । जब वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर दकोलर के निकट वजीर बावरी पहुंचा, तो उसे विपरीत दिशा से आ रही महिन्द्रा स्कार्पियो, जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या एच वी 01 टी सी 03 थी, और जिसका चालन प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उतावलेपन के साथ और उपेक्षापूर्वक किया जा रहा था, द्वारा टक्कर मार दी गई । महिन्द्रा स्कार्पियो मारूति वैन के बिल्कुल सामने आ गई थी, जिस कारणवश राकेश कुमार को गंभीर क्षतियां बरदाश्त करनी पड़ी । उसे हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला की रामपुर तहसील के खनेरी स्थित महात्मा गांधी मेडिकल सर्विसेज काम्प्लेक्स भेजा गया जहां से उसे शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल भेजा गया और तत्पश्चात् उसे चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च

भेजा गया, जहां वह तारीख 3 दिसम्बर, 2010 से 7 दिसम्बर, 2010 तक भर्ती रहा और गंभीर क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । उसका शवपरीक्षण चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च में हुआ तथा मृत्यु का कारण निचले बाएं भाग पर दर्दनाक क्षतियों के परिणामस्वरूप सेपटीसिमिया आघात होना बताया गया । प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध तारीख 1 दिसम्बर, 2010 को 2010 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 217 भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 337 के अधीन रामपुर पुलिस थाना में दर्ज कराई गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह अधिकथित किया गया है कि मृतक रामपुर में एलायंस लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कार्यरत था और उसको प्रतिमास 18,156/- रुपए वेतन मिल रहा था और वह कृषि और बागवानी व्यवसाय में भी प्रतिवर्ष 3,00,000/- रुपए कमाता था । प्रत्यर्थी/दावेदार मृतक की माता है और मृतक अविवाहित था । उसने अपने नौजवान पुत्र की मृत्यु के कारण विभिन्न मदों के अन्तर्गत 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30,00,000/- रुपए (तीस लाख रुपए) के प्रतिकर का दावा किया है ।"

3. दावेदार का पक्षकथन यह है कि दुर्घटना उल्लंघनकारी यान के चालक प्रत्यर्थी संख्या 2 चालक के उतावले और उपेक्षापूर्ण कार्य के कारण घटित हुई थी ।

4. बीमा कंपनी और अन्य प्रत्यर्थियों ने याची के दावे का प्रतिवाद किया और अपने प्रत्युत्तर पृथक्-पृथक् फाइल किए । प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपने प्रत्युत्तर में तथ्य की इस रूप में प्रारंभिक आपत्ति को उठाया कि दावा याचिका गुणागुण के आधार पर पोषणीय नहीं है, दुर्घटना जो तारीख 30 नवंबर 2010 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर डकोलर के निकट वजीर बावडी पर अपराह्न 8.00 बजे महिन्द्रा स्कार्पियो के साथ टक्कर के कारण घटित हुई, का तथ्य स्वीकृत तथ्य है । तथापि, वह तरीका जिसमें यह दुर्घटना अभिकथित रूप से घटित हुई से इनकार किया गया है और इस दुर्घटना का खंडन किया गया है । यह प्रकथन

किया है कि दुर्घटना प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा मारूति वैन संख्या एच पी 06 4111 के उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चालन के कारण घटित हुई थी। यह अधिकथित किया गया है कि महिन्द्रा स्कोर्पियो का चालक होने के नाते प्रत्यर्थी सं. 2 यान का चालन सावधानीपूर्वक कर रहा था और उसके भाग पर कोई उपेक्षा नहीं थी । मृतक की मासिक आय भी 18,516/- रुपए प्रतिमाह थी से भी इनकार किया गया है और इस तथ्य को विवादित किया गया है और यह अभिकथित किया गया है कि दावा अत्यधिक रकम के बाबत फाइल किया गया है ।

5. प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात् प्रश्नगत महिन्द्रा स्कार्पियो जीप के चालक ने यद्यपि अपने यान से घटित दुर्घटना के तथ्य को स्वीकार किया है, फिर भी उसने दुर्घटना का कारण स्वयं द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान का चालन नहीं माना है ।

6. प्रत्यर्थी सं. 3 अर्थात् न्यू इडियां एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने मंडल प्रबंधक के माध्यम से दावा याचिका की पोषणीयता और बीमा पालिसी के अनिवार्य निबंधनों और शर्तों के अतिक्रमण के प्रारंभिक आक्षेपों को उठाते हुए प्रत्युत्तर फाइल किया है । उन्होंने यह अधिकथित किया है कि उल्लंघनकारी यान के चालक के पास दुर्घटना के समय पर विधिमान्य और प्रभावी अनुज्ञप्ति नहीं थी । उन्होंने इसके अतिरिक्त, बीमा पालिसी के अनिवार्य निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण का मामला भी उठाया है ।

7. प्रत्यर्थी सं. 4 प्रश्नगत मारूति वैन का स्वामी और चालक है । उसने प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा महेन्द्रा स्कार्पियों को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण चालन के कारण घटित दुर्घटना होने के तथ्य को स्वीकार किया है ।

8. विद्वान् निचले अधिकरण ने पक्षकारों के अभिवचनों पर, तारीख 22 फरवरी, 2012 को निर्धारण और न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :-

"(1) क्या मृतक राकेश कुमार की मृत्यु प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा यान संख्या एच पी 01 टी सी 03 का उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक

के कारण बर्दाशत की गई चालन से क्षतियों के कारण हुई, जैसा कि अभिकथित किया गया है ?

(2) यदि विवाद्यक संख्या 1 साबित हो जाता है, तो याची प्रतिकर की कितनी रकम के लिए किससे हकदार है और किससे ?

(3) क्या प्रश्नगत दुर्घटना यान संख्या एच पी 06 4111 के उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण चालन के कारण घटित हुई जिसका चालन इस यान के स्वामी द्वारा किया जा रहा था, जैसा कि अभिकथित किया गया है ?

(4) क्या उल्लंघनकारी यान संख्या एच पी 01 टी सी 03 (स्कार्पियो) को बीमा पालिसी की निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण करते हुए चलाया जा रहा था ?

(5) क्या सुसंगत समयबिंदु पर प्रत्यर्थी सं. 2 के पास विधिमान्य और प्रभावी अनुज्ञप्ति नहीं थी ?

(6) क्या सुसंगत समयबिंदु पर उल्लंघनकारी यान संख्या एच पी 01 टी सी 03 (स्कार्पियो) को विधिमान्य दस्तावेज़ों के बिना चलाया जा रहा था ?

(7) अन्य कोई अनुतोष ।"

9. विद्वान् अधिकरण ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात् अभिनिर्धारित किया कि उल्लंघनकारी यान का स्वामी/बीमाकृत और चालक दुर्घटना के समय यान का चालन उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कर रहा था, जिस कारण से दुर्घटना घटित हुई ।

10. विद्वान् अधिकरण ने विवाद्यक संख्या 1 और 2 को सकारात्मक रूप से और विवाद्यक सं. 3 से 6 को नकारात्मक रूप में विनिश्चित करने के पश्चात्, आक्षेपित प्रतिकर का अधिनिर्णय पारित किया, अतः वर्तमान अपील फाइल की गई ।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना ।

12. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि मृतक प्रक्षिशु विक्रय प्रबंधक था और उसकी प्रतिमाह आय 12,000/- रुपए से अधिक

नहीं थी । उन्होंने आगे दलील दी कि वह अस्थाई कर्मचारी था और प्रदान किया गया प्रतिकर अत्यधिक है और उच्चतर सिरे की तरफ है । उन्होंने आगे दलील दी कि उल्लंघनकारी यान का चालक अन्यथा रूप से भी था । इसलिए, बीमा कंपनी को संपूर्ण प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता है ।

13. दावेदार की ओर से उपस्थित हुए विद्वान् कांउसेल श्री सनेही ने दलील दी कि अधिनिर्णय विधि अनुसार है और मान्य ठहराए जाने योग्य है और आय का सही आंकलन किया गया है चूंकि वह (मृतक) प्रोत्साहन और अन्य भत्ते भी प्राप्त कर रहा था । उन्होंने आगे दलील दी कि वह (मृतक) स्वनियोजित नहीं था और विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा ने उसके वेतन में 50% की वृद्धि न्यायतः की गई थी ।

14. प्रत्यर्थी सं. 2 (यान का स्वामी) की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री राहुल महाजन ने दलील दी कि प्रश्नगत यान का चालन अत्यधिक सुरक्षित रूप में किया जा रहा था और चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक नहीं किया जा रहा था ।

15. प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री नरेश कुमार गुप्ता ने दलील दी कि यान का चालन उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक नहीं किया जा रहा था, जैसा कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है ।

16. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ अभिलेख का परिशीलन किया ।

17. आरंभ से ही, जहां तक यान के उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चालन का संबंध है, अभिलेख पर यह स्पष्ट हो गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **शीला दत्ता**[1], **डलसिना फर्नांडिज़ और अन्य** बनाम **जौकीन जेवियर क्रूज़ और अन्य**[2] और **श्रीमती सविता** बनाम **बिन्दर सिंह और अन्य**[1] वाले

---

[1] (2011) 10 एस. सी. सी. 506.

[2] (2013) 10 एस. सी. सी. 646.

मामलों में अभिनिर्धारित किया है कि दावा याचिका के विनिर्धारण के किए कठोर अभिवचन और सुबूत अपेक्षित नहीं होते चूंकि यह मुकदमा गैर शत्रुतापूर्ण मुकदमा होता है ।

18. याची साक्षी-2 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और याची साक्ष्य-1/बी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति है । इसके परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना का कारण प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा महिन्द्रा स्कोर्पियो जीप संख्या एच पी 01 टी सी 03 का उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चालन था । आगे प्रत्यर्थी सं. 2 ने प्रत्यर्थी साक्षी-1 के रूप में अपने कथन में स्वीकार किया है कि इस दुर्घटना के संबंध में उसके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज हुई थी और दांडिक मामला लंबित है । इसलिए, साक्ष्य के आधार पर और स्वयं प्रमाण (res ipso loquitur) के सिद्धांत को लागू करते हुए प्रश्नगत यान के चालन में प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कृत्य के परिणामस्वरूप दुर्घटना और राकेश कुमार (मृतक) की मृत्यु साबित हो जाती है ।

19. अतः, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दुर्घटना उल्लंघनकारी यान के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण चालन के कारण घटित हुई और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निर्णय किसी अवैधता से ग्रस्त नहीं है । आगे, मृतक की आय को ठीक ही आधार बनाया गया चूंकि वह न केवल मासिक आय प्राप्त कर रहा था, बल्कि प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त कर रहा था । प्रत्यर्थियों ने इससे इनकार किया है और विवादित किया है कि मृतक बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन में एक कार्यकारी के रूप में कार्यरत था और प्रतिमास 18,516/- रुपए का वेतन प्राप्त कर रहा था । विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष इसमें के प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती बंकु देवी, और याची ने अभि. सा. 3 के रूप बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के शाखा प्रबंधक की याची साक्षी-3 बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के प्रबंधक के आशीश पठानिया और मानव संसाधन

---

[1] 2014 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2053.

कार्यकारी एच. आर. सुरेन्द्र कुमार की याची साक्षी-4 के रूप में परीक्षण कराया । इन साक्षियों ने अभिलेख पर वेतन रसीद और वेतन प्रमाणपत्र को प्रदर्श याची साक्ष्य 3/ए से प्रदर्श याची साक्ष्य 3/एफ के रूप में साबित किया है । इन साक्षियों ने यह भी स्पष्टतया साबित किया है कि मृतक राकेश कुमार बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन में कार्यकारी के रूप में कार्यरत था और उसका मासिक वेतन 18,516/- रुपए था । याची ने प्रदर्श याची साक्ष्य-3/ए में प्रदर्श याची साक्ष्य 3/एफ के रूप में वेतन प्रमाणपत्र और वेतन रसीद के साथ उपरोक्त कारपोरेशन के अधिकारियों का परीक्षण कराए जाने के द्वारा अभिलेख पर साबित कर दिया है कि मृतक 18,576/- रुपए प्रतिमास वेतन पाता था । तथापि, इस बाबत अभिलेख पर कोई ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मृतक बागबानी और कृषि व्यवसाय करके अपनी आय की बढ़ोतरी करता था । इसलिए, प्रतिकर की गणना के प्रयोजनार्थ मृतक की मासिक आय 18,516/- रुपए आंकी जाती है ।

20. आगे, चूंकि वह (मृतक) लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन का कर्मचारी था, इसलिए उसको वेतन में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना आपेक्षित है और इसलिए विद्वान् निचले न्यायालय ने इस संबंध में कोई अवैधता नहीं बरती है ।

21. अब, जहां तक प्रेम और स्नेह की हानि का सम्बंध है, विद्वान् निचले न्यायालय ने याची को 1,00,000/- रुपए मंजूर किए हैं, जिस रकम का अधिनिर्णीत प्रतिकर से कटौती किया जाना अपेक्षित है और अंतिम संस्कार के खर्चे 25,000/- रुपए से जैसा कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया, से कम करके 15,000/- रुपए किया है । प्रेम और स्नेह की हानि के बाबत कोई धनराशि अधिनिर्णीत नहीं की जा सकती और इसलिए पूर्वोक्त अधिनिर्णय में 1,10,000/- रुपए की कमी किया जाना अपेक्षित है ।

22. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह निकला है कि अधिनिर्णीत रकम को 2072315 में से 110000=28,62,315/- रुपए (अट्ठाईस लाख

बासठ हजार तीन सौ पन्द्रह रुपए) द्वारा घटाया जाता है । अतः दावेदार मात्र 28,62,315/- रुपए की राशि के प्रतिकर का हकदार है । क्योंकि दावेदार मृतक की माता है, इसलिए संपूर्ण प्रतिकर उसी को दिया जाना अपेक्षित है । किसी अन्य बिंदु पर न तो बहस हुई और न ही प्रतिकर प्रदान किए जाने की मांग की गई । तद्नुसार, अपील का निपटारा किया जाता है ।

23. यदि कोई आवेदन लंबित हो, तो उसका भी निपटारा तद्नुसार समझा जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

महीं./शु.

गतांक से आगे .....

अध्याय 10

सीमित दायित्व भागीदारी का संपरिवर्तन

55. फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन – कोई फर्म, इस अध्याय और दूसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

56. प्राइवेट कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन – कोई प्राइवेट कंपनी इस अध्याय और तीसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

57. असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन – कोई असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी इस अध्याय और चौथी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

58. रजिस्ट्रीकरण और संपरिवर्तन का प्रभाव – (1) रजिस्ट्रार, यह समाधान हो जाने पर कि, यथास्थिति, किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी ने दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के उपबंधों का अनुपालन किया है, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी अनुसूची के अधीन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और यह कथन करते हुए कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है, ऐसे प्ररूप में, जो रजिस्ट्रार अवधारित करे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, यथास्थिति, संबंधित फर्म रजिस्ट्रार या कंपनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह, यथास्थिति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, सीमित दायित्व भागीदारी के संपरिवर्तन और उसकी विशिष्टियों के बारे में ऐसी रीति और प्ररूप में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर, फर्म के भागीदार, यथास्थिति, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के शेयरधारक वह सीमित दायित्व भागीदारी जिसमें ऐसी फर्म या ऐसी कंपनी संपरिवर्तित की गई है और सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के उन उपबंधों से आबद्ध होंगे जो उन्हें लागू हों ।

(3) ऐसे संपरिवर्तन पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से ही संपरिवर्तन के प्रभाव ऐसे होंगे, जो, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, –

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी होगी ;

(ख) यथास्थिति, फर्म या कंपनी में निहित सभी मूर्त (जंगम या स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, यथास्थिति, फर्म या कंपनी से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और, यथास्थिति, फर्म या कंपनी के संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कार्रवाई या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) यथास्थिति, फर्म या कंपनी विघटित हुई और, यथास्थिति, फर्म रजिस्ट्रार या कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेख से हटा दी गई समझी जाएगी ।

अध्याय 11

विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी

59. विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी – केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों को ऐसे उपांतरणों सहित, जो समुचित प्रतीत हों, या ऐसी संरचना वाले ऐसे विनियामक तंत्र को,

जो विहित किया जाए, लागू या सम्मिलित करके भारत में विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा कारबार के स्थान की स्थापना करने और उनमें अपने कारबार करने के संबंध में उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी ।

अध्याय 12

सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता, ठहराव या पुनर्निर्माण

60. सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता या ठहराव – (1) जहां, –

(क) किसी सीमित दायित्व भागीदारी और उसके लेनदारों के बीच ; या

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच,

समझौता या ठहराव का प्रस्ताव है, वहां अधिकरण, सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी लेनदार या भागीदार के या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक के आवेदन पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या अधिकरण निदेश दे, यथास्थिति, लेनदारों या भागीदारों का अधिवेशन बुलाए जाने, आयोजित और संचालित किए जाने का आदेश कर सकेगा ।

(2) यदि अधिवेशन में, यथास्थिति, लेनदारों या भागीदारों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुमत किसी समझौते या ठहराव के लिए सहमत हो जाता है तो समझौता या ठहराव, यदि अधिकरण द्वारा मंजूर किया गया हो, आदेश द्वारा, यथास्थिति, सभी लेनदारों या भागीदारों पर और सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक पर और सीमित दायित्व भागीदारी के अभिदायकर्ताओं पर भी आबद्धकर होगा :

परंतु अधिकरण द्वारा किसी समझौते या ठहराव को मंजूरी देने वाला कोई आदेश तभी किया जाएगा जब अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति ने,

जिसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है, शपथपत्र द्वारा या अन्यथा अधिकरण को सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित सभी तात्विक तथ्यों को, जिनके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी की नवीनतम वित्तीय स्थिति और सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में लंबित कोई अन्वेषण कार्यवाहियां भी हैं, प्रकट कर दिया है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया आदेश सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, ऐसा आदेश किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा और वह इस प्रकार फाइल किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा ।

(4) यदि उपधारा (3) का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(5) अधिकरण, इस धारा के अधीन उसे आवेदन किए जाने के पश्चात्, किसी समय, सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही के आरंभ किए जाने या जारी रखे जाने को, ऐसे निबंधनों पर, जो अधिकरण ठीक समझे, आवेदन को अंतिम रूप से निपटाए जाने तक रोक सकेगा ।

61. समझौता या ठहराव लागू करने की अधिकरण की शक्ति – (1) जहां अधिकरण, धारा 60 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी की बाबत समझौता या ठहराव को मंजूर करने वाला कोई आदेश करता है, वहां, –

(क) उसे समझौते या ठहराव के क्रियान्वयन का अधीक्षण करने की शक्ति होगी ; और

(ख) वह ऐसा आदेश किए जाने के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, किसी विषय के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा या समझौते या ठहराव में ऐसे उपांतरण कर सकेगा, जो वह समझौते या ठहराव के समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे ।

(2) यदि पूर्वोक्त अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि धारा

60 के अधीन मंजूर किया गया कोई समझौता या ठहराव उपांतरणों सहित या उसके बिना समाधानप्रद रूप में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है तो वह, स्वप्रेरणा से या सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आदेश कर सकेगा और ऐसा आदेश इस अधिनियम की धारा 64 के अधीन किया गया आदेश समझा जाएगा ।

62. सीमित दायित्व भागीदारी के पुनर्निर्माण या समामेलन को सुकर बनाने के लिए उपबंध – (1) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी और किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच, जो उस धारा में वर्णित हैं, प्रस्तावित समझौते या ठहराव की मंजूरी के लिए धारा 60 के अधीन कोई आवेदन अधिकरण को किया जाता है और अधिकरण को यह दर्शित किया जाता है कि –

(क) समझौता या ठहराव किसी सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारियों के पुनर्निर्माण या किन्हीं दो या अधिक सीमित दायित्व भागीदारियों के समामेलन की स्कीम के प्रयोजनों या उसके संबंध में प्रस्तावित किया गया है ; और

(ख) स्कीम के अधीन संबंधित किसी सीमित दायित्व भागीदारी का (जिसे इस धारा में "अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी" कहा गया है) संपूर्ण उपक्रम, संपत्ति या दायित्व या उसका कोई भाग किसी दूसरी सीमित दायित्व भागीदारी में (जिसे इस धारा "अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी" कहा गया है) अंतरित किया जाना है,

वहां अधिकरण, समझौते या ठहराव की मंजूरी देने वाले आदेश द्वारा या पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात् :–

(i) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के संपूर्ण उपक्रम, संपत्ति या दायित्वों या उसके किसी भाग का अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण ;

(ii) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके

विरुद्ध लंबित किन्हीं विधिक कार्यवाहियों का अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जाना ;

(iii) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन के बिना विघटन ;

(iv) ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में किए जाने वाले उपबंध, जो ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो अधिकरण निदेश दे, समझौते या ठहराव से विसम्मति रखता है ; और

(v) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि पुनर्निर्माण या समामेलन पूर्णतः और प्रभावी रूप से किया जाएगा :

परंतु किसी सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारियों से समामेलन की किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में प्रस्तावित किसी समझौते या ठहराव को अधिकरण द्वारा तभी मंजूरी दी जाएगी, जब अधिकरण को रजिस्ट्रार से यह रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज ऐसी रीति में नहीं किए गए हैं, जिससे उसके भागीदारों के हितों या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो :

परंतु यह और कि खंड (iii) के अधीन किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन का कोई आदेश अधिकरण द्वारा तभी किया जाएगा जब शासकीय समापक ने सीमित दायित्व भागीदारी की बहियों और कागजपत्रों की संवीक्षा करने पर अधिकरण को यह रिपोर्ट दे दी हो कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज ऐसी रीति में नहीं किए गए हैं, जिससे उसके भागीदारों के हितों या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

(2) जहां इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी संपत्ति या दायित्वों के अंतरण के लिए उपबंध करता है वहां उस आदेश के आधार पर वह संपत्ति अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित होगी और उसमें निहित हो जाएगी और ऐसे दायित्व उसमें अंतरित होंगे और उसके

दायित्व बन जाएंगे ; तथा किसी संपत्ति की दशा में, यदि आदेश ऐसा निदेश करे, ऐसे किसी प्रभार से मुक्त होगी, जो समझौते या ठहराव के कारण, प्रभाव में नहीं रहा है ।

(3) इस धारा के अधीन कोई आदेश किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर, ऐसी प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, जिसके संबंध में आदेश किया गया है, उसकी प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल कराएगी ।

(4) यदि उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, "संपत्ति" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, अधिकार और शक्तियां भी हैं ; और "दायित्वों" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के कर्तव्य भी हैं ।

अध्याय 13

परिसमापन और विघटन

63. परिसमापन और विघटन – सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन या तो स्वेच्छा से या अधिकरण द्वारा किया जा सकेगा और इस प्रकार परिसमापित सीमित दायित्व भागीदारी विघटित हो सकेगी ।

64. वे परिस्थितियां, जिनमें सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा – सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा –

(क) यदि सीमित दायित्व भागीदारी वह विनिश्चय करती है कि सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जाए ;

(ख) यदि छह मास से अधिक की अवधि के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की संख्या दो से कम रहती है ;

(ग) यदि सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय

करने में असमर्थ है ;

(घ) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हितों के विरुद्ध कार्य किया है ;

(ङ) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ने लगातार किन्हीं पांच वित्तीय वर्षों के संबंध में लेखा और शोधनक्षमता का विवरण या वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में व्यतिक्रम किया है ; या

(च) यदि अधिकरण की यह राय है कि यह न्यायोचित और साम्यापूर्ण है कि सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन कर दिया जाए ।

65. परिसमापन और विघटन के लिए नियम – केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन और विघटन से संबंधित उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी ।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

66. सीमित दायित्व भागीदारी के साथ भागीदार के कारबार संव्यवहार – कोई भागीदारी सीमित भागीदारी को धन उधार दे सकेगा और उसके साथ अन्य कारबार कर सकेगा और ऋण या अन्य संव्यवहारों के संबंध में उसके वही अधिकार और बाध्यताएं होंगी जो ऐसे व्यक्ति के हैं, जो भागीदार नहीं है ।

67. कंपनी अधिनियम के उपबंधों का लागू होना – (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का कोई उपबंध, –

(क) किसी सीमित दायित्व भागीदार को लागू होगा ; या

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसे अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन के साथ लागू होगा, जो अधिसूचना में

विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी किए जाने का अनुमोदन न करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह अधिसूचना, यथास्थिति, जारी नहीं की जाएगी या दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो वह उस उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जिस पर दोनों सदन सहमत हों ।

68. दस्तावेजों का इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किया जाना – (1) इस अधिनियम के अधीन फाइल, अभिलिखित या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, फाइल, अभिलिखित या रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किए गए या उसको प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज की कोई प्रति या उससे कोई उद्धरण, जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रदाय या जारी किया जाता है और जिसे ऐसे दस्तावेज की सत्यप्रति या उद्धरण के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अनुसार अंकीय चिह्नक के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, किन्हीं कार्यवाहियों में मूल दस्तावेज के समान विधिमान्यता के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य होगा ।

(3) रजिस्ट्रार द्वारा प्रदाय की गई कोई सूचना जो रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए या उसको प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज के सत्य उद्धरण के रूप में अंकीय चिह्नक के माध्यम से रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया गया है, किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होगी और यह उपधारणा की जाएगी कि वह जब तक उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए, ऐसे दस्तावेज से सत्य उद्धरण है ।

69. अतिरिक्त फीस का संदाय – इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज या विवरणी यदि उसमें उपबंधित समय में फाइल या रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाती है तो उस समय के पश्चात् उस तारीख से, जिस तक उसे फाइल किया जाना चाहिए, तीन सौ दिन की अवधि तक, ऐसी किसी फीस के अतिरिक्त, जो ऐसे दस्तावेज या विवरणी को फाइल करने के लिए संदेय हों, ऐसे विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की अतिरिक्त फीस के संदाय पर फाइल या रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी :

परंतु ऐसा दस्तावेज या विवरणी, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा में विनिर्दिष्ट फीस और अतिरिक्त फीस के संदाय पर तीन सौ दिन की ऐसी अवधि के पश्चात् भी फाइल की जा सकेगी ।

70. वर्धित दंड – यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार या अभिहित भागीदार कोई अपराध करता है तो सीमित दायित्व भागीदारी या कोई भागीदार या अभिहित भागीदार दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए यथाउपबंधित कारावास से दंडनीय होगा, किंतु ऐसे अपराधों की दशा में, जिसके लिए कारावास के साथ या उसे छोड़कर जुर्माना विहित किया गया है, जुर्माने से, जो ऐसे अपराध के लिए जुर्माने की रकम का दुगुना होगा, दंडनीय होगा ।

71. अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना – इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

72. अधिकरण और अपील अधिकरण की अधिकारिता – (1) अधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं ।

(2) अधिकरण के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और कंपनी अधिनियम,

1956 (1956 का 1) की धारा 10चथ, धारा 10चयक, धारा 10छ, धारा 10छघ, धारा 10छङ और धारा 10छच के उपबंध ऐसी अपील के संबंध में लागू होंगे ।

73. अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के अननुपालन के संबंध में शास्ति – जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा ।

74. साधारण शास्तियां – कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध का दोषी है जिसके लिए स्पष्ट रूप से कोई दंड उपबंधित नहीं किया गया है, जुर्माने का जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, किंतु जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा और अतिरिक्त जुर्माने का, जो उस प्रथम दिन के, जिसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहता है, पश्चात् के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

75. रजिस्टर से निष्क्रिय सीमित दायित्व भागीदारी का नाम काटने की रजिस्ट्रार की शक्ति – जहां रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि सीमित दायित्व भागीदारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कारबार नहीं चला रही है या अपना प्रचालन नहीं कर रही है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी का नाम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रार, इस धारा के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी का नाम काटने से पूर्व ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

76. सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा अपराध – जहां सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध, –

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या

भागीदारों या अभिहित भागीदार या अभिहित भागीदारों की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया ; या

(ख) उस सीमित भागीदारी के भागीदार या भागीदारों या अभिहित भागीदार या अभिहित भागीदारों की ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ,

साबित होता है, वहां यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदार का भागीदार या उसके भागीदार या उसका अभिहित भागीदार या उसके अभिहित भागीदार और वह सीमित दायित्व भागीदार उस अपराध के दोषी होंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दंडित किए जाने के लिए दायी होंगे ।

77. न्यायालय की अधिकारिता – तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की अधिकारिता होगी और उक्त अपराध की बाबत दंड अधिरोपित करने की शक्ति होगी ।

78. अनुसूचियों में परिवर्तन करने की शक्ति – (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की किसी अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी उपबंध को परिवर्तित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई परिवर्तन इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो और वह, जब तक अधिसूचना में अन्यथा निदेश न हो अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक परिवर्तन, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिवर्तन में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित

रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु परिवर्तन के ऐसे उपांतरण या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

79. नियम बनाने की शक्ति – (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित भागीदार द्वारा दी जाने वाली पूर्व सहमति का प्ररूप और रीति ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए सहमत होने वाले प्रत्येक व्यष्टि की विशिष्टियों का प्ररूप और रीति ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अभिहित भागीदार बनने के लिए किसी व्यष्टि की पात्रता से संबंधित शर्तें और अपेक्षाएं ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निगमन दस्तावेज फाइल करने की रीति और उसके लिए संदेय फीस का संदाय ;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणी का प्ररूप ;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निगमन दस्तावेज का प्ररूप ;

(छ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित निगमन दस्तावेज

में अंतर्विष्ट की जाने वाली जानकारी ;

(ज) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी या किसी भागीदार या अभिहित भागीदार पर दस्तावेजों की तामील करने की रीति और वह प्ररूप और रीति, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा कोई अन्य पता घोषित किया जा सकेगा ;

(झ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार को सूचना देने का प्ररूप और रीति और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन के संबंध में शर्तें ;

(ञ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन करने की रीति और संदेय फीस की रकम ;

(ट) वह रीति जिसमें धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नाम आरक्षित किए जाएंगे ;

(ठ) वह रीति जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी अस्तित्व द्वारा आवेदन किया जा सकेगा ;

(ड) धारा 19 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के नाम-परिवर्तन की सूचना का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम ;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी करार और उसमें किए गए परिवर्तन का प्ररूप और रीति और संदेय फीस की रकम ;

(ण) धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन सूचना का प्ररूप, संदेय फीस की रकम और विवरण के अधिप्रमाणन की रीति ;

(त) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन किसी भागीदार के अभिदाय के धनीय मूल्य का लेखा रखने और प्रकटन की रीति ;

(थ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन लेखा बहियां और उनके रखे जाने की अवधि ;

(द) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन लेखा शोधनक्षमता का विवरण का प्ररूप और रीति ;

(ध) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन लेखा और शोधनक्षमता का विवरण फाइल करने का प्ररूप, रीति, फीस और समय ;

(न) धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं की संपरीक्षा ;

(प) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी का प्ररूप और रीति और उसके लिए संदेय फीस ;

(फ) धारा 36 के अधीन निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम और उसमें किए गए परिवर्तनों, लेखा और शोधनक्षमता विवरण और वार्षिक विवरणी के निरीक्षण की रीति और उसके लिए संदेय फीस की रकम ;

(ब) धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों का किसी रूप में नष्ट किया जाना ;

(भ) धारा 43 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रतिभूति के रूप में अपेक्षित रकम ;

(म) धारा 44 के अधीन दी जाने वाली प्रतिभूति की रकम ;

(य) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन, प्रति देने के लिए संदेय फीस ;

(यक) धारा 54 के अधीन निरीक्षक की रिपोर्ट के अधिप्रमाणन की रीति ;

(यख) धारा 58 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों का प्ररूप और रीति ;

(यग) धारा 59 के अधीन विदेशी सीमित दायित्व भागीदारियों द्वारा भारत में कारबार के स्थान की स्थापना करने और कारबार करने और विनियामक तंत्र तथा उसकी संरचना के संबंध में ;

(यघ) धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन अधिवेशन बुलाने, आयोजित और संचालित करने की रीति ;

(यङ) धारा 65 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारियों के परिसमापन और विघटन के संबंध में ;

(यच) धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेज फाइल करने की रीति और शर्तें ;

(यछ) धारा 75 के अधीन रजिस्टर से सीमित दायित्व भागीदारियों के नाम काटने की रीति ;

(यज) दूसरी अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा (क) के अधीन विशिष्टियों वाले विवरण का प्ररूप और रीति तथा फीस की रकम ;

(यझ) दूसरी अनुसूची के पैरा 5 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों की रीति और प्ररूप ;

(यञ) तीसरी अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (क) के अधीन विवरण का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम ;

(यट) तीसरी अनुसूची के पैरा 4 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों का प्ररूप और रीति ;

(यठ) चौथी अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा (क) के अधीन विवरण का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम ; और

(यड) चौथी अनुसूची के पैरा 5 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों की रीति और प्ररूप ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत

हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

80. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

81. संक्रमणकालीन उपबंध – जब तक कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन अधिकरण और अपील अधिकरण गठित नहीं किए जाते हैं तब तक इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो –

(क) धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क), और धारा 44 में आने वाले "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "कंपनी विधि बोर्ड" शब्द रखे गए हों ;

(ख) धारा 51 और धारा 60 से धारा 64 में आने वाले "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे गए हों ;

(ग) धारा 72 की उपधारा (2) में आने वाले "अपील अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे गए हों ।

पहली अनुसूची

[धारा 23(4) देखिए]

भागीदारों और सीमित दायित्व भागीदारी तथा उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित विषयों के संबंध में, ऐसे विषयों पर किसी करार के न होने की दशा में लागू होने वाले उपबंध

1. भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य और सीमित दायित्व भागीदारी तथा उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य किसी सीमित दायित्व भागीदारी के निबंधनों के अधीन रहते हुए या किसी विषय पर ऐसे किसी करार के अभाव में, इस अनुसूची के उपबंधों द्वारा अवधारित किए जाएंगे ।

2. सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी की पूंजी, लाभों और हानियों में समान रूप से हिस्सा बंटाने के लिए हकदार हैं ।

3. सीमित दायित्व भागीदारी प्रत्येक भागीदार को उसके द्वारा –

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के सामान्य और समुचित संचालन में ; या

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार या संपत्ति के परिरक्षण के लिए आवश्यक रूप से की गई किसी बात में या उसके बारे में,

किए गए संदायों और उपगत वैयक्तिक दायित्वों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी ।

4. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के संचालन में उसके कपट से उसको हुई किसी हानि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी को क्षतिपूरित करेगा ।

5. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में भाग ले सकेगा ।

6. कोई भी भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार या प्रबंध में कार्य करने के लिए पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा ।

7. विद्यमान भागीदारों की सहमति के बिना किसी व्यक्ति को भागीदार के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

8. सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित कोई विषय या मुद्दा भागीदारों की संख्या में बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक भागीदार का एक मत होगा । तथापि, सभी भागीदारों की सहमति के बिना सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

9. प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा किए गए विनिश्चय, ऐसे विनिश्चय किए जाने के बीस दिन के भीतर कार्यवृत्त में लेखबद्ध किए जाएं और सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखे और अनुरक्षित किए जाएं ।

10. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी को प्रभावित करने वाली बातों के बारे में वास्तविक लेखा और पूरी जानकारी किसी भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधियों को देगा ।

11. यदि कोई भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी की सहमति के बिना, उसी प्रकृति का कोई कारबार करता है जो सीमित दायित्व भागीदारी का है और उससे प्रतियोगिता करता है तो वह उस कारबार में उसे हुए सभी लाभों का, सीमित दायित्व भागीदारी को हिसाब देगा और उनका उसे संदाय करने के लिए दायी होगा ।

12. प्रत्येक भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी की सहमति के बिना, सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित किसी संव्यवहार से या सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति, नाम या किसी कारबारी संपर्क से उसके द्वारा व्युत्पन्न किसी फायदे का सीमित दायित्व भागीदारी को हिसाब देगा ।

13. भागीदारों का कोई बहुमत किसी भागीदार को तभी निष्कासित कर सकता है जब भागीदारों के बीच स्पष्ट करार द्वारा ऐसा करने के लिए कोई शक्ति प्रदान की गई हो ।

14. भागीदारों के बीच सीमित दायित्व भागीदारी करार से उद्भूत ऐसे सभी विवाद, जिनका निपटान ऐसे करार के निबंधनानुसार नहीं किया जा सकता है, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंधों के अनुसार माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 55 देखिए)

फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

1. निर्वचन – इस अनुसूची में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "फर्म" से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 4 में यथापरिभाषित फर्म अभिप्रेत है ;

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली फर्म के संबंध में, "संपरिवर्तन" से फर्म की संपत्ति, आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण अभिप्रेत है ।

2. फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन – (1) कोई फर्म इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर, फर्म के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबंधों द्वारा आबद्ध होंगे, जो उनको लागू होते हैं ।

3. संपरिवर्तन के लिए पात्रता – कोई फर्म सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए इस अनुसूची के अनुसार आवेदन कर सकेगी यदि और केवल तभी जब सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों में, जिसमें फर्म का संपरिवर्तन किया जाना है, उस फर्म के सभी भागीदार सम्मिलित हैं, न कि कोई और ।

4. फाइल किए जाने वाला विवरण – कोई फर्म किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी –

(क) उसके सभी भागीदारों द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसी फीस के साथ जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां, अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात् :–

(i) फर्म का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या यदि लागू हो ; और

(ii) वह तारीख जिसको फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) या किसी अन्य विधि, यदि लागू हो, के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई थी ; और

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण ।

5. संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण – पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करे, यह कथन करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, संबंधित उस फर्म रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

6. रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इनकार कर सकेगा – (1) इस अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से, किसी सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है :

परंतु रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इनकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार, किसी विशिष्ट मामले में, पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव – पैरा 5 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही, –

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी होगी ;

(ख) फर्म में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति और फर्म से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और फर्म का संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) फर्म विघटित समझी जाएगी और यदि वह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत है तो उस अधिनियम के अधीन रखे गए अभिलेखों से हटा दी जाएगी ।

8. संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण – यदि कोई संपत्ति, जिसको पैरा 7 का उपपैरा (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को ऐसे माध्यम और ऐसे प्ररूप में, अधिसूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे ।

9. लंबित कार्यवाहियां – फर्म द्वारा या उसके विरुद्ध सभी कार्यवाहियां, जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी ।

10. दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना – किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की फर्म के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा ।

11. विद्यमान करार – ऐसा प्रत्येक करार, जिसका फर्म रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व एक पक्षकार थी, चाहे वह ऐसी प्रकृति का था यह कि उसके अधीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो –

(क) फर्म के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे करार

की पक्षकार हो ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत फर्म के प्रतिनिर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रतिनिर्देश रखा गया हो ।

12. विद्यमान संविदाएं आदि – रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीम, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखत और ठहराव जो फर्म से संबंधित हैं या जिनमें फर्म एक पक्षकार है, उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बने रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भागीदारी उसमें नामित की गई हो या फर्म के स्थान पर वह उसकी पक्षकार हो ।

13. नियोजन का जारी रहना – नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे पैरा 11 या पैरा 12 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो फर्म के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी उसके अधीन नियोजक हो ।

14. विद्यमान नियुक्ति, प्राधिकार या शक्ति – (1) किसी भी भूमिका या हैसियत में फर्म की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त है उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो ।

(2) फर्म को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो ।

15. पैरा 7 से पैरा 14 का लागू होना – पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जो सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, फर्म को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की गई है ।

16. भागीदार का संपरिवर्तन से पूर्व फर्म के दायित्वों और बाध्यताओं के लिए दायी होना – (1) पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी फर्म का, जो सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई है, प्रत्येक भागीदार फर्म के ऐसे दायित्वों और बाध्यताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से) दायी बनी रहेगी, जो संपरिवर्तन के पूर्व उपगत हुई हों या जो संपरिवर्तन के पूर्व किसी संविदा से उद्भूत हुई हों ।

(2) यदि ऐसा कोई भागीदार पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी दायित्व या बाध्यता का निर्वहन करता है तो वह ऐसे दायित्व या बाध्यता के संबंध में (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ किसी करार के अधीन रहते हुए) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति किए जाने का हकदार होगा ।

17. पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना – (1) सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :–

(क) यह विवरण कि फर्म रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई थी ;

(ख) उस फर्म का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि लागू हो) जिससे वह संपरिवर्तित हुई थी ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उपपैरा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से जो पहले दिन के पश्चात् जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए से कम का नहीं होगी किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 56 देखिए)

प्राइवेट कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

1. निर्वचन – इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (iii) में यथापरिभाषित प्राइवेट कंपनी अभिप्रेत है;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली प्राइवेट कंपनी के संबंध में "संपरिवर्तन" से कंपनी की संपत्ति, आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण अभिप्रेत है ।

2. प्राइवेट कंपनियों की सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए पात्रता – (1) कोई कंपनी इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

(2) कोई कंपनी इस अनुसूची के अनुसार किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए केवल तभी आवेदन कर सकेगी यदि –

(क) आवेदन के समय आस्तियों में कोई प्रतिभूति हित विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, और

(ख) उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसमें वह संपरिवर्तित होती है भागीदारों में कंपनी के सभी शेयरधारक सम्मिलित हैं, न कि कोई और ।

(3) ऐसे संपरिवर्तन पर, कंपनी, उसके शेयरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी, जिसमें कंपनी संपरिवर्तित हो गई है और उस सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबंधों से आबद्ध होंगे, जो

उन्हें लागू होते हैं ।

3. फाइल किए जाने वाला विवरण – कंपनी किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी –

(क) उसके सभी शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात् :–

(i) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या ;

(ii) वह तारीख जिसको कंपनी निगमित की गई थी ; और

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण ।

4. संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण – पैरा 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करे, यह कथन करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

5. रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इनकार कर सकेगा – (1) इस अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से, सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है :

परंतु रजिस्टार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इनकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार किसी विशिष्ट मामले में, पैरा 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव – पैरा 4 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही, –

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सीमित दायित्व भागीदारी होगी ;

(ख) कंपनी में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, कंपनी से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और कंपनी का संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) कंपनी विघटित समझी जाएगी और उसे कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों से हटा दिया जाएगा ।

7. संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण – यदि कोई संपत्ति जिसको पैरा 6 का उपपैरा (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी, यथासाध्य शीघ्र, रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो प्राधिकारी अवधारित करे, अधिसूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे ।

8. लंबित कार्यवाहियां – कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं, सीमित

दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी ।

9. दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना – किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की कंपनी के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व सीमित भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा ।

10. विद्यमान करार – ऐसा प्रत्येक करार जिसका कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व कंपनी एक पक्षकार थी, चाहे वह ऐसी प्रकृति का था या नहीं कि उसके अधीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें, उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो :–

(क) कंपनी के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी उस करार की पक्षकार हो ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत कंपनी के प्रतिनिर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रतिनिर्देश रखा गया हो ।

11. विद्यमान संविदाएं, आदि – रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीमें, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखत और ठहराव जो कंपनी से संबंधित हैं या जिनमें कंपनी एक पक्षकार है उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बने रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भागीदारी उसमें नामित की गई हो या वह कंपनी के स्थान पर उसकी पक्षकार हो ।

12. नियोजन का जारी रहना – नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे पैरा 10 या पैरा 11 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी के स्थान पर उसके अधीन नियोजक थी ।

13. विद्यमान नियुक्ति, प्राधिकार या शक्ति – (1) किसी भूमिका

या हैसियत में कंपनी की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त है उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो ।

(2) कंपनी को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो ।

14. पैरा 6 से पैरा 13 का लागू होना – पैरा 6 से पैरा 13 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जो सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, कंपनी को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की गई है ।

15. पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना – (1) सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण को तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात् :–

(क) यह विवरण कि कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई थी ;

(ख) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण जिससे वह संपरिवर्तित हुई थी ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी जो उपपैरा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगी किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है, पचास रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

चौथी अनुसूची

(धारा 57 देखिए)

असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

1. निर्वचन – इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "कंपनी" से असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली कंपनी के संबंध में "संपरिवर्तन" से कंपनी की संपत्ति, आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण अभिप्रेत है ;

(ग) "सूचीबद्ध कंपनी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रकटन और विनिधानकर्ता संरक्षण) मार्गनिर्देश, 2000 में यथा परिभाषित सूचीबद्ध कंपनी अभिप्रेत है ;

(घ) "असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो सूचीबद्ध कंपनी नहीं है ।

2. कंपनी का सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन – (1) कोई कंपनी इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर कंपनी, उसके शेयरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी, जिसमें कंपनी संपरिवर्तित हो गई है और उस सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबंधों से आबद्ध होंगे, जो उन्हें लागू होते हैं ।

3. संपरिवर्तन के लिए पात्रता – कोई कंपनी इस अनुसूची के

उपबंधों के अनुसार किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगी यदि –

(क) आवेदन के समय आस्तियों में कोई प्रतिभूति हित विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है ; और

(ख) उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसमें यह संपरिवर्तित होती है, भागीदारों में कंपनी के सभी शेयरधारक सम्मिलित हैं न कि कोई और ।

4. विवरण का फाइल किया जाना – कोई कंपनी किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी –

(क) उसके सभी शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के साथ जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात् :–

(i) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या ; और

(ii) वह तारीख जिसको कंपनी निगमित की गई थी ; और

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण ।

5. संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण – पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र यह कथन करते हुए जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

6. रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इनकार कर सकेगा – (1) इस अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है :

परंतु रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इनकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार किसी विशिष्ट मामले में पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव – पैरा 5 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही, –

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सीमित दायित्व भागीदारी होगी ;

(ख) कंपनी में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, कंपनी से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और कंपनी का संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) कंपनी विघटित समझी जाएगी और उसे कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों से हटा दिया जाएगा ।

8. संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण – यदि कोई संपत्ति जिसको पैरा 7 का खंड (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी यथाशीघ्र रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् यथा अपेक्षित संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को, ऐसे प्ररूप और रीति में जो प्राधिकारी अवधारित करे, अधिसूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी

जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे ।

9. लंबित कार्यवाहियां – कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी ।

10. दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना – किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का कंपनी के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा ।

11. विद्यमान करार – ऐसा प्रत्येक करार, जिसकी कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व एक पक्षकार थी, चाहे ऐसी प्रकृति का था या नहीं कि तद्धीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें, उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो -

(क) कंपनी के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे करार की पक्षकार थी ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत कंपनी के प्रतिनिर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रतिनिर्देश रखा गया हो ।

12. विद्यमान संविदाएं आदि – रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीम, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखत और ठहराव जो कंपनी से संबंधित हैं या जिनमें कंपनी एक पक्षकार है उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही जारी रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों, और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भागीदारी उसमें नामित की गई हो या वह कंपनी के स्थान पर उसकी पक्षकार हो ।

13. नियोजन का जारी रहना – नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे पैरा 11 या पैरा 12 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी के स्थान पर उसके अधीन नियोजक थी ।

14. विद्यमान नियुक्ति प्राधिकार या शक्ति – (1) किसी भूमिका या हैसियत में कंपनी की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पूर्व प्रवृत्त है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो ।

(2) कंपनी को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो ।

15. पैरा 7 से पैरा 14 का लागू होना - पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जो सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, कंपनी को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की गई है ।

16. पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना – (1) सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात् :–

(क) यह विवरण कि कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित हो गई थी ;

(ख) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण जिससे यह संपरिवर्तित हुई थी ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी जो उपपैरा (1) के उपबंधों का

उल्लंघन करती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और अतिरिक्त जुर्माने से जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है पचास रुपए से कम होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

Cover-III

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

Cover. iv

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 17552/69

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in